ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

वर्ष 2011 - 12 के दौरान प्रबंधन

कार्यकारी निदेशकगण

राकेश सिन्हा
अध्यक्ष – सह – प्रबन्ध निदेशक

श्री एस.के. श्रीवास्तव
निदेशक(कार्मिक),

श्रीएस. चक्रवर्ती
निदेशक(तकनीकी), संचालन

श्रीएन. कुमार
निदेशक (तक.) योजना एवं परियोजना
(31.01.2012 तक)

श्री ए. के. सोनी
निदेशक (वित्त)

अंशकालिक निदेशकगण

श्रीए. के. सिन्हा
निदेशक(वित्त) सीआईएल

श्री डी. एन. प्रसाद
निदेशक (तकनीकी)
कोयला मंत्रालय (31.05.2011 से)

गैर अधिकारी अंशकालिक निदेशकगण

श्री सुब्रत चौधरी
(24.06.2011 से)

श्रीएस. के. मोहन्ती
(24.06.2011 से)

प्रो० (डा०) एम. के. श्रीवास्तव
(24.06.2011 से)

श्रीएस. एम. लोधा
(24.06.2011 से)

श्रीएस. एम. शर्मा
(09.09.2011 से)

बीआईएफआर द्वारा नियुक्त विशेष निदेशक

श्री के. के. गौतम

कंपनी सचिव

श्रीएम. विश्वनाथन

21 मई 2012 को प्रबंधन

कार्यकारी निदेशकगण

श्री राकेश सिन्हा
अध्यक्ष - सह - प्रबन्ध निदेशक

श्रीएस.के. श्रीवास्तव
निदेशक(कार्मिक)

श्रीएस. चक्रवर्ती
निदेशक (तकनीकी) संचालन

श्रीए. के. सोनी
निदेशक (वित्त)

अंशकालिक सरकारी निदेशकगण

श्रीए. के. सिन्हा
निदेशक(वित्त), कोल इण्डिया लिमिटेड

श्रीडी. एन. प्रसाद
निदेशक (तक)
कोयला मंत्रालय

बीआईएफआर द्वारा नियुक्त विशेष निदेशक

श्री के. के. गौतम

गैर सरकारी अंशकालिक निर्देशगण

श्री सुब्रत चौधरी

श्रीएस. के मोहंती
प्रो० (डा०) एम. के. श्रीवास्तव
श्रीएस. एम. लोधा
श्रीएस. एम. शर्मा

वर्ष 2011 - 12 के दौरान बैंकर्स

भारतीय स्टेट बैंक

केनरा बैंक

भारतीय युनाइटेड बैंक

युनाइटेड कामर्शियल बैंक

वर्ष 2011-12 के दौरान संवैधानिक लेखा निरीक्षक

मेसर्स दत्ता सरकार एण्ड कं०, 7ए. किरण शंकर राय रोड, द्वितीय तल, कोलकाता – 700001

वर्ष 2011-12 के दौरान शाखा लेखा निरीक्षकगण

मेसर्स लोधा एण्ड कं०, 14 गवर्मेंट प्लेस इस्ट, कोलकाता – 700069

मेसर्स राय घोष एण्ड एसोसिएटस, 39 कालना रोड, बादामतल्ला, बर्दमान, पिन – 713401

मेसर्स एल. बी. झा एण्ड कं०, जीएफ – 1, गिलेंडर हाउस, 8. नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता – 700001

मेसर्स यू. एस. साहा एण्ड कंपनी, 35. बाहिर सर्बमंगला रोड, बर्दमान – 713101

मेसर्स डी. पी . सेन एण्ड कंपनी, 22, आशुतोष चौधरी एभेन्यू द्वितीय तल, फ्लेट नं० 22 मगमा एपार्टमेंट, कोलकाता – 700019

कंपनी का रजिस्टर्ड कार्यालय

सीएमडी कार्यालय, सांकतोड़िया, पो०– डिसरगढ़, जिला : वर्दमान, पिन – 713333

दृष्टि विवरण

पर्यावरण एवं सामाजिक संपोषण का सम्मान करते हुए खदान से बाजार तक सर्वश्रेष्ठ पद्धति अपनाते हुए उर्जा सेक्टर में घरेलू नेतृत्व से विश्वव्यापी खिलाड़ी के रूप में स्थापित करना।

मिशन विवरण

खान सुरक्षा संरक्षण एवं गुणवत्ता का ध्यान रखते हुए कुशलता एवं मितव्ययिता पूर्वक योजनाबद्ध मात्रा में कोयले का उत्पादन करना।

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

(कोल इंडिया की एक सहयोगी संस्था)
अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक का कार्यालय
सांकतोड़िया, पो० डिसरगढ़, जिला : बर्दवान (प०ब०)
कंपनी सचिवालय

सन्दर्भ संख्या : ईसीएल/सीएस / 15 / (2012) / 9884 दिनांक : 18 मई, 2012

सूचना

यह सूचित किया जाता है कि ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के अंशधारियों की 37 वीं बैठक आगामी 21 मई, 2012 सोमवार को इसके पंजीकृत कार्यालय, सांकतोड़िया , पो०: डिसरगढ़, जिला : बर्द्धवान (पश्चिम बंगाल) में 4.00 बजे अपराह्न में निम्नलिखित कारोबार के लिए होगी :

सामान्य विषय :

1. **31 मार्च, 2011 को लेखा परीक्षित तुलन-पत्र तथा 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि तथा लेखा परीक्षकों एवं निदेशकों के प्रतिवेदन को प्राप्त विचार एवं स्वीकार करना ।**

2. श्री ए. के. सिन्हा, **निदेशक के स्थान पर एक निदेशक की नियुक्ति करना जो कंपनी संयोजन के अनुच्छेदों की धारा 33 (आई) (ई) (III) के अन्तर्गत सेवा निवृत होने वाले हैं तथा जो पुनर्नियुक्ति के योग्य है ।**

3. श्री डी. एन. प्रसाद, **निदेशक के स्थान पर एक निदेशक की नियुक्ति करना जो कंपनी संयोजन के अनुच्छेदों की धारा 33 (आई) (ई) (III) के अन्तर्गत सेवा निवृत होने वाले हैं तथा जो पुनर्नियुक्ति के योग्य है ।**

बोर्ड के आदेशानुसार

दिनांक : 18 मई, 2012

ह०- 15.05.12
(वी. आर. रेड्डी)
मुख्य प्रबंधक (वित्त)

पंजीकृत कार्यालय :

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक का कार्यालय

सांकतोड़िया, पत्रा : डिसरगढ़, पिन - 713333

जिला : वर्दमान (पं. बंगाल)

टिप्पणी :

(I) कोई सदस्य जो सम्मेलन में भाग लेने एवं मत देने के हकदार हैं वे अपने स्थान पर मत देने के लिए प्रतिनिधि की नियुक्ति कर सकते हैं एवं प्रतिनिधि के लिए सदस्य होना जरूरी नहीं है । बैठक के 48 घंटे पहले प्राप्त होने वाला प्राक्सी ही प्रभावी होगा ।

(II) सदस्यों से यह भी अनुरोध किया जाता है कि कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 171 (2) (I) के तहत अल्प सूचना पर बैठक बुलाने की स्वीकृति प्रदान की जाय ।

अध्यक्ष का कथन

मित्रों,

ईस्टर्न कोलफील्डस लि० के 37 वें वार्षिक सामान्य बैठक में आपका स्वागत करते हुए मुझे अपार खुशी है। निदेशकों का प्रतिवेदन, वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए लेखा परीक्षित लेखा के साथ साथ वैधानिक लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन एवं भारत के महालेखापरीक्षक की समीक्षा एवं रिपोर्ट आपके समक्ष प्रस्तुत है।

1) आज भारत विश्व में तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में से एक है। किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए उर्जा बड़े निर्धिष्टों में से एक है। भारत में कोयला उर्जा कारकों में प्रबल है, जिसका कुल बुनियादी उर्जा उत्पादन में 52% योगदान है। हमारी कंपनी गैर कोकिंग कोयले के उत्कृष्ट गुणवत्ता वाले कोयले का उत्पादन करने वाली कंपनी है, जो विभिन्न विद्युत संयंत्रों, इस्पात संयंत्रों, सीमेंट कारखाने इत्यादि की जरूरतों को पूरा करता है।

2) हमारी कंपनी की रणनीतिक दृष्टि यह है कि पर्यावरण एवं सामाजिक दायित्व का ख्याल रखते हुए उत्पादन में बढ़ोत्तरी, प्रतियोगितात्मक एवं लाभदायकता के साथ खुद को त्वरित विकास के पथ पर स्थापित करना।

3) वित्तीय वर्ष 2011-12 खासकर हमलोगों के लिए चुनौतीपूर्ण था। हमने सकारात्मक उत्पादन वृद्धि के साथ वर्ष की शुरूआत की लेकिन वर्ष की दूसरी तिमाही में भारी वर्षा के कारण हमारा उत्पादन बुरी तरह प्रभावित हुआ। 2011 के अक्टूबर के बाद उत्पादन ने पुन: गति पकड़ी। इस वर्ष का कोयला उत्पादन 30.559 मिलियन टन रहा। वर्ष के दौरान हमने रू. 10695.11 करोड़ के कंपनी के अबतक के उच्चतम टर्नओवर रू. 962.13 करोड़ के उच्चतम लाभ, 60.467 मिलियन घनमीटर के उच्चतम ओबीआर निष्काषण तथा 30.83 मिलियन टन के अबतक के उच्चतम आफटेक को कायम करके कंपनी के इतिहास में मील का पत्थर स्थापित किया है।

4) वर्ष 2011-12 के दौरान दो परियोजनाएं – शंकरपुर (भूमिगत + खुली खदान) एवं खोट्टाडीह खुली खान की स्वीकृति बोर्ड से प्राप्त हुई।

5) भूमिगत खदानों से कोयला उत्पादन बढ़ाने के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। भूमिगत खदानों का मशीनीकरण करने के उद्देश्य से 113 की संख्या में एसडीएल एवं 24 एलएचडी की खरीद की गई है।

6) कोयले के उत्खनन के कारण पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का हमारी कंपनी द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है तथा वायु, जल एवं ध्वनि प्रदूषण, भूमि क्षय, जंगल कटाव इत्यादि पर नियंत्रण के लिए पर्याप्त निवारक कदम उठाए जा रहे हैं। ये निवारक कदम नियमित रूप से सभी मानकों, अधिनियमों एवं नियमों के प्रावधानों के मुताबिक उठाए जा रहे हैं, वर्ष 2011-12 के दौरान

कोयला उत्पादन

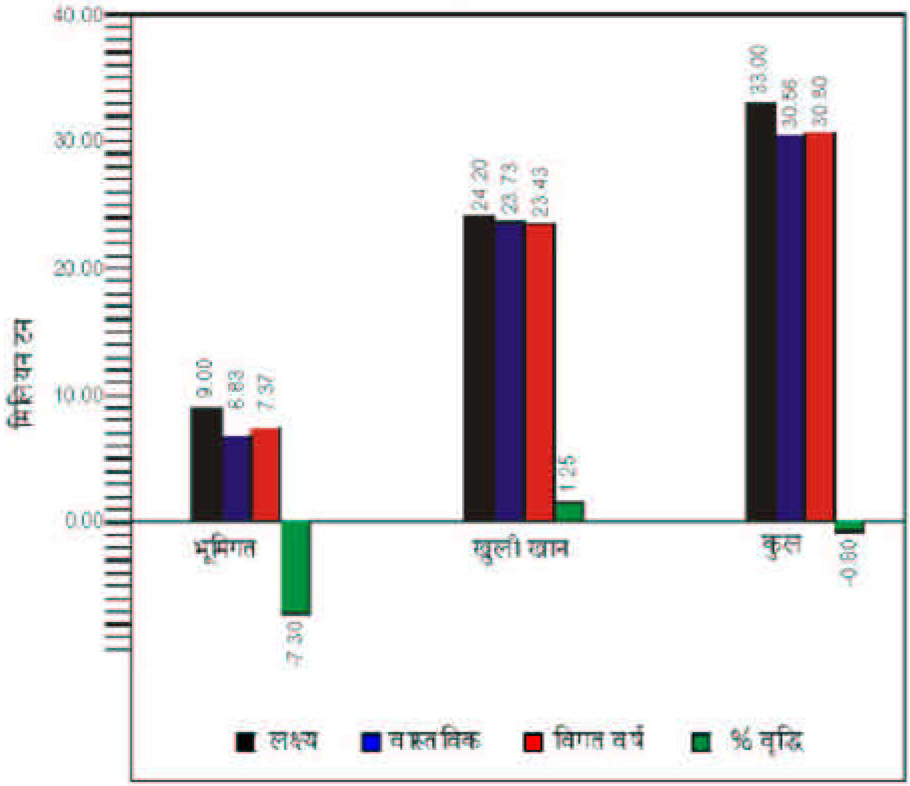

19 अप्रैल 2012 को ईसीएल मुख्यालय में कोयला मंत्री का आगमन

हमने 195000 की संख्या में वृक्षारोपण किया जिससे 78 हेक्टेयर भूमि आच्छादित हुई एवं उसपर रू.0.59 करोड़ खर्च हुए जब कि विगत वर्ष 62500 पौधे लगाए गए थे, 25 हेक्टर की भूमि आच्छादित हुई थी, जिसपर रू. 0.21 करोड़ खर्च हुए थे।

7) हम ईसीएल कमान क्षेत्र के चारों तरफ के गाँव में लगातार विकास एवं सीएसआर गतिविधियों के लिए प्रतिबद्ध हैं।

8) हमने खान सुरक्षा को हमेशा उच्च प्राथमिकता दी है, जो ईसीएल में कोर उत्पादन पद्धति के एक भाग के रूप में जाना जाता है। खान सुरक्षा मानकों में सुधार लाने के लिए ईसीएल ने वर्ष के दौरान कई उपायों पर कठोरता से कदम उठाया है।

9) हमारी कंपनी ने भारत सरकार के लोक उपक्रम विभाग द्वारा जारी केन्द्रीय लोक उपक्रम (सीपीएसई) के लिए कारपोरेट गवर्नेंस पर दिशा निर्देश की शर्तों का पालन किया है। जैसा कि उपरोक्त दिशा निर्देश के तहत आवश्यक है, निदेशकों के प्रतिवेदन में कारपोरेट गवर्नेंस पर एक अलग खंड शामिल किया गया है तथा वैधानिक लेखा परीक्षकों से एक अनुपालन प्रमाण पत्र लिया गया है।

10) हम वर्ष 2012-13 के दौरान 33 मिलियन टन से अधिक कोयला उत्पादन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं तथा हमें विश्वास है कि आने वाले समय में ईसीएल आगे बढ़ता रहेगा एवं सभी के सहयोग और हमारे अथक प्रयास से कंपनी बीआईएफआर से बाहर निकल जायगी।

मैं कोलइंडिया लि०, कोयला मंत्रालय, अन्य केन्द्रीय मंत्रालय तथा विभाग, राज्य सरकारों, सभी कर्मियों, मजदूर संगठनों, उपभोक्ताओं एवं आपूर्तिकर्ताओं को उनके द्वारा दिए गए पूर्ण समर्थन एवं सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूँ।

स्थान : सांक्तोड़िया
दिनांक : 21 मई, 2012

(राकेश सिन्हा)
अध्यक्ष

निदेशकों का प्रतिवेदन

सेवा में,

अंशधारीगण

ईस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड

सज्जनों,

अत्यन्त प्रसन्नता के साथ मैं निदेशक मंडल की तरफ से कंपनी का 37 वां वार्षिक प्रतिवेदन 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के अंकेक्षित लेखा, वैधानिक लेखा परीक्षकों एवं प्रबंधन का जवाब के साथ-साथ भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों के साथ प्रस्तुत कर रहा हूँ ।

क) वर्ष 2011-12 के लिए कंपनी के खुली खान कोयला उत्पादन में विगत वर्ष की तुलना में 1.25% की वृद्धि दर्ज की गई।

ख) ओबीआर का निष्काषण 60.305 घनमीटर रहा जो अब तक का उच्चतम रेकार्ड है एवं विगत वर्ष की तुलना में 7.22% की वृद्धि हुई।

ग) कंपनी ने वर्ष के दौरान 30.83 मिलियन टन का आफटेक प्राप्त किया जो अब तक का उच्चतम रेकार्ड है एवं विगत वर्ष की तुलना में 3.67% अधिक रहा।

घ) उत्पादकता विगत वर्ष की तुलना में 4.81% अधिक रहा।

ङ) वर्ष के दौरान विक्रय वसूली रू 9528.16 करोड़ रहा जो विगत वर्ष की तुलना में 31.23% का सुधार दर्शाता है। यह अबतक का उच्चतम रहा।

च) प्रथम बार कंपनी ने लाभ अर्जित करने में हैट्रिक प्राप्त किया।

छ) कंपनी ने पहलीबार 30 मिलियन टन से अधिक कोयला उत्पादन करके हैट्रिक कायम किया।

ज) कंपनी ने पहली बार रू. 10695.11 करोड की उच्चतम कुल बिक्री एवं रू. 962.13 करोड का उच्चतम लाभ कमाया।

1.0 उत्पादन :

1.1 विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2011-12 के दौरान लक्ष्य की तुलना में कंपनी का उत्पादन निष्पादन निम्नलिखित है –

(आंकड़े मिलियन टन में)

मद	यूनिट	2011-2012 लक्ष्य	2011-2012 वास्तविक	प्राप्ति %	2010-2011 वास्तविक	गत वर्ष तुलना में की बढ़ोत्तरी निरपेक्ष	गत वर्ष तुलना में की बढ़ोत्तरी प्रतिशत
1. उत्पादन : (एम टन)							
i. कच्चा कोयला							
भूमिगत		9.00	6.834	75.93	7.372	–0.538	–7.30
ओसीपी		24.00	23.725	98.85	23.432	0.293	1.25
कुल		33.00	30.559	92.60	30.804	–0.245	–0.8
2) कोकिंग कोल							
II) ब्लेन्डेबल		0.020	0.010	51.18	0.007	0.003	48.53
अन्य		0.043	0.041	94.75	0.039	0.001	3.21
II) गैर कोकिंग कोल		32.937	30.508	92.62	30.757	–0.250	–0.81

आंकड़े एम घन मीटर में

2. ओबी निष्कासन	60.999	60.305	98.86	56.246	4.059	7.22

3 उत्पादकता (ओएमएस) (आंकड़े टन में) :

भूमिगत	0.567	0.442	77.94	0.45	–0.008	–1.79
खुली खदान	8.856	8.641	96.87	8.145	0.496	6.09
समग्र	1.777	1.677	94.40	1.60	0.077	4.81

1.2. बाधाए :

कारण वार उत्पादन में हानि	वास्तविक (31.3.12 को)	वास्तविक (31.3.11 को)
i) विद्युत	0.316	0.245
ii) अनुपस्थिति	0.362	0.262
iii) श्रमिक अशांति	0.152	0.620
iv) अन्य बाधाएं	3.852	2.065
कुल	4.682	3.192

मद	2011 - 2012 लक्ष्य	वास्तविक	प्राप्ति %	2010-2011 वास्तविक	गत वर्ष तुलना में की बढ़ोत्तरी निरपेक्ष	प्रतिशत
1.3 तंत्र क्षमता उपयोगिता : (प्रतिशत में)						
क) भूमिगत	82.17	62.43	75.98	67.25	–4.82	–7.17
ख) ओसीपी(विभागीय)	121.26	116.66	96.21	114.28	2.38	2.08
ग) ओबीआर(विभागीय)	108.96	82.16	75.40	85.89	–3.73	–4.34
घ) ओसीपी (कोल ओबीआर)	112.07	89.61	79.96	92.29	–2.68	–2.90
ङ) ओसी (कोल) भाड़े का	278.30	292.72	105.18	100.26	192.46	191.96
च) ओसी (ओबीआर) भाड़े का	274.10	408.80	149.14	110.50	298.30	269.95
छ) ओसी (कोल+ ओबीआर) भाड़े का	332.13	467.94	140.89	115.28	352.66	305.92
ज) समग्र (यूजी+ओसी) (भाड़े+विभागीय)	136.13	133.88	98.34	96.97	36.91	38.06

2.0 वित्तीय परिणाम :

2.1. 31 मार्च, 2012 को कंपनी का सकल विक्रय विगत वर्ष के रू 7139.32 करोड़ की तुलना में रू. 10695.11 करोड़ था, परिणामस्वरूप विगत वर्ष की तुलना में 49.81% प्रतिशत की वृद्धि रही। कंपनी का लाभ विगत वर्ष के रू. 106.57 करोड़ की तुलना में रू. 962.13 करोड़ था ।

विवरण निम्नलिखित है –

(आंकड़े करोड़ रू पये में)

	2011-2012	2010-11
अधिकारियों का पीआरपी/ सेवा निवृति लाभ, ब्याज, मूल्य, ह्रास, हानि, ओबीआर, पूर्वावधि समंजन एवं विभिन्न लाभ कर तथा एनसीडब्ल्यूए- VIII के पहले लेकिन सभी खर्चों को चार्ज करने के पश्चात लाभ (+)/हानि (-)	2220.44	846.04
न्यून : पीआरपी / अधिकारी / सेवा निवृति लाभ	43.07	73.84
न्यून : बीमांकक प्रावधान (एस 15)	708.57	219.97
न्यून : ब्याज	0.16	1.01
न्यून - मूल्य ह्रास / हानि / खदान बंदी प्रावधान	258.32	280.57
न्यून : ओबीआर समायोजन	248.19	164.08
ब्याज एवं मूल्य ह्रास, हानि एवं ओबीआर समायोजन पश्चाद लाभ (+) / हानि (-)	962.13	106.57
न्यून : पूर्वावधि समंजन	0.00	0.00
पूर्व समंजन पश्चात	962.13	106.57
नकद लाभ	2251.36	745.36

2.2 पूंजीगत व्यय :

आलोच्य वर्ष के दौरान कुल पूंजीगत व्यय वर्ष 2010-11 के रू० 184.93 करोड़ की तुलना में रू० 332.96 करोड़ (विनिमय उतार - चढ़ाव छोड़कर) था।

(आंकड़े करोड़ रू. में)

2.3 पूंजीगत संरचना :

	2011-2012	2010-11
क. अंश पूंजी :		
I. अधिकृत अंशपूंजी (रू. 1000 प्रत्येक के 2,50,00,000 इक्विटी शेयर)	2500.00	2500.00
II. प्रदत्त अंशपूंजी (रू. 1000 प्रत्येक के 22184500 शेयर)	2218.45	2218.45
ख. ऋण निधि		
I. कोल इंडिया लिमिटेड (नियंत्रक कंपनी)	518.97	518.97
II. निर्यात विकास कार्पोरेशन कनाड़ा	155.69	141.56

2.4 विदेशी ऋणों का पुन: भुगतान **:**

	2011-12	2010-2011
I. कोल इण्डिया के माध्यम से विदेशी ऋण की वापसी	4.43	4.35

(रू. करोड़ में)

2.5 रॉयल्टी, सेस स्टोइंग, **विक्रय कर का वर्ष के दौरान भुगतान समंजन :**

(रूपया करोड़ में)

	2011-2012	**2010-2011**
I. कोयले पर रॉयल्टी	189.44	161.69
II. कोयले पर सेस	1509.45	857.02
III. विक्रय कर केन्द्रीय एवं राज्य	321.06	209.95
IV. बालू भरण उत्पाद शुल्क	29.03	29.19
V. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	413.40	33.92
कुल –	**2462.38**	**983.62**

2.6. निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण :

कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 217 की उपधारा 2 ए ए के तहत कंपनी के निदेशक मंडल यह कहते एवं सुनिश्चित करते हैं कि :-

क) 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखा को तैयार करने में सामग्री प्रेषण से संबंधित लेखा मानकों का पालन उचित व्याख्या के साथ किया गया है ।

ख) निदेशकों ने ऐसे लेखाकंण नीति को चुना एवं उन्हें सुसंगत तरीके से लागू किया और न्याय तथा आंकलन किया साथ ही मूल्य परक एवं बुद्धिमतापूर्वक प्रयोग किया कि वे एक सत्य स्पष्ट कार्यकलाप को कंपनी के वित्तीय वर्ष के अन्त में उस काल के लाभ के साथ पेश करें ।

ग) कंपनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के तहत निदेशकों ने यथेष्ट लेखांकन रेकार्ड को सही एवं पर्याप्त सावधानी से लागू किया है जिससे कंपनी के परिसम्पति की रक्षा हो सके तथा धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं से बचाव हो सके ।

उत्पादकता

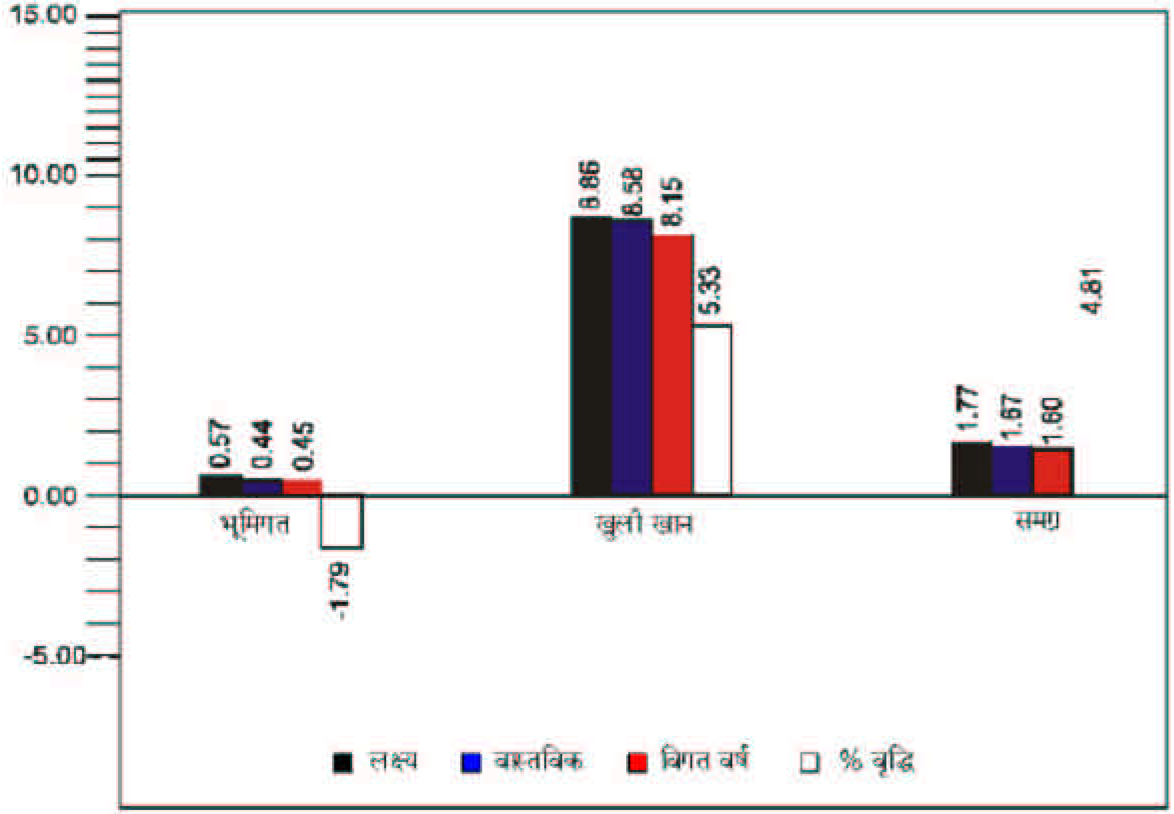

जनशक्ति

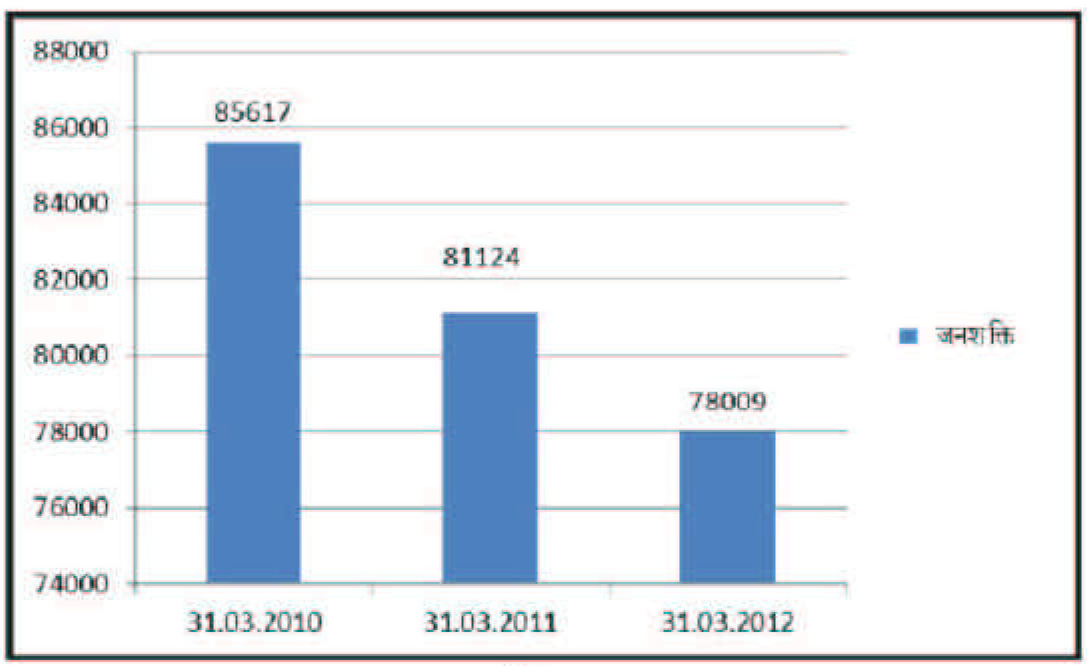

कारणवार उत्पादन में हानि

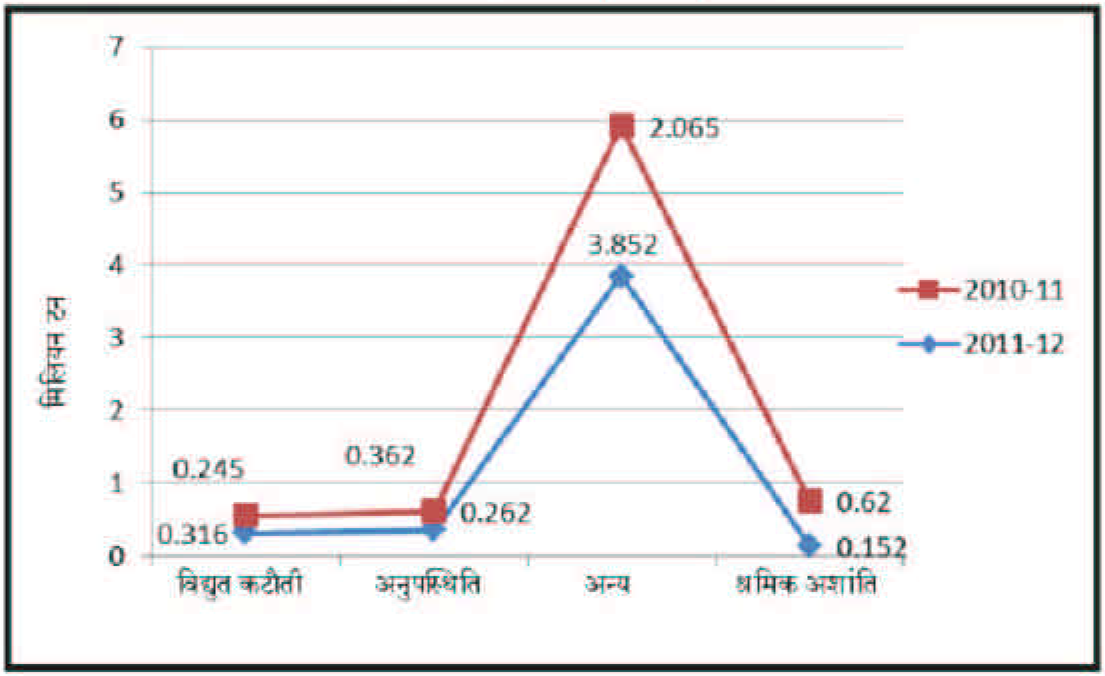

ईसीएल क्रीड़ांगन में गणतंत्र समारोह

घ) निदेशको ने वार्षिक लेखा की तैयारी चालू आधार पर किया है ।

3.0 योजना :-

3.1 संचालन का अधिकार क्षेत्र :

संचालन का खनन पट्टा क्षेत्र करीब 753 वर्ग कि.मी. है जिसमें से सतह अधिकार क्षेत्र करीब 237.18 वर्ग कि.मी. है। ईसीएल का संचालन अधिकार क्षेत्र दो राज्यों – प० बंगाल एवं झारखण्ड में है। रानीगंज कोयला क्षेत्र प. बंगाल के वर्दमान, बांकुड़ा तथा पुरुलिया जिले में फैला हुआ है जबकि झारखंड के देवघर जिले में स्थित साहाजुड़ी कोयला क्षेत्र एस.पी. माईन्स के रूप में कार्यरत है। झारखंड के गोड्डा जिले में स्थित हुरा कोयला क्षेत्र है जहाँ ईसीएल का सबसे बड़ा ओपनकास्ट माईन राजमहल यहाँ संचालित है। रानीगंज कोयला क्षेत्र का हृदय स्थल अजय नदी के उत्तर मे स्थित है जबकि मेजिया एवं परबेलिया दामोदर नदी के दक्षिण स्थित है। धनबाद जिले में मुगमा क्षेत्र बराकर नदी के पश्चिम स्थित है। कोल सीम का निर्माण मुख्य रूप से ईसीएल में 2 क्रम में हुआ है – रानीगंज मीजर्स एवं बराकर मीजर्स। रानीगंज मीजर्स के अन्तर्गत रानीगंज – पांडवेश्वर का पूरा कोयला क्षेत्र, कजोड़ा, झांझरा, बंकोला, केन्दा, सोनपुर, कुनुस्तोड़िया, सतग्राम, श्रीपुर, सोदपुर एवं सलानपुर क्षेत्र का आंशिक भाग आता है। बराकर मीजर्स के अन्तर्गत दो क्षेत्र सलानपुर एवं मुगमा, एस. पी. माइन्स तथा राजमहल मुख्य रूप से बराकर मीजर्स एवं तालचेर सिरीज से जुड़े है।

3.2 वर्ष 2011-12 के लिए योजनाबद्ध तथा वास्तविक कोयला उत्पादन एवं वर्ष 2012-2013 के लिए योजनाबद्ध उत्पादन निम्नलिखित है :-

	2011-12 लक्ष्य (बीई)	2011-12 संशोधित लक्ष्य (आरई)	वास्तविक	2010-11 के वास्तविक	2012-13 के लिए योजना
I. उत्पादन मिलि टन	33.00	31.00	30.56	30.80	33.00
II. समग्र उत्पादकता (टन)	1.78	1.65	1.68	1.60	1.874
III. योजना खर्च (रू करोड़ में)	400.00	250.00	315.80	184.93	450.00

3.3 भू वैज्ञानिक खोज एवं वेधन (ड्रिलिंग)

वर्ष 2011-12 के दौरान सी. एम. पी. डी. आई. एल द्वारा 27500 मीटर के संशोधित लक्ष्य के स्थान पर 28920 मीटर वेधन किया गया। विस्तृत विवरण निम्नलिखित है -

(मीटर में)

ड्रिलिंग एजेन्सी	2011-12	2010-11		2010-11	2012-13
	लक्ष्य	वास्तविक	वास्तविक	वास्तविक	लक्ष्य
सीएमपीडीआईएल	27500	27500	28920	31779	28000

3.4 अनुसंधान एवं विकास कार्य :

3.4.1. सीआईएल अनुसंधान एवं विकास परियोजना ।

सीआईएल अनुसंधान एवं विकास परियोजना के कार्यान्वयन की स्थिति संलग्नक-1 में दिया गया। (अलग विवरण)

3.4.2. एस एण्ड टी परियोजना :

कोयला मंत्रालय के एस. एण्ड टी अनुदान के तहत चालू एस एण्ड टी रिसर्च प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन की स्थिति का विवरण संलग्नक - II में अलग है।

3.5 कोयला उद्योग का आधुनिकीकरण :

2011-12 के दौरान एलएचडी / एसडीएल के साथ मध्यवर्ती तकनीक के तहत 58 भूमिगत खदानों में आधुनिकीकरण एवं यांत्रिकीकरण का प्रयास जारी रहा। 31.3.2012 को विभिन्न भूमिगत खदानों के रोल में 200 एसडीएल एवं 37 एलएचडी थे। 2011-12 में 200 एसडीएल से कोयला उत्पादन 2.899 मिलियन टन एवं 37 एलएचडी से 1.069 मिलियन टन था।

एसडीएल / एलएचडी की तैनाती द्वारा मध्यवर्ती तकनीक के अलावा ईसीएल में लोडिंग संचालन कार्य में व्यापक उत्पादन तकनीक भी चालू की गई। झांझरा एवं सारपी में शटल कार के साथ कंटीनुअस माईनर चालू किया गया। 2011-12 के दौरान कंटीनुअस माईनर से उत्पादन क्रमशः झांझरा में0.275 मिलियन टन एवं सारपी में 0.504 मिलियन टन था।

3.6 भूमिगत उत्पादन में सुधार हेतु उठाए गए कदम :

विभिन्न संचालन बाधाओं, अपर सीम के लिक्वीडेशन, कार्गिंग के लिए भूमि की उपलब्धता के मद्देनजर भूमिगत उत्पादन में सुधार लाने के लिए खासकरXI / XII वी योजना में व्यापक उत्पादन तकनीक चालू की गई, जैसे झांझरा में कंटीनुअस माईकर का दूसरा सेट, खोट्टाडीह, तीलाबनी, शंकरपुर, पांडवेश्वर, डालुरबाँध तथा कुमारडीही बी के लिए कंटीनुअस माईनर के दूसरे सेट हेतु ईसीएल बोर्ड की मंजूरी मिल चुकी है। मेसर्स बुसाईरस डीबीआई जीएमबीएच, जर्मनी के नाम 28.5.2011 को एल ओ आई

सकल विक्रय (रू. करोड़ में)

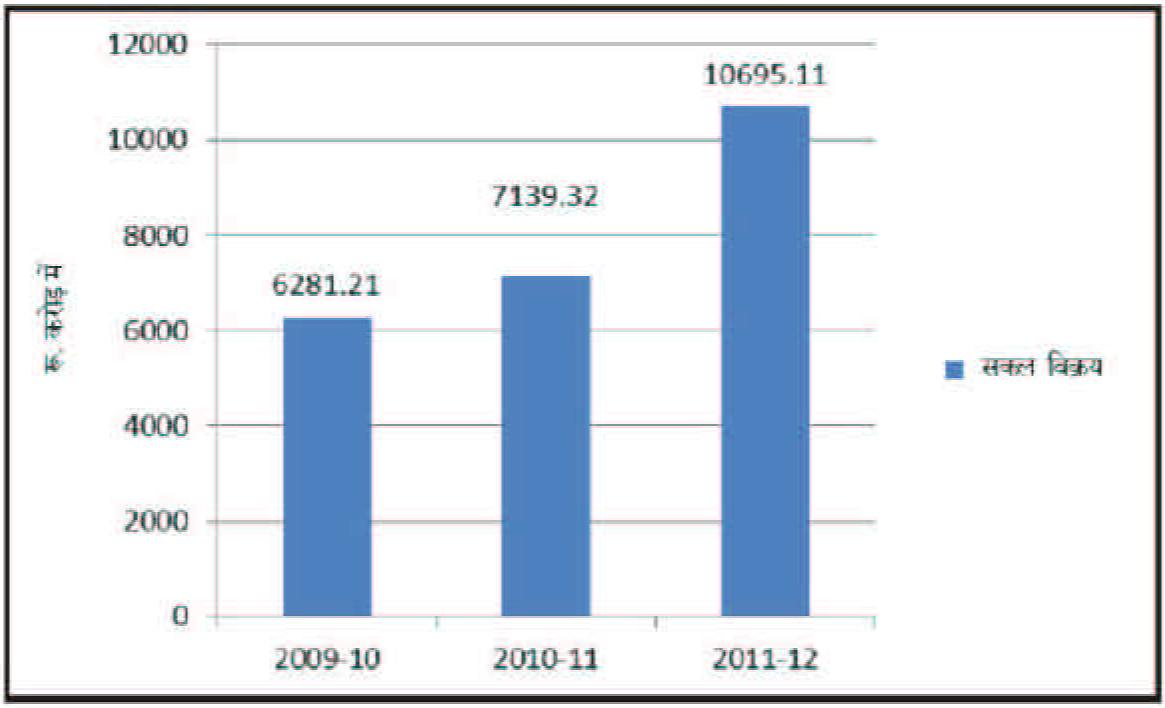

कर पश्चात लाभ (रू. करोड़ में)

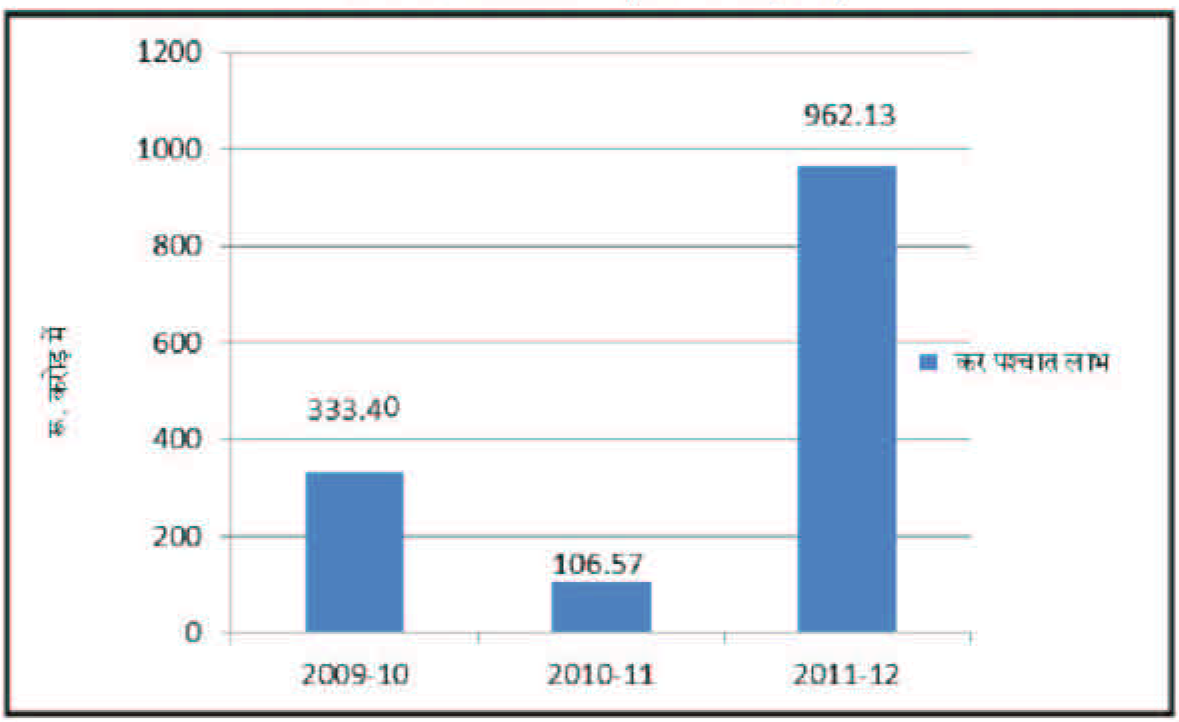

जारी कर दी गई है। झांझरा में दूसरे सेट के कंटीनुअस माईनर हेतु रू. 147.25 करोड़ की पूंजी निवेश के साथ सीआईएल बोर्ड की मंजूरी 13.5.2011 को मिल गई।

खोट्टाडीह यूजी में 0.60 एमटीवाई के वार्षिक क्षमता में कंटीनुअस माईनर चालू करने हेतु सीआईएल बोर्ड ने परियोजना रिपोर्ट की मंजूरी दे दी। एक प्री-नेट बैठक 22.3.2012 को सम्पन्न हुई। उपरोक्त कंटीनुअस माईनर चालू करने के लिए जोखिम लाभ भागीदारी आधारित विश्वव्यापी निविदा हेतु कदम उठाए गए है जिसके साथ इन खदानों में बड़ी विकास गतिविधियाँ भी शामिल है।

2011-12 में यांत्रीकृत उत्पादन स्तर में सुधार हेतु 113 एसडीएल (70 रीप्लेसमेंट एवं 43 अतिरिक्त) तथा 24 यूडीएम की खरीद की गई है। इसके अलावा कुछ भूमिगत खदानों को लोडरविहीन खदान में बदलने के लिए 4 एलएचडी के लिए आर्डर रखे गए है। रूफ के उचित सपोर्ट के साथ फेस पर कोल प्रीपेरेशन हेतु उचित डिस्ट्रिक्ट साईज की उपलब्धता पर मुख्य रूप से बल दिया जा रहा है ताकि मशीन की उत्पादकता अपेक्षित स्तर तक बढ़ाया जा सके जो उत्पादन बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। बड़ी विकास गतिविधियाँ जैसे ड्रिफ्ट ड्रीभेज, सिंकिंग एवं डीपनिंग आफ शैफ्ट, न्यू स्टोविंग इंस्टालेशन, स्टोविंग हेतु बोरहोल की ड्रीलिंग तथा डीवाटरिंग आफ डीप साईड आफ वर्किंग इत्यादि की पहचान की गई है तथा इन कार्यों को पूरा करने के लिए समयबद्ध कदम उठाए जा रहे है ताकि भूमिगत उत्पादन में बढ़ोत्तरी हो सके।

झांझरा के आर-VI सीम में उच्च क्षमता पीएसएलडब्ल्यु चालू करने के लिए मेसर्स कोडको, चाईना के नाम एलओआई जारी किया गया है जिसकी रेटेड क्षमता 1.70 एमटीवाई होगी।

3.7 वर्ष के दौरान ईसीएल के निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या एवं परियोजना का नाम :

परियोजनाएं :

परियोजना का नाम	पूंजीगत व्यय (रू. करोड़ में)	क्षमता (एमटीवाई)	स्थिति
शंकरपुर (ओसी+यूजी)	349.54	ओसी-2.00 यूजी-1.163	16.5.2011 को ईसीएल बोर्ड की मंजूरी।
खोट्टाडीह ओसीपी का परियोजना रिपोर्ट	19.26	1.50	07.11.2011 को ईसीएल बोर्ड की मंजूरी।

3.8 वर्ष के दौरान सीआईएल निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या एवं परियोजनाओं का नाम :

क्रम	परियोजना का नाम	क्षमता (एमटीवाई	स्वीकृत पूंजी निवेश	स्वीकृति की तिथि
1	खोड्डीह सीएम	0.51	122.35	13.5.2011 को सीआईएल बोर्ड की मंजूरी
2	झांझरा दूसरा सेट सीएम के लिए अद्यतन लागत आकलन	0.51	147.25	13.5.2011 को सीआईएल बोर्ड की मंजूरी

3.9. परियोजना का सूत्रपात :

परियोजनाओं के लिए डीपीआर तैयार किया गया है।

1. पांडवेश्वर डालुरबांध सीएम : 1.02 एमटीवाई
2. कुमारडीही बीसीएम : 0.51 एमटीवाई।
3. चित्रा विस्तार ओसी : 5.00 एमटीवाई।

3.10. विदेशी सहयोग एवं तकनीकी अधिग्रहण : शून्य

i) झांझरा यूजी में सीएम दूसरा सेट – मे० बुसाईरस डीबीटी जीएमबीएच के नाम 28.5.2011 को एलओआई जारी किया गया।

ii) झांझरा आर - VI सीम पीएसएल डब्ल्यु – मे० कोडको के नाम लांगवाल पैकेज हेतु एलओआई जारी किया गया।

3.11. योजना विकास द्वारा पूरा किया गया कार्य शून्य

i) वर्ष 2011-12 के दौरान निम्नलिखित ओसी पैचों को वाह्यश्रोत द्वारा संचालित किया गया –
(क) हंसडीहा फेज - II ओसी पैच, (ख) नारायणकुड़ी ओसी पैच, (ग) कपासारा ओसी पैच, (घ) डाबर फेज II ओसी पैच।

ii) वर्ष 2011-12 हेतु निम्नलिखित ओसी पैचों की वाह्यश्रोत के लिए तकनीकी कमीटी द्वारा स्वीकार किया गया –

1) जामबाद ओसीपी (कजोड़ा क्षेत्र) : 3.1.2012 को तीन वर्षों के लिए ओबी निष्कासन 10.90 मिलियन घन मीटर।

2) नार्थ सियारसोल पैच (कुनुस्तोड़िया क्षेत्र) : कोल एवं ओबी 15.12.2011 को

3) लोहंडिया पैच (राजमहल क्षेत्र) – ओबी निष्कासन के लिए 15.11.2011 को।

4) नकड़ाकोंदा बी ओसी पैच (बंकोला क्षेत्र) – कोल एवं ओबी निष्कासन के लिए तीसरा डेवीएशन – 20.10.2011 को।

5) सिमलांग ओसी सेक्टर – II, III एवं IV (राजमहल क्षेत्र) तथा वर्तमान सिमलांग (राजमहल क्षेत्र) का शेष भाग – दिनांक 01.10.2011

6) नकड़ा कोंदा बी विस्तार ओसी पैच – कोल एवं ओबीआर – 23.5.2011 को।

7) कारी 2 ए – सोनपुर बजारी क्षेत्र – कोल एवं ओबीआर – 04.4.2011 को।

iii) आर एण्ड डी प्रस्ताव – वायरलेस नेटवर्क (फेज – II) का उपयोग करते हुए भूमिगत खदानों में रूफ फाल भविष्यवाणी का विकास – फार्म – 1 ए आई आई टी, खड़गपुर के नाम 22.3.2012 को जारी किया गया।

iv) भूमिगत यांत्रीकृत रूफ बोल्टिंग / ड्रिलिंग सिस्टम मे देशी विकास में नवीकरण परियोजना पूर्ण हुआ (एमओयू लक्ष्य – जनवरी 2012)। एसडीएल बकेट के साथ जोड़ने के लिए ड्रिल मशीन विकसित किया गया है। इसका उपयोग मुगमा क्षेत्र के श्यामपुर बी कोलियरी में हो रहा है, केन्दा क्षेत्र में एक सर्वे आफ किए गए टीआरएफ मेक एसडीएल को रूफ बोल्टिंग मशीन में बदला गया है, जो संतोषजनक कार्य कर रहा है।

3.12. बड़ी परियोजनाएं / योजनाएं :

i) नई परियोजनाओं की संख्या - 1 खोट्टाडीह सीएम : क्षमता 0.51 एमटीआर।

ii) विस्तार / संशोधन / पुनर्गठन / समयपूर्व बंद परियोजनाएं - चालू परियोजनाएं – 17, न्यू प्रोजेक्ट खोट्टाडीह सीएम सहित, परियोजना का समय पूर्व समापन – जे के नगर यूजी प्रोजेक्ट सीआईएल बोर्ड के ईएससी द्वारा 1.8.11 को स्वीकृत। फोरक्लोज्ड क्षमता – 0.290 एमटीआई, फोरक्लोज्ड पूंजी – रू.54.06 करोड़, फोरक्लोजर की तिथि मार्च, 2010.

iii) अन्य 00

iv) कुल : चालू परियोजनाएं 17

v) सरकारी / सीआईएल स्वीकृति हेतु लंबित परियोजना – 1 सोनपुर बजारी संयुक्त ओसी : 8 एमटीवाई, अनुमानित पूंजी – रू. 1055.00 करोड़।

3.13. पूर्ण हुई परियोजना - झांझरा सीएम-1 के पूर्ण हुई परियोजना रिपोर्ट सीआईएल के पास ईसीएल द्वारा13.5.2011 को स्वीकृत क्षमता 0.4375 एमटीवाई आकलित पूर्णत: लागत - रू. 93.52 करोड़, पूर्णता की संभावित तिथि - सितंबर 2010.

3.14 परियोजना मॉनिटरिंग एवं कार्यान्वयन की स्थिति :

विस्तृत विवरण संलग्नक - III के साथ। (अलग से)

3.15 वर्ष 2011-12 के दौरान किए गए अन्य कार्य :

क्रम.सं.	कार्य का नाम	की गई कार्रवाई	उपलब्धि स्तर
1	नए / विस्तार परियोजना की स्वीकृति द्वारा क्षमता निर्माण स्टेज - 1 स्वीकृति हेतु आवेदन प्रारंभ करने के लिए बोर्ड की कंटीनुअस माईनर के लिए एमओईएफ स्वीकृति।	 शंकरपुर खदान यूजी 1.163 एमटीवाई ईसीएल बोर्ड द्वारा16.5.11 को स्वीकृत। 21.9.11 को ईसी स्वीकृति हेतु फार्म - I एमओईएल के पास समर्पित।	 प्राप्त किया
2	सोनपुर बजारी की अंतिम स्वीकृति स्टेज - II	सोनपुर बजारी की स्टेज - I स्वीकृति 28.01.11 को दी गई। क्षमता8.0 एमटीवाई परियोजना रिपोर्ट की वित्तीय समीक्षा प्राईसवाटर कूपर्स द्वारा एवं ईसीएल बोर्ड द्वारा स्वीकृत। इसे सीआईयल के ईएससी के समक्ष प्रस्तु करने हेतु 20.3.2012 को भेजी गई।	सीआईएल बोर्ड की स्वीकृति प्रतीक्षारत।
3	नए / विस्तार परियोजनाओं को चालू करने / पूर्णता।	हंसडीहा पैच-II, सोनपुर बजारी क्षेत्र, क्षमता 1.25 एमटीवाई, पूंजी रू. 16.57 करोड़।	जून 2011 मे चालू की गई।
4	ईसीएल के सुधार योजना की तैयारी समेत लंबी अवधि कार्य योजना पुनरीक्षण / रूपांतर	ईसीएल सुधार योजना के तैयारी समेत लंबी अवधि कार्ययोजना पुनरीक्षण / रूपांतर सितंबर 2011 के भीतर तैयार कर लिया गया है।	प्राप्त किया।
5	सोनपुर बजारी में (8.0 एमटीवाई) वाशरी के निर्माण हेतु निविदाकरण	आरपीएफ दस्तावेज (एनआईटी सं०-ईसीएल / मु० / पीएण्ड पी / सोनपुर बजारी (वाशरी) / 04 दिनांक 22.12.11 को 29.12.11 से चालू किया गया।	प्राप्त किया।

क्रम.सं.	कार्य का नाम	की गई कार्रवाई	उपलब्धि स्तर
6	चित्रा में 2.5 (एमटीवाई) वाशरी के निर्माण हेतु निविदाकरण	आर पीएफ बोली दस्तावेज सीएमपीडी आईएल रांची मे तैयार हो रहा है।	कार्य प्रगति पर।
	राजमहल में बाराभोराई गांव को ललमटिया ओबी डंप में शिफ्ट करना।	ललमटिया ओबी डंप में रहैंडलिंग कार्य पूर्ण हुआ / स्थल का प्लाटिंग कार्य किया गया। योग्य पीएएफ की बीच क्षतिपूर्ति का वितरण कार्य शुरु हो चुका है।	स्थल पर गृह निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका
7	चित्रा ईस्ट ओसीपी में सीएचपी के लिए निविदा का फाईनल	12.10.11 को निविदा जारी की गई। पार्ट–I खोला गया जिसकी छानबीन हो रही है।	प्राप्त किया।
	मास्टर कंट्रोल नेटवर्क की तैयारी	1) झांझरा दूसरा सेट कंटीनुअस माईनर। 2) झांझरा फेज – II पीएसएडब्ल्यु 3) सारपी आगुमेंटेशन ओसी 4) राजमहल विस्तार ओसी। मास्टर कंट्रोल नेटवर्क तैयार कर लिया गया।	प्राप्त किया।
8	एमओएसपीआई में प्रोजेक्ट डाटाबेस का आनलाईन अपडेटिंग (प्रोजेक्ट कास्टिंग की सं० रू. 150 करोड़ से अधिक)।	एमओ एसपीआई में प्रोजेक्ट डाटाबेस का आनलाईन आपडेटिंग (प्रोजेक्ट कास्टिंग की संख्या रू. 150 करोड़ से ज्यादा झांझरा फेज II लेंगबाल (यूजी) एवं राजमहल विस्तार ओसी– प्रारंभ हो चुका।	प्राप्त किया।
9	चालू परियोजनाओं से वार्षिक उत्पादन।	लक्ष्य : 0.9 एमटी	1.128 एमट प्राप्त

4.0 प्रबंधन की चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट :

प्रबंधन की चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट वार्षिक रिपोर्ट के अलग खंड में प्रस्तुत किया गया है। (अनुसूची – IV)।

5.0 कोयले का विपणन :

5.1 मांग एवं उठाव :

वर्ष 2011-2012 में 34.00 मिलियन टन की मांग की स्थान पर 30.83 मिलियन टन कोयले का वास्तविक उठाव हुआ जो मांग संतुष्टि का 91% है। वर्ष 2011-2012 में वर्ष 2010-2011 की तुलना में सेक्टर वार मांग एवं उठाव का विवरण निम्नलिखित है :

आंकड़े मिलियन टनों

	आफटेक 2011-2012			आफटेक 2010-2011		
सेक्टर	**मांग**	**वास्तविक**	**संतुष्टि%**	**मांग**	**वास्तविक**	**संतुष्टि%**
विद्युत	29.58	24.27	82.00	26.40	26.212	99.00
सिमेन्ट	0.15	0.14	93.00	0.17	0.157	92.00
सी.पी.पी (ओआरएस)	0.45	0.35	78.00	0.47	0.534	114.00
सी.पी.पी(स्टील)	0.46	0.42	91.00	0.47	0.465	99.00
स्टील (ब्लेंड)	0.06	0.01	17.00	0.06	0.007	12.00
स्पांज आयरन	0.58	0.31	53.00	0.90	0.329	37.00
निर्यात	0.02	0.00	0.00	0.02	0.00	00.00
लोको	0.01	0.00	00.00	0.01	0.001	10.00
कोलियरी खपत	0.40	0.341	85.00	0.40	0.38	95.00
अन्य	2.26	4.989	221.00	4.07	1.652	41.00
डीईएफ	0.03	0.00	0.00	0.03	0.38	95.00
कुल	**34.00**	**30.830**	**91.00**	**33.00**	**29.744**	**90.00**

द्रष्टव्य : मांग एएपी लक्ष्य के अनुसार :

5.2.0. वैगनों का प्रतिदिन लोडिंग

5.2.1. विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2011-2012 के दौरान वैगनों में क्षेत्रवार औसत लदान निम्नलिखित था ।

(आंकड़े एफ. डब्लू/दिन)

	वैगनों की लोडिंग			
	2011-12		2010-11	
	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक
रानीगंज	612	573	608	590
मुगमा / सालानपुर	109	147	91	122
आद्रा	20	20	20	26
पीरपैंती	40	62	30	65
राजमहल (वार्फ वाल)	0	71	0	0
कुल	781	873	749	803

5.3.0 **साधनवार प्रेषण –**

विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2011-2012 के दौरान वैगनों में क्षेत्रवार औसत लदान निम्नलिखित था ।

(आंकड़े लिमिलिन टन में)

	2011-2012	2010-2011
कच्चा कोयला :		
रेल	19.79	17.75
रोड	2.19	1.55
मेरीगो राउन्ड (एम. जी. आर)	8.51	10.06
कुल	**30.49**	**29.36**

5.4.0 विगत वर्ष की तुलना में 31 मार्च 2012 को क्षेत्रवार कोयले का भंडार निम्नलिखित था -

(आंकड़े मिलियन टन में)

	31.03.2012 को
रानीगंज	11.63
मुगमा / सालानपुर	3.69
एस पी माइन्स	0.80
राजमहल	24.34
कुल	**40.46**

5.5. स्पाट 'ई' आक्सन एवं फारवार्ड ''इ'' आक्सन :

प्रकार	2011-2012 प्रेषित मात्रा लाख टन	2011-2012 अनूसूचित मूल्य पर प्राप्ति रू करोड़ में	2011-2012 % प्राप्ति	2010-11 प्रेषित मात्रा लाख टन में	2010-11 अनूसूचित मूल्य पर प्राप्ति रू करोड़ में	2010-11 % प्राप्ति
स्पाट ''इ'' आक्सन						
रेल	25.37	237.41	28.8	5.54	40.76	28.74
सड़क	12.80	229.63	57.36	6.49	51.81	35.76
कुल	38.17	467.04	37.48	12.03	92.57	32.29
फारवार्ड ''इ'' आक्सन						
सड़क	0.55	9.5	98.95	0.03	0.22	52.38
कुल	0.55	9.5	98.95	0.03	0.22	52.38

5.6. विक्रय वसूली

(करोड़ रूपयों में)

विवरण	2011-12	2010-11
विक्रय वसूली	9528.16	7117.65

6.0 उपकरणों की संख्या (एच. ई. एम. एम.)

6.1 31.3.2011 की तुलना में 31.3.2012 को उपकरणों की संख्या एवं 2011-12 के दौरान बड़े मरम्मत / सुधार निम्नलिखित है :

उपकरण	31.03.2012	31.03.2011	2011-12 के दौरान उपकरणों की मरम्मत / सुधार लक्ष्य	उपलब्धि
डैमलाइन	1	1	—	—
डम्पर	232	221	—	—
डोजर	80	73	1	1

साधनवार कोयले का प्रेषण

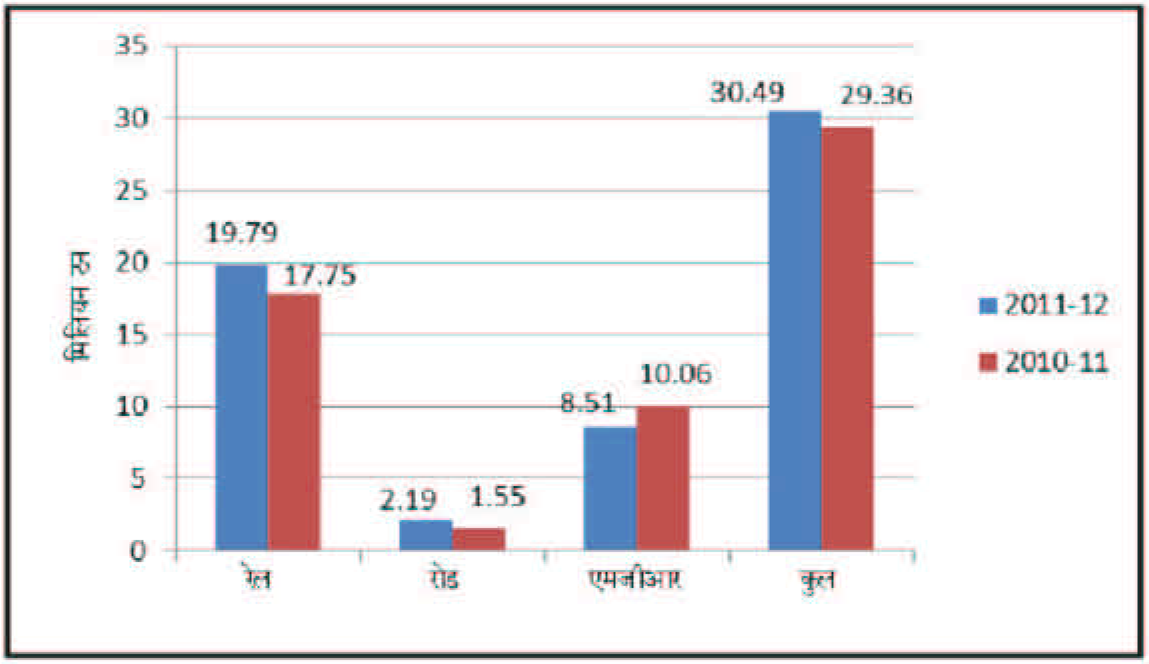

ईसीएल के कजोड़ा क्षेत्र में शॉवेल आपरेटर दुर्गा देवी

शाभेल	62	62	0	0
ड्रिल	41	41	1	1
कुल	**416**	**398**	**2**	**2**

6.2 विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2011-2012 के दौरान सीएमपीडीआईएल मानक के मुकाबले प्रत्येक क्षेत्र के प्रतिशत उपलब्धता की स्थिति निम्नलिखित रही :

उपकरण	उपलब्धता				उपयोगिता			
	सीएमपीडी आईएल मानक	**2011-12**	**2010-11**	**विगत वर्ष पर वृद्धि**	**सीएमपीडी आईएल मानक**	**2011-12**	**2010-11**	**विगत वर्ष पर वृद्धि**
ड्रैगलाईन	85	90.24	92.57	- 2.33	73	84.37	87.57	- 3.20
डम्पर	67	68.05	68.64	- 0.59	50	37.06	38.47	- 1.41
डोजर	70	72.41	73.05	- 0.64	45	29.97	27.51	2.46
शोभेल	80	74.32	73.77	0.55	58	45.59	47.23	- 1.64
ड्रिल	78	76.05	78.35	- 2.30	40	30.01	28.68	1.33

ड्रिल की प्रतिशत उपलब्धता अपर्याप्त रही क्यों कि 2 ड्रिल का बड़ा मरम्मत हो रहा था। रोटेशन मोटर, फीड पम्प एवं कुछ ड्रिलों में अंडर कैरेज की समस्या थी। जून 2011 से सितंबर 2011 के बीच भारी वर्षा के कारण उपकरण का प्रतिशत उपयोगिता अपर्याप्त रही।

डंपर उपयोगिता के सीमएपीडीआई मानक को प्राप्त करने हेतु उठाए गए कदम :

- उपकरण की विश्वसनीय को बढ़ाने की लिए कार्रवाई की गई।
- सर्वे ऑफ उपकरणों के रीप्लेसमेंट के लिए नए उपकरण की खरीद हेतु कार्रवाई की गई।
- परियोजनाओं के एचईएमएम निष्पादन की समीक्षा नियमित अन्तराल पर की जाती है तथा ब्रेकडाउन को को टालने के लिए मुख्यालय से जरूरी सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
- एचईएमएम के अचानक ब्रेकडाउन का सामना करने के लिए जटिल / बड़े सामग्रियों को तैयार रखा जाता है।

6.3 वर्ष 2011-2012 के दौरान ओसीपी को उपलब्ध कराये गये नए / बदली उपकरण :

उपकरण	संख्या	परियोजना
डम्पर	34	सोनपुर - 16, राजमहल - 4, बेलबाद - 1, महावीर-2, चित्रा - 7, खोड़ाडीह - 1, गोपीनाथपुर - 1 एवं बसुरी - 2
शोभेल	05	खोड़ाडीह - 1, जामबाद-1, महावीर-1, मोहनपुर-1, राजपुरा - 1
डोजर	08	राजमहल - 1, बेलबाद - 1, शंकरपुर-1, सोनपुर बजारी - 1, खोड़ाडीह - 1, जामबाद - 1, चित्रा-1 एवं गोपीनाथपुर - 1

7.0 उर्जा संरक्षण :

एचईएमएम की % उपयोगिता

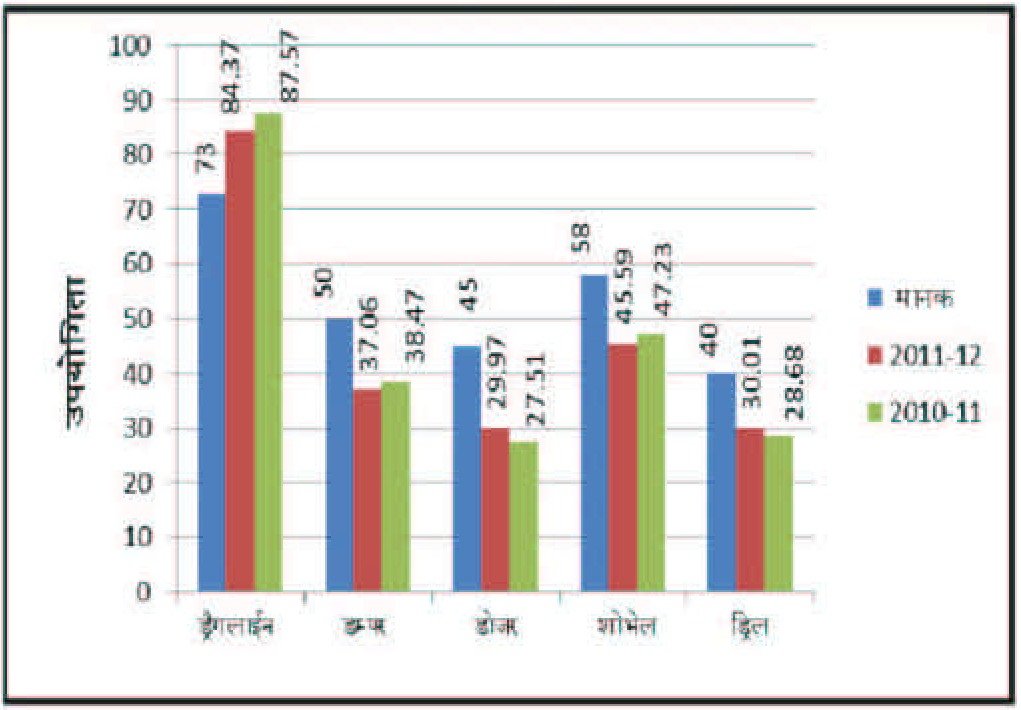

राजमहल में 170 टन डम्पर के साथ रोप शोभेल

7.1.1. विद्युत एवं इंधन की खपत :

विवरण	यूनिट	2011-12	2010-11
क) विद्युत :			
(i) खरीदी गई यूनिटें	एम.के.डब्लू.एच	808.52	809.87
(ii) आपूर्ति कर्त्ताओं को भुगतान की गई कुल राशि	मिलियन रूपये	5057.10	4672.50
(iii) दर/यूनिट औसत	रूपये	6.25	5.76
(iv) विद्युत की विशेष खपत	के डब्ल्यू एच/टन	26.45	26.14

ख) अपना उत्पादन (डीजल जेनरेटर द्वारा) :

	यूनिट	2011-12	2010-11
क) उत्पादित यूनिटें	लाख केडब्ल्यूएच	1.30	1.27
ख) प्रति लीटर डीजल पर उत्पादित यूनिटें	के.डब्लू.एच/लीटर	4.70	4.40
ग) उत्पादन खर्च	रूपयें/के.डब्लू.एच	9.44	9.48

ग) विद्युत की उपलब्धता :

क) विद्युत की औसत उपलब्धता(2009-10)	एम.भी.ए	154.10	152.42
ख) विद्युत की मांग (2009-10)	एम.भी.ए	167.50	167.50
ग) उपलब्धता	%	92.00	91.00

7.1.2. चिनाकुड़ी विद्युत संयंत्र से विद्युत उत्पादन में प्रगति :

चिनाकुड़ी विद्युत संयंत्र से उत्पादित उर्जा 2010-11 के 46499520 कि० वाट आवर की तुलना में 2011-12 के दौरान

15183840 कि. वा. आवर था।

7.2 विद्युत की खपत एवं लेखा परीक्षण :

पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा सीएमपीडीआईएल को एक्रीडेटेड विद्युत लेखा परीक्षक के रूप में सूचीबद्ध किया गया। सीएमपीडीआईएल ने विगत 5 वर्षों से 2009-10 तक ईसीएल का उर्जा लेखापरीक्षा रिपोर्ट तैयार किया लेकिन 2010-11 एवं 2011-12 में सीएमपीडीआई ने ईसीएल का रिपोर्ट तैयार नहीं किया। पहले की अनुशंसा को कार्यान्वयन किया गया।

2011-12 में कोयला उत्पादन का प्रति टन उर्जा लागत बढ़ गया क्योंकि पं. बंगालएवं झारखण्ड राज्य नियामक आयोग द्वारा नए टैरिफ आदेश के तहत विद्युत लागत बढ़ गई।

7.3. भूमिगत मशीनों का कार्य निष्पादन :

उत्पादकता के साथ भूमिगत मशीनरी का विवरण निम्नलिखित है -

उपकरण	2011-12		2010-11	अभ्युक्ति
	रोल में	उत्पादकता टीपीडी	उत्पादकता टीपीडी	
एसडीएल	206	56	57	-
एलएचडी	37	95	107	-
रोड हेडर	1	15	30	अज्ञात कारणों से सितंबर 2011 से 4 महीने तक रोड हेडर बेकार पड़ा रहा।
पीएसएलडब्ल्यु	1	15	157	चूंकि लांगवाल उपकरण अति जीवित रहा, लांगवाल फैल एडब्ल्यु 10 को जून 2011 में बंद कर दिया गया।
कंटीनुअस माईनर	2	1520	1268	कंटीनुअस माईनर ने 2011-12 के दौरान 2010-11 के 678792 टन की तुलना में 779930 टन उत्पादन किया।

7.4. सीएचपी का कार्य निष्पादन :

31 मार्च, 2012 को कंपनी के पास 4 बड़े सीएचपी एवं 4 छोटे सीएचपी संचालन में थे। वर्ष 2011-12 के दौरान बड़े सीएचपी

13.689 मिलियन टन कोयले को हैण्डल किया एवं छोटे सीएचपी द्वारा 0.21535 मिलियन टन कोयले को हैण्डल किया गया।

7.5 भूमिगत खदानों का मशीनीकरण :

2011-12 के दौरान 113 की संख्या में एसडीएल मशीन तथा 24 एलएचडी प्राप्त हुए इनमें से 92 एसडीएल तथा 5 यूडीएम 31.3.2012 को चालू किए गए।

2011-12 में निम्नलिखित खदानों में एसडीएल चालू किया गया।

क्षेत्र	खदान का नाम
कजोड़ा	परासकोल ईस्ट
सतग्राम	चपुईखास
मुगमा	बाजना, लखीमाता एवं इस्लिाजाम

भूमिगत उत्पादन बढ़ाने के लिए झांझरा प्रोजेक्ट हेतु दूसरे सेट के लिए प्रक्रिया चल रही है। पीएसएलडब्ल्यु के दूसरे सेट का भी चालू किया जा रहा है।

7.6 उपलब्धि :

क) प्रोजेक्ट रिपोर्ट के तहत झांझरा में सीएचपर के निर्माण हेतु कार्य अवार्ड किया गया।

ख) सरपी प्रोजेक्ट में कोयला निष्क्रामण हेतु यूजी कन्वेयर ट्रांसपोर्ट व्यवस्था मजबूत किया जा रहा है।

8.0 कल्याण सुख सुविधा :

क्रम सं०	मद	31.3.11 के संचयी स्थिति	2011-12 में उपलब्धि	31.3.12 के संचयी स्थिति	अभ्युक्ति
1	**सहकारी समिति**				
	क) सहकारी क्रेडिट समिति	74	0	74	
	ख) प्राथमिक सहकारी भंडार	30	0	30	
	ग) केन्द्रीय सहकारी	04	0	04	
	घ) सहकारी समितियों को				

	ऋण एवं निवेश (रू लाख में)	63.80	0	63.80	
2.	**बैंकिंग सुविधा**				
	कार्यरत शाखाओं की संख्या	26	0	26	
3.	क्रेच	48	0	48	
4.	कैंटीन	82	0	82	
5.	शैक्षणिक सुविधाएं				
	क) डीएभी विद्यालय	04	0	04	
	ख) आवर्ती अनुदान प्राप्त विद्यालय की संख्या	162	0	162	
	ग) आवर्ती अनुदान की राशि (लाख में)	3015.63	366.00	3381.63	
	घ) गैर आवर्ती अनुदान प्राप्त करने वाले विद्यालयों की सं०	370	16	386	
	ड) गैर आवर्ती अनुदान की राशि (रू लाख में)	271.71	15.00	286.71	
	च) तदर्थ अनुदान प्राप्त करने वाले विद्यालयों की सं०	79	0	79	
	छ) स्वीकृत तदर्थ अनुदान की सं० (रू लाख में)	69.60	0	69.60	
	ज) काम में लगाए गए बसों की सं०	156	0	156	
6.क.	सामुदायिक विकास कार्यक्रम				
	स्वीकृत राशि (रू. लाख में)	2640.40	0	2640.00	सीडीपी के बदले सीएसआर नीति

ख.	सीएसआर राशि स्वीकृति	44.69	1314.11	1358.80	रू. 5 करोड़ की स्वीकृति राशि के बदले व्यय
7.	खेल कूद पर खर्च की गई रकम (रू लाख में)	324.31	19.19	343.50	
8.	सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियां खर्च की गई राशि (लाख रू. में)	62.88	1.97	64.85	
9.	**कोल इंडिया छात्रवृत्ति**				
क.	प्रदान की गई छात्रवृत्ति की संख्या	11118	1285	12403	37 छात्रों को विशेष नकद पुरस्कार
ख.	स्वीकृत राशि (लाख रू. में)	127.86	14.72	142.38	
10.	वेजबोर्ड कर्मचारियों के बच्चे जो चुनेगए इंजीनियरिंग एवं सरकारी मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं, उनके लिए वित्तीय सहयोग हेतु सीआईएल योजना :-				
क.	डब्ल्युबीई के बोर्ड स्वीकृत	82	29	111	
ख.	स्वीकृति राशि (रू. लाख में)	12.06	3.81	15.87	

9.1 चिकित्सा सुख–सुविधाएं :

9.1.1. 1275 बेड क्षमता के साथ 12 अस्पताल कर्मचारियों एवं उनके परिवारों / आश्रितो को चिकित्सा सेवा की सुविधा प्रदान किए। इन अस्पतालों में 130 की संख्या में एम्बुलेंस कार्यरत थी।

9.1.2. कर्मचारियों की संख्या जिसे चिकित्सा हेतु बाहर भेजा गया तथा उनके चिकित्सा में हुआ व्यय :

	2011-12	**2010-11**
कर्मचारियों की संख्या जिसे चिकित्सा हेतु बाहर रेफर किया गया	759	933

उनके चिकित्सा में हुआ व्यय (लाख रू. में)	497.40	767.51
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण		
कैंपों की संख्या	23	21
लाभुकों की संख्या	1205	1244
मोबाईल डिस्पेंसरी द्वारा कवर किए गए गाँव		
कैंपों की संख्या	648	281
लाभुकों की संख्या	37840	22981

वर्ष 2011-12 के दौरान वर्तमान 3 के अलावा एक और मोबाईल मेडिकल भेन 1.11.2011 सेएसपी माईन्स क्षेत्र को दियागया जोएमओयू लक्ष्य के लिए है जिसमें एक मोबाईल मेडिकल भेन पैथोलजिकल टेस्टिंग एवं ईसीजी सुविधा युक्त है एवं कमजोर वर्ग के लोगों के लिए 51 स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम / कैंप के लक्ष्य की तुलना में 648 स्वास्थ्य कैंप लगाए गए।

9.1.3. अस्पतालों के उन्नयन हेतु पुनर्गठण :

पूरे इसीएल में उन्नत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने कीजिए अस्पतालों। औषधालयों के उन्नयन हेतु पुनर्गठन प्रस्ताव17.3.2012

के कल्याण बोर्ड की बैठक में स्वीकृत किया गया। अस्पतालों के उन्नयन के लिए 2011-12 के दौरान निम्नलिखित उपकरणों की खरीद की गई :-

केन्द्रीय अस्पताल कल्ला :

(i) हीमोडायलिसिस मशीन, (ii) यूएसजी मशीन, (iii) टेलीमेडीसीन उपकरण एवं (iv) स्पाईरोमीटर्स।

सांकतोड़िया अस्पताल :

(i) चक्षु आपरेशन के लिए आपरेटिंग माईक्रोस्कोप।

क्षेत्र अस्पताल :

(i) एस. पी. माईन्स मे स्पाईरोमीटर, (ii) राजमहल एवं सतग्राम अस्पताल मे आक्सीजन कन्सुट्रेटर, (iii) बांसरा अस्पताल में बाईनाकुलर माईक्रोस्कोप।

10.0 निगमित सामाजिक जिम्मेदारी :

एक जिम्मेदारी कारपोरेट नागरिक की तरह ईस्टर्न कोल फील्डस् लि० ने सामुदायिक विकास गतिविधियों की जिम्मेदारी ली है। फिर भी विगत कुछ वर्षों में सीएसआर की अवधारणा विकसित हुई है। ईसीएल में सीएसआर एक कार्यक्रम है जो कंपनी के कोयला खदानों के चारों तरफ निवास करने वाले लोगों की सेवा करते हैं। इन गतिविधियों की सीमा सामान्यतः कोयला क्षेत्र के 15 कि०मी० के दायरे तक सीमित है। यद्यपि आपातकालीन जरूरतों के मद्देनजर कुछ कार्य 15 कि०मी० के दायरे से बाहर भी किया जाता है।

चिकित्सा, शैक्षणिक एवं पीने के पानी की सुविधा में बढ़ोत्तरी के लिए ईसीएल सक्रिय रूप से विभिन्न कार्यक्रमों को लागू करता है। एवं खनन क्षेत्र के चारों तरफ लोगों के आर्थिक भलाई के लिए भी काम करता है। सीएसआर के लिए फंड का विभाजन विगत वर्ष के आमदानी का 5% होना चाहिये बशर्ते कि विगत वर्ष के कोयला उत्पादन का न्यूनतम रू. 5/- प्रति टन है।

10.1 वर्ष 2011-12 के दौरान सीएसआर के तहत दिए गए बड़े कार्य :

1) श्री विजय कृष्ण आश्रम रिलीफ सोसाईटी द्वारा संचालित नेताजी चक्षु अस्पताल के उन्नयन हेतु रू. 111.72 लाख स्वीकृत किए गए, जो अस्पताल पुरुलिया के रामचंद्रपुर में स्थित है। जिसके चारों तरफ गरीब एवं पिछड़े ग्रामीण निवास करते हैं। प्रथम चरण में चिकित्सा उपकरणों की खरीद हेतु रू. 25.35 लाख एवं सिविल कार्यों के लिए रू. 20.50 लाख दिए गए। द्वितीय चरण में चिकित्सा उपकरणों की खरीद हेतु रू. 37.75 लाख एवं निर्माण कार्य पूरा करने के लिए रू. 28.11 लाख प्रदान किए जाएंगे।

2) विधान चंद्र प्रतिवंधी कर्मकेन्द्र को सहायता :

शारीरिक अपंग बच्चों के लिए कृत्रिम लिम्ब / प्रोस्थेसिस अर्म क्रचेज, ट्राय साईकिल, ह्वील चेयर, प्रोस्थेसिस स्पेक्टेक्ल्स, श्रवण यंत्रो के लिए विधान चन्द्र प्रतिवंधी कर्मकेन्द्र को रू. 3.78 अलाख की राशि दी गई है।

3) 31 वां व्वायज फी स्टाईल, ग्रेको रोमन स्टाईल एवं 14वीं फीमेल जूनिर नेशनल रेसलिंग चैम्पियन शिप 2011 के प्रायोजन के लिए रू. 2.5 लाख (दो लाख पचास हजार) की राशि प्रदान की गई।

4) शिक्षा :

शैक्षणिक संस्थानों को उनके ढांचागत जरूरतों, उपस्करोंएवं प्रयोगशाला उपकरणों, पुस्तकालय के विकास के लिए ईसीएल ने आर्थिक सहयोग प्रदान किया है। 2011-12 अके दौान शैक्षणिक संस्थानों के विकास हेतु रू. 43.77 लाख की राशि प्रदान की गई।

5) पीने के पानी की आपूर्ती :

राजमहल क्षेत्र के चारों तरफ के गाँव मे 50 गहरे ट्युब वेल लगवाए गए एवं क्षेत्र में पानी की भारी कमी को पूरा करने के लिए45 जल टैंकर तैनात किए गए। वर्ष के दौरान ईसीएल कमान क्षेत्र में 10 गहरे ट्युबवेल एवं59 हैंड पम्पस्थापित / मरम्मत किए गए। बंकोला क्षेत्र के जोआलभांगा गाँव में 3 कि०मी० लम्बा पानी पाईनलाईन बिछाया गया। सीएसआर कार्यक्रम के तहत ईसीएल के विभिन्न क्षेत्रों में पाईपलाईन बिछाना, तालाब की खुदाई, कुएं, बोरहोल की खुदाई, हैंड पम्पों की स्थापना का कार्य किया गया। इस शीर्ष में रू. 447.12 लाख की राशि खर्च की गई।

6) ढांचागत विकास :

वर्ष 2011-12 के दौरान पीसीसी एवं कंक्रीट रोड का निर्माण एवं मरम्मत, नाला, कलवर्ट, सामुदायिक केन्द्र, चहारदीवारी, स्मशान घाट, शिशु उद्यान, प्रशाधन, विद्युतीकरण, घेराबंदी इत्यादि का कार्य किया गया। तथा ढांचागत विकास पर कुल 175.30 लाख की राशि खर्च की गई। ईसीएल के राजमहल कमान क्षेत्र में 12 की संख्या में गाँव में सोलर लैंप पहले ही लगाए गए हैं। ईसीएल कमान क्षेत्र के विभिन्न स्थनों में सीएसआर गतिविधि को पूरा करने के लिए बाहरी एजेंसियों को रू513.48 लाख की राशि जारी की गई जो उस स्थान विशेष की जरूरत के अनुरूप थी।

10.2 अपने प्रांरभिक काल से ही ईसीएल अपने कर्मचारियों के कल्याण के लिए कदम उठाए हैं, साथ ही खदान के आस-पास के लोगों। समुदाय के विकास के लिए कार्य किया है। इसके अतिरिक्त इन्फ्रास्ट्रक्चर, औद्योगिक ढांचा, सड़क एवं रेलवे साइडिंग, रिहायशी भवन, जल आपूर्ति एवं अन्य कल्याणमूलक कार्य किया है। जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है -

10.2.1 आवासीय भवन :

कंपनी में कुल मिलाकर 91180 आवासीय क्वाटर हैं जिसमे से 62960 मानक क्वाटर तथा 28220 गैर मानक क्वाटर हैं। वर्तमान में आवासीन संतुष्टि 118% से अधिक है, इसलिए और अधिक क्वाटरों के निर्माण की आवश्यकता नहीं है। इन क्वाटरों का नियमित मरम्मत एवं रखरखाव किया जाता है हाल ही में ईसीएल ने ब्लॉक मरम्मत की अवधारणा को लागू किया है। इसके तहत पूरे ब्लॉक के सम्पूर्ण मरम्मत किया जाता है। 2010-11 में रू 8.39 करोड़ का अलग फंड ब्लॉक मरम्मत कार्यों में दिया गया तथा करीब 3640 क्वाटरों की सम्पूर्ण मरम्मत की गई। 2011-12 मे ब्लॉक मरम्मत के लिए रू. 11.89 करोड़ की राशि दी गई तथा 4427 क्वाटरों की सम्पूर्ण मरम्मत की गई। 2012-13 में ब्लॉक मरम्मत कार्यक्रम के तहत करीब 7000 क्वाटरो की मरम्मत की जायगी।

10.2.2 कल्याण भवन :

कर्मचारियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीयकरण के बाद परिसम्पत्तियों मे तीव्र विकास हुआ है, विवरण निम्नलिखित है - (क) अस्पताल - 12, (ख) औषधालय - 128, (ग) कैंटीन - 82, (घ) आरामग्रह - 137, (ङ) बहुउद्देशीय संस्थान - 12, (च) वयस्क शिक्षा केन्द्र - 03, (छ) सामुदायिक केन्द्र - 54

इन सभी कल्याण भवनों की मरम्मत समय समय पर की जाती है। वर्ष के दौरान कुछ निम्नलिखित कल्याण कार्य किए गए -

क्रम.स.०	कार्य का नाम	वर्तमान स्थिति
1.	हिसरगड से क्षतिग्रस्त पोस्टआफिस भवन का पुन:निर्माण	कार्य पूर्ण हुआ
2.	झांझरा क्षेत्र में सामुदायिक हॉल तथा स्टेडियम का निर्माण	कार्य पूर्ण हुआ।

10.2.2 जल आपूर्ति :

ईसीएल द्वारा अपने क्वार्टरों में रहने वाले कर्मचारियों के साथ साथ आस–पास के निवासियों को पीने के पानी की आपूर्ति पर ध्यान दिया जा रहा है। कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों को पीने पानी की आपूर्ति के लिए 22 स्लो सैंड फिल्टर, 20 रैपीड ग्रैविटी फिल्टर मौजूद हैं। 11 रिवर बेड बोर वेल्स भी है।

इसके अतिरिक्त ईसीएल प.बंगाल के आरसीएफए – I एवं आर सी एफ ए – II एवं झारखंड सरकार के चिरकुंडा जल आपूर्ति योजना के साथ भागीदारी की है 5,33,587 जनसंख्या को जल की आपूर्ति की जाती है।

वर्ष 2011-12 में सतग्राम, श्रीपुर, कजोड़ा, पांडवेश्वर, केंदा, कुनुस्तोड़िया, सोदपुर, बंकोला एवं मुगमा क्षेत्रों की विभिन्न यूनिटों में जल की उलब्धता में सुधार हेतु प्रेसर फिल्टर की व्यवस्था की गई। इन योजनाओं में 23 प्रेसर फिल्टर एवं विविध कार्य एवं बड़े पाईपलाईन भी शामिल हैं।

बंकोला, कुनुस्तोड़िया, मुगमा एवं सोदपुर क्षेत्रों के प्रेसर फिल्टर तथा विविध कार्य पूर्ण हो चुका है तथा इसे अब चालू करना है। दूसरे क्षेत्रों में उपरोक्त कार्य के लिए निविदाकरण चल रहा है तथा दो महीनों के भीतर जल आपूर्ति एवं ट्रीटमेंट प्लांट का काम पूरा हो जायेगा।

10.2.3. कोयला उत्पादन सड़क एवं रेलवे साईडिंग :

कोयले का प्रेषण ईसीएल का मुख्य कार्य है तथा प्रभावी तरीके से किया जाता है। कोयले का प्रेषण मुख्यत: सड़क एवं रेल द्वारा किया जाता है। इस संबंध में ईसीएल ने उचित कदम उठाए है। कुछ चालू कार्यों एवं नए कार्यों का विवरण निम्नलिखित है –

क) **सड़क :**

कोयला परिवहन सड़क, प्रशासनिक भवन के चारो तरफ सड़क एवं आंतरिक कॉलोनी सड़क के निर्माण का कार्य हाथ में लिया गया है जो निम्नलिखित है –

क्रम.स.	कार्य का नाम	वर्तमान स्थिति
1.	कुनुस्तोड़िया क्षेत्र के अन्तर्गत माराकुरी के कोयला परिवहन सड़क का निर्माण	कार्य पूर्ण हुआ
2.	झांझरा क्षेत्र में एमआईसी से नकड़ाकोंदा तक कोयला परिवहन सड़क का निर्माण	60% कार्य पूर्ण हुआ कार्य प्रगति पर है।
3.	राजमहल क्षेत्र में कुमारपुर रेलवे साइडिंग तक एप्रोच रोड का निर्माण	कार्य अवार्ड किया गया

ख) वार्फवाल, नाला, वे-ब्रीज, सुरक्षा कक्ष इत्यादि का निर्माण कार्य हाल ही में प्रारंभ हुआ। इसके अतिरिक्त सोनपुर बजारी एवं राजमहल क्षेत्र में रेलवे साइडिंग का विस्तार का कार्य प्रक्रियाधीन है। विवरण निम्नलिखित है :

क्रम.स.	कार्य का नाम	वर्तमान स्थिति
1.	राजमहल रेलवे साइडिंग मे वार्फवाल, नाला, वे-ब्रीज, सुरक्षा कक्ष इत्यादि का निर्माण	कार्य पूर्ण हुआ

11.0 खान सुरक्षा

11.01 वर्ष 2011-12 के लिए दुर्घटना सांख्यिकी :

मद	2011-12	2010-11
i) जानलेवा दुर्घटनाओं की संख्या	7	13
ii) मृत्यु की संख्या	7	13
iii) गम्भीर चोट (संख्या)	82	97
iv) मृत्यु/मिलियन टन आउटपुट	0.229	0.42
v) मृत्यु/ 3 लाख मैन शिफ्ट	2.683	0.20
vi) मृत्युदर में कमी (मृत्यु/मिलियन घनमीटर/ कुल उत्खनित सामग्री	48.521%	–31.00%
vi) गंभीर चोटो की दर में कमी (गंभीर चोट / मिलियन संबंधी उपाय।	21.196%	23.00%

11.02 खान सुरक्षा संबंधी उपाय :

ईसीएल में खान सुरक्षा बढ़ाने के लिए आईएसओ द्वारा की गई कार्रवाई –

i) खदानों का निरीक्षण करने एवं प्राप्त खामियों को दूर करने के लिए कारपोरेट स्तर पर खान सुरक्षा बोर्ड का गठन किया गया है। सेफ्टी बोर्ड की नियमित बैठक होती है ताकि खदानों में खान सुरक्षा की समीक्षा की जा सके। सेफ्टी बोर्ड के अन्तर्गत अन्य के अलावा संचालित ट्रेड यूनियन द्वारा नामित छः सदस्य होते है। ये सदस्य खान सुरक्षा का प्रशिक्षण, खनन विधि, व्यवसाईक स्वास्थ इत्यादि के प्रशिक्षण के लिए ईसीएल द्वारा भी नामित किए जाते हैं।

ii) जानलेवा दुर्घटना के पश्चात पिट सेफ्टी कमीटि की विशेष बैठक बुलाना एवं विशेष पिट सेफ्टी कमीटी की सिफारिशों का कार्यान्वियन करवाना।

iii) जानलेवा दुर्घटनाओं के कारणों का तह तक जाकर जांच करना एवं जबाबदेही तय करना।

iv) दुर्घटनाओं / खतरनाक घटना / नीयर मिस एक्सीडेंट की जांच के आधार पर सेफ्टी परिपत्र जारी करना।

v) निवारक कदम उठाने के लिए जानलेवा एवं गंभीर दुर्घटनाओं की सांख्यिकी का विश्लेषण करना एवं अनुरक्षण करना।

vi) रूफ एवं साईड ड्रेसिंग पर विशेष सेफ्टी अभियान मनाना तथा दोनों डेवलपमेंट एवं डीपीलरिंग वर्किंग के लिए एसएसआर का कार्यान्वियन।

vii) तत्काल रूफ फॉल संकेत के लिए डीपीलरिंग डिस्ट्रिक्ट में कनवर्जेंस इंडीकेटर, लोड सेल, स्ट्रेस केप्सुल इत्यादि का उपयोग। सीआई एम एफ आर के अध्ययन के मुताबिक इन्स्ट्रुमेंटेशन योजना का मानना।

viii) बैक शिफ्ट निरिक्षण चलाया जा रहा है (इसकी आवृति बढ़ाया जाता है) उच्च अधिकारी द्वारा निरीक्षण रजिस्टर / नोट की जांच की जा रही है।

ix) खदानों में आपूर्ति होने वाले सामग्रियों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करना।

x) ईसीएल मुख्यालय मे स्ट्राटा कंट्रोल मॉनिटरिंग सेल की स्थापना कीगई है एवं इसी तरह सभी लोगों में भी स्ट्राटा कंट्रोल मॉनिटरिंग सेल स्थापित किए गए है ताकि रूफ बिहवियर का अध्ययन किया जा सके एवं खदानों में रूफ सपोर्ट में सुधार हो। जहाँ भी जरूरत हो आर एम आर निकाला जाता है तथा तदनुसार सपोर्ट रूल तैयार करवाना है।

xi) खनन एवं विविध गतिविधियों एवं माइनिंग मशीनरीज / एचईएमएम के सुरक्षित संचालन विधियों को निकालना।

xii) खुली खानों, भूमिगत खानों में चित्र द्वारा सर्वेक्षण करवाना तथा जहाँ जरूरी हो चित्र सर्वेक्षण को बढ़ावा देना।

xiii) निवारक कदम उठाने केलिए खुली खानों में ब्लास्ट हॉल ड्रिल एवं अन्य एचईएमएम में तथा उसके चारों तरफ न्वायज मैपिंग करवाना।

xiv) जोखिम से कर्मियों को न्यूनतम एक्सपोजर लाने के लिए लोडिंग उपकरण जैसे एलएचडी, एसडीएल एवं रूफ बोल्टर को शामिल करना।

xv) खामियों के उन्मूलन हेतु खदानों का निरीक्षण के पश्चात आईएसओ से अधिकारियों/निरीक्षण अधिकारियों द्वारा अपवाद रिपोर्ट प्रस्तुत किया जा रहा है।

xvi) सतग्राम क्षेत्रीय प्रयोगशाला में एक गैस क्रोमेटोग्राफ की खरीद की गई है एवं इसे स्थापित किया गया है।

xvii) स्लोप के मॉनिटरिंग के लिए बड़े ओसीपी हेतु स्लोप स्टेबलीटी रडार की खरीद।

xviii) मानसुन तैयारी, स्टोविंग, यूजी लोडिंग का मशीनीकरण, रूफ बोल्टिंग, सर्वे (संयुक्त सर्वे एवं चेक सर्वे प्लान), यूजी खदानों में वेन्टीलेशन, रेस्क्यु, तैयारी, मैगजीन विस्फोरकों की हैंडलिंग, सरफेस इंस्टलिशन जैसे वाईडिंग, एमएमभी इत्यादि पर सेफ्टी अभियान का आयोजन। सालों भर गैस प्रबन्धन, वैधानिक रिकार्ड कीपिंग एवं ई एण्ड एम मशीनों का रख रखाव, आग के खतरे तथा फायर फाईटिंग व्यवस्था, रूफ एवं साईड ड्रेसिंग, सपोर्ट, ओसीपी पर विशेष अभियान, हॉलेज तथा कन्वेयर ट्रांसपोर्ट सिस्टम में सेफ्टी, जोखिम निर्धारण की समीक्षा, खदानों में समान्य साफ सफाई इत्यादि पर अभियान चलाना।

जोखिम, खदानवार सेफ्टी प्रबंधन योजना तैयार करना एवं समय–समय पर इसकी समीक्षा / अद्यतन :–

i) विस्तृत दुर्घटना विश्लेषण किया गया है एवं यह देखा गया कि एक दुर्घटना रूफ फाल के कारण, एक डंपर द्वारा कुचले जाने के कारण, एक एलएचडी द्वारा चोट लगने से, एक भूमि खिसकने से, एक ओवी डम्प से डंपर के गिरने से, एक रोड हेडर के कटरबूम से चोट खाने के कारण एवं एक दुर्घटना खड़ी डंपर तथा एक चालू डंपर के टकराने के कारण हुई।

ii) वर्ष 2011-12 के लिए सेफ्टी अभियान का कलेंडर तैयार किया गया है। विवरण निम्नलिखित है –

महीना	खान सुरक्षा अभियान की मदें
अप्रैल 2011	भूमिगत खदानों में आग एवं विस्फोट के खतरे पर सेफ्टी अभियान।
मई, 2011	सतह परसामान्य सफाई (वाईडिंग इंजन रूम, सरफेस, हालेज, सरफेस सबस्टेशन, कैप लैंप रूम, ब्वायलर हाउस) एवं भूमिगत (ट्रेवेलिंग एवं हालेज रोड)।
जून 2011	मानसून तयारी की समीक्षा।
जुलाई 2011	स्टोविंग, यूजी लोडिंग का मशीनीकरण, तथा रूफ बोल्टिंग
अगस्त 2011	सेफ्टी (संयुक्त सर्वे एवं चेक सर्वे योजना), यूजी खदानों का भेन्टीलेशन, रूफ एवं साईड ड्रेसिंग एवं सपोर्ट।
सितंबर 2011	रेस्क्यु तैयारी, मैगजीन तथा विष्फोटक का रखरखाव एवं सरफेस इन्सटालेशन जैसे वाइन्डिंग, एमएमभी इत्यादि।
अक्टुबर 2011	गैस प्रबंधन, वैधानिक रिकार्ड कीपिंग तथा ई एण्ड एम मशीनों का रख रखाव।
नवम्बर 2011	आग मे खतरे एवं आग से निपटने की व्यवस्था

दिसम्बर 2011	रूफ एवं साईड ड्रेसिंग एवं सपोर्ट, अधिकारियों समेत वैधानिक कर्मियों के निरीक्षण की गुणवत्ता में सुधार पर सेफ्टी अभियान एवं सिस्टम सुधार, यूजी खदानों में आग एवं विस्फोट।
जनवरी 2012	विभागीय ओसीपी एवं बाह्यस्रोत पैचों पर सेफ्टी अभियान
फरवरी 2012	यूजी खदानों से हालेज तथा कन्वेयर ट्रांसपोर्ट सिस्टम में सेफ्टी तथा वार्षिक उत्पादन योजना 12 - 13 पर आईएसओ द्वारा चर्चा।
मार्च 2012	मानसून तैयारी, जोखिम प्रबंधन की समीक्षा एवं सेफ्टी लेखा परीक्षा की सिफारिशों का स्तर।

विभिन्न वर्षों में उपयोग में लाए गए रूफ बोल्ट की संख्या :

(संख्या लाख में)

खपत	2011-12	2010-11
रूफ बोल्ट	6.6758	6.1003
सीमेंट कैपसूल	27.12	25.93

11.3 खान सुरक्षा लेखा परीक्षा :

खान सुरक्षा लेखा परीक्षा 2007 में करवाया गया। सिफारिशों को कार्यान्वित किया गया।

11.4 मानसून तैयारी :

खान सुरक्षा विभाग के नोडल अधिकारियों के साथ कोलियरी प्रबंधन द्वारा जून 2011 में मानसून तैयारी पर एक विशेष अभियान चलाया गया एवं कार्यान्वयन स्तर की मॉनिटरिंग 2011-12 के दौरान की गई। मार्च 2012 में मानसून तैयारी पर एक खान सुरक्षा अभियान 2012-13 के लिए चलाया गया। 24 x 7 आधार पर ईसीएल मुख्यालय में 10.6.2011 से 15.10.2011 तक एक नियंत्रण कक्ष खोला गया जिसमें सभी क्षेत्रों में नियंत्रण कक्ष के साथ संपर्क रखने एवं आवागमन के लिए वाहनों एवं टेलीफोन के साथ अधिकारियों की व्यवस्था की गई।

''बाढ़ चेतावनी संदेश'' प्राप्त करने हेतु डीभीसी मैथन के मुख्य अभियंता (हाईडेल) के साथ नजदीकी सम्पर्क रखा गया, जब कभी पंचेत एवं मैथन डेम से पानी छोड़ा जाता है। निदेशक मौसम विभाग, अलीपुर कोलकाता तथा निदेशक, क्षेत्रीय साईक्लोन चेतावनी केन्द्र, अलीपुर कोलकाता से 'मौसम पुर्वानुमान रिपोर्ट' टेलीफोन एवं फैक्स द्वारा प्राप्ति हेतु नजदीकी संपर्क रखा गया ताकि भारी वर्षा / थंडर / शोअर की चेतावनी क्षेत्रों को दी जा सके।

11.5 खान सुरक्षा प्रशिक्षण :

वर्ष	दो सप्ताह का संरचात्मक प्रशिक्षण			
	फंटलाईन सुपरवाईजर		वर्कमेन इन्सपेक्टर	
	कार्यक्रम की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या	कार्यक्रम की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या
2010-11	01	28	03	38
2011-12	04	115	03	50

11.6 वैधानिक परीक्षाओं में बैठने हेतु प्रशिक्षण :

परीक्षा का प्रकार	प्रशिक्षित कर्मियों की सं०	प्रशिक्षण संस्थान
क) में शामिल होने हेतु		
प्रथम श्रेणी – कोल	15	एमटीएस, धधका
द्वितीय श्रेणी – कोल	40	एमटीएस, धधका
ओवरमैन	20	एमटीएस, धधका
माईनिंग सरदार	160	एमटीएस, धधका
सर्वेयर	25	एमटीएस, धधका
विद्युत सुपरवाईजर	14	एमटीएस, धधका
वाईडिंग इंजन ड्राईवर	36	एमटीआई, रटीबाटी
ख) ट्रेड पाठ्यक्रम :		
सर्वेयर	33	एमटीएस, धधका
माईनिंग सरदार	52	एमटीएस, धधका
इलेक्ट्रिसियन	31	एमटीएस, धधका
ग) डिप्लोमा इन माईनिंग (पार्ट टाईम)	160	रानीगंज माईनिंग इंस्टीच्यूट

11.7 द्विपक्षीय सेफ्टी बोर्ड सदस्यों का प्रशिक्षण :

i) 4 द्विपक्षीय बोर्ड सदस्यों को 16.1.2012 से 20.01.2012 तक डीजीएमएस द्वारा संचालित विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम हेतु भेजा गया जिसका विषय 'वर्कमेन्स इंस्पेक्टर की भूमिका एवं उसके कार्य' था।

ii) 6 सेफ्टी बोर्ड सदस्यों एवं आईएसओ से एक अधिकारी को व्यवसायिक स्वास्थ्य एवं सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम ओएचएसएएस

18001 : 2002 - लीड ऑडिटर ट्रेनिंग में 26-30 मार्च, 2012 तक ईएससीआई, हैदराबाद भेजा गया।

11.8 व्यवसायिक प्रशिक्षण (वैधानिक रूप में भीटीसी में) 2011-12 :

प्रशिक्षण का प्रकार	2011-12	2010-11
बुनियादी	1027	832
पुनश्चर्या	9351	9295
विशेष प्रशिक्षण	6675	4087
आईओडी	170	291
ठेका श्रमिक	3142	1157

11.9. ईसीएल में रेस्क्यू सेवायें :

ईसीएल की सभी कोलियरियों, बीसीसीएल की चांच विक्टोरिया क्षेत्र, इस्को के रामनगर कोलियरी के साथ साथ सिविल प्रशासन एवं लोक अधिकारियों (आवश्यकताअनुसार) को माइन्स रेस्क्यू स्टेशन, सीतारामपुर, रिफ्रेसर प्रशिक्षण (आरआरटी) के साथ रेस्क्यू रूम, केन्दा एवं झांझरा, पारबेलिया, कालीदासपुर तथा मुगमा में संचालित रेस्क्यू रूमों के माध्यम से रेस्क्यू सेवायें प्रदान की गई ।

11.9.1. वर्ष 2011-12 में कुनुस्तोड़िया, परासकोल (पश्चिम), पांडवेश्वर एवं तिराट कोलियरी में पुराने सील्ड किए गए पैनलों की रिकभरी के लिए सेवाएं ली गई।

11.9.2. वर्ष के दौरान निम्नलिखित खदानों में आग / लगातार गर्म होने की घटना से निपटने के लिए रेस्क्यू सेवाएं निम्नलिखित खदानों में ली गई।

क) कुनुस्तोड़िया कोलियरी, कुनुस्तोड़िया क्षेत्र में 17.4.2011 से 06.5.2011 तक।

ख) परासकोल (प०) कजोड़ा क्षेत्र में 16.7.2011 से 17.7.2011 तक।

ग) पांडवेश्वर कोलियरी, पांडवेश्वर क्षेत्र में 01.12.2011 को।

घ) तिराट कोलियरी, सतग्राम क्षेत्र में 04.12.2011 को।

ङ) नकड़ाकोंदा कोलियरी बंकोला क्षेत्र में 24.9.2011 से 25.9.2011 तक।

11.10 प्रशिक्षण :

रेस्क्यू स्टेशन पर प्राथमिक प्रशिक्षण के साथ पुनश्चर्या प्रशिक्षण नियमित रूप से प्रदान किया गया जिसका विवरण निम्नलिखित है -

प्रशिक्षण के प्रकार	2011-12	2010-11
प्रशिक्षित रेस्क्यू कर्मियों की संख्या	682	669
ताजा प्रशिक्षित कर्मियों की संख्या	47	48
पुनश्चर्या अभ्यासों की संख्या	5834	5635
आपातकालों की संख्या	6	6
अन्य कंपनियों (नेक असम) के प्रारम्भिक प्रशिक्षण	6	0

11.11 खरीदे गए नए उपकरण / यंत्र :

एक मैनेक्विन 26.5.2011 को खरीदा गया। 8 क्रेयरवेंट रेस्कुएटॉ यंत्र 30.6.2011 को खरीदे गए।

11.12 क्षेत्रीय रेस्क्यू प्रतियोगिता :

- 2011-12 का पूर्वी क्षेत्र का जोनल माईन्स रेस्क्यु प्रतियोगिता 16 दिसम्बर 2011 को सम्पन्न हुआ जिसमें 12 टीमों ने भाग लिया (बीसीसीएल एरिया – XII सहित)।

11.13 अखिल भारतीय माईन्स रेस्क्यु प्रतियोगिता (कोयला एवं धातु) :

2011-12 का 42 वां अखिल भारतीय माईन्स रेस्क्यु प्रतियोगिता (कोल एवं मेटल) एमसीएल द्वारा 24 फरवरी 2012 से 26 फरवरी 2012 के बीच सम्पन्न हुआ जिसमें कोल एवं मेटल के 21 टीमों ने भाग लिया। ईसीएल से 2 टीमों ने हिस्सा लिया एवं पुरस्कार जीता। स्टेटुटरी, फस्ट एड एवं सैवधानिक में तृतीय सर्वश्रेष्ठ।

11.14 माईन्स रेस्क्यु के लिए बजट :

विवरण	पुंजीगत बजट		राजस्व बजट	
	2011-12	2010-11	2011-12	2010-11
स्वीकृत	90.38	299.83	938.00	880.00
व्यय	29.38	7.60	1117.00	919.00

12.0 सामग्री प्रबंधन :

12.1 सहायक उद्योगों को दिए गए आदेशों का कुल मूल्य :

i) 2011-12 : रू 819.88 लाख।

ii) 2010 - 11 : रू 754.12 लाख।

12.2 'ई' खरीद के लिए उठाए गए कदम :

सामग्री प्रबंधन विभाग में एक स्वतंत्र सेल स्थापित करके सभी सामग्रियों के लिए 2009-10 में ईसीएल ने ई–खरीद प्रारंभ हुई, ताकि क्रय विभाग की सभी ई–खरीद प्रक्रिया को पूरा किया जा सके। सफलतापूर्वक कार्यान्वियन के लिए ब्राडबैंड द्वारा इन्टरनेट निर्धारण हेतु एलएएन, अपडेटेड साफ्टवेयर इत्यादि मूलभूत सुविधा मौजूद है ताकि सुरक्षित कार्य हो। अद्यतन प्रगति के रूप में सभी ई–खरीद में इ–भुगतान अनिवार्य कर दिया गया है। यद्यपि बयाना राशि जमा एवं निविदा शुल्क अभी भी डिमांड ड्राफ्ट द्वारा जमा ली जा रही है। इन्टरनेट बैंकिंग जैसे एनईएफटी / आरटीजीएस द्वारा ईएमडी / निविदा शुल्क स्वीकार करने हेतु इसे शीघ्र कार्यान्वित किया जायगा जैसे ही प्रोग्राम तैयार होता है।

13.0 गुणवत्ता नियंत्रण :

13.1 वर्ष 2011-12 के दौरान वर्ष 2010-11 के 83.14% ग्रेड अनुकूलन की तुलना में तृतीय पक्ष / संयुक्त सैम्पलिंग व्यवस्था के तहत प्रेषण के लिए जो नमूने लिए गए, उनमें से 89.66 प्रतिशत नमूने बिल्ड ग्रेड के अनुकूल पाये गये।

सैंपलिंग का विवरण	2011-12	2010-11
ग्रेड अनुकूलन का % प्रतिशत	89.66	83.14
एक ग्रेड स्लीपेज में नमूनों की संख्या	811	1729
ग्रेड-1 स्लीपेज का % प्रतिशत	10.15	15.53
ग्रेड-2 एवं अधिक ग्रेड स्लीपेज में नमूनों की संख्या	15	131
ग्रेड-2 एवं अधिक ग्रेड स्लीपेज का % प्रतिशत	0.18	1.18

विद्युत संयंत्रों को एमओयू की तुलना में प्रेषण के लिए 99% का लक्ष्य स्वीकृत कोयले के सैंपलिंग के तहत कवर किया गया, वास्तविक उपलब्धि 100% है।

13.2 गुणवत्ता कटौती :

यद्यपि 2009-10 की तुलना में 2010-11 के दौरान ग्रेड पुष्टि 1.61% बढ़ा है, 2011-12 में गुणवत्ता कटौती रू. 53.60 प्रतिटन रहा जबकि 2010-11 में यह 43.02 रू/टन था यह ग्रेड बी एवं ग्रेड सी कोयले के मूल्य में अंतर के कारण हुआ।

वर्ष	कुल प्रेषित मात्रा रेल एवं रोड (लाख टन में)	कटौती की राशि (लाख रू में)	कटौती प्रति टन
2011-12	303.40	16252.84	53.60
2010-11	292.01	12317.39	42.18

(आरओएम) (250 एम एम) के बेसिक मूल्य के आधार पर राशि की गणना की गई)

13.3 वजन एवं साइजिंग स्तर :

13.3.1 वजन स्तर :

2011-12 में 99% एमओयू लक्ष्य के बदले रेल द्वारा विद्युत संयंत्रों को प्रेषित कोयले की वास्तविक उपलब्धि 99.12% रही। विगत वर्ष की तुलना में विद्युत संयंत्रो को आपूर्ति के लिए ईपीएस में जो वृद्धि हुई जिसे निम्नलिखित सारणी में देखा जा सकता है :

(आंकड़े लाख/टन)

	2011-12			**2010-11**		
	विद्युत ईपीएस	**अन्य उपभोक्ता**	**कुल वजन**	**विद्युत ईपीएस**	**अन्य उपभोक्ता**	**कुल वजन**
रेल द्वारा प्रेषित मात्रा	246.36	57.04	303.40	262.12	31.51	293.63
ईपीएस के तहत वजन की गई मात्रा	244.19	56.55	300.74	258.40	31.51	289.91
ईपीएस के तहत वजन %	99.12	99.14	99.12	98.58	100.00	98.73

13.3.2 साईजिंग स्तर :

वे साइडिंग जहाँ सीएचपी/एफबी की सुविधा नहीं है, साइजिंग का कार्य डोजर द्वारा किया गया। कोयले के 100 प्रतिशत क्रसिंग प्राप्त करने के लिए स्थलों पर सीएचपी/एफबी स्थापित करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। पिट हेड से लोडिंग स्थल तक क्रस्ड कोयले के परिवहन के लिए ठेके देने की कार्रवाई की जा रही है99% एमओयू लक्ष्य से विद्युत संयंत्रों को साईज कोल का प्रेषण निम्नलिखित है :

(आंकड़े लाख / टन)

	2011-12			2010-11		
कोयले की साईडिंग	विद्युत	अन्य	कुल	विद्युत	अन्य	कुल
सीएचपी/एफबी में मात्रा साईज (लाख टन)	217.22	46.04	263.26	243.90	26.61	270.51
%	11.83	19.30	13.99	6.95	15.53	7.88
डी जेड आर/एमएनएल	29.14	11.00	40.14	18.22	4.90	23.12
कुल	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

14.0 सर्तकता गतिविधियाँ (2011-12) :

14.1 दंडात्मक :

क्र.सं.	**विषय**	**संख्या**
1	प्राप्त शिकायतें	344

2	जाँच हेतु प्राप्त शिकायतें	38	
3	31.03.2012 को लंबित शिकायतें	22	
4	अनुसंधान हेतु लिए गए मामले	09	
5	अनुसंधान पूरा हुआ	08	
6	31.03.2012 को लंबित अनुसंधान	01	
7	सीबीआई द्वारा पंजित नियमित मामले	01	
8	अनुशासनिक कार्रवाई हेतु लिए गए मामले	मामले की संख्या	व्यक्तियों की संख्या
	बड़े	05	08
	छोटे	02	29
9	विभागीय जाँच पूर्ण हुई	14	50
10	मामले जिनमें दंड लगाया गया		
	(i) बड़े दंड	03	23
	(ii) छोटे दंड	03	10
	(iii) प्रशासनिक कार्रवाई	04	08
	(iv) आरोप मुक्ति	04	09
11	31.3.2012 को विभागीय जांच लंबित		
	(i) बड़े	28	42
	(ii) छोटे	01	03
12	6 महीने से अधिक से जाँच आईए के पास लंबित	11	15

14.2 निवारक :

क्र.स.	विषय	संख्या
1	औचक जांच / निरीक्षण किया गया	12
2	सतर्कता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित :	
	(i) जागरूकता कार्यक्रम	6
	(ii) अंशधारियों की बैठक	1
	(iii) प्रतियोगिता लेख / पेंटिंग	4

3	सतर्कता जागरूकता पर सेमीनार / कार्यशाला	2

नियमित एचआरडी कार्यक्रम में 2 सत्र (तीन घंटे का) सतर्कता जागरूकता के लिए समर्पित है।

14.3 व्यवस्थित सुधार के लिए किए गए उपाय :

फरवरी 2012 के दौरान लैंड लूजर के बदले नियोजन मामले में व्यवस्थित सुधार से संबंधित प्रबंधन के पास एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ।

14.4 सतर्कता जागरूकता सप्ताह :

केन्द्रीय सतर्कता आयोग के निर्देशानुसार ईसीएल में31 अक्टूबर से 5 नवम्बर, 2011 तक सकर्तता जागरूकता सप्ताह मनाया गया।

हमारे सम्पूर्ण गतिविधियों में ईमानदारी एवं पारदर्शिता लाने लिए तथा जीवन के सभी क्षेत्रों में भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए एक शपथ ली गई।

इस अवधि के दौरान निम्नलिखित कार्य आयोजित किए गए –

- भ्रष्टाचार विरोधी नारो से युक्त बैनर एवं पोस्टर ईसीएल मुख्यालय एवं क्षेत्रों के सभी महत्वपूर्ण स्थलों पर लगाए गए।
- इसीएल के विभिन्न क्षेत्रों में ईसीएल सतर्कता विभाग द्वारा सतर्कता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित की गई।
- 02.11.2011 कोए. जी. चर्च स्कूल, सोदपुर में स्कूल, सोदपुर में स्कूली बच्चों के लिए प्रतियोगिता आयोजित की गई जिसमें विभिन्न स्कुली बच्चों ने भाग लिया।
- एचआरडी सभागार में 02.11.2011 को वरिष्ठ प्रबंधक (सतर्कता) द्वारा प्रबंधन प्रशिक्षुओं के लिए एक दिवसीय सतर्कता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रबंधन प्रशिक्षुओं को उनपर लागू होने वाले आचरण, अनुशासन एवं अपील नियमों की जानकारी दी गई तथा निविदाकरण प्रक्रिया एवं सतर्कता के विभिन्न आयामों की जानकारी दी गई।
- 03.11.2011 को ईसीएल मुख्यालय में अधिकारी एवं गैर अधिकारी कर्मियों के बीच निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई। निबंध का विषय क्या वर्तमान भ्रष्टाचार विरोधी अभियान का अपेक्षित परिणाम निकालता है ? यह अधिकारियों के लिए एवं गैर अधिकारियों के लिए (अंग्रेजी, हिंदी या बंगाली) – बेहतर पारदर्शिता लाने के लिए ईसीएल प्रबंधन को आगे क्या कदम उठाना

चाहिये ? विजयी प्रतिभागियों (दोनों) को पुरस्कृत किया गया।

- ईसीएल मुख्यालय के सम्मेलन कक्ष में 04.11.2011 कोएक दिवसीय सेमिनार आयोजित की गई जिसमें सभी क्षेत्रों के मुमप्र/मप्रएवं मुख्यालय के सभी विभागीय प्रधानों ने भाग लिया। इस अवसर पर ईसीएल मुख्यालय के सतर्कता विभाग द्वारा समाचार पत्रिका 'सचेतनता' का उद्घाटन किया गया।

- मुख्यालय के सम्मेलन कक्ष में 05.11.2011 को अंशधारियों की बैठक बुलाई गई जिसकी अध्यक्षता, निदेशक (कार्मिक) श्री एस. के. श्रीवास्तव द्वारा किया गया जिसमें श्री एन कुमार, निदेशक (तकनीकी) पीएण्ड पी, श्री ए के सोनी, निदेशक (वित्त) एवं श्री पी के सिन्हा, सीभीओ, ईसीएल एवं बीसीसीएल ने भाग लिया।

- मुख्यालय के सम्मेलन कक्ष में 27.3.2012 को प्रबंधन प्रशिक्षुओं के लिए एक सतर्कता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित की गई जिसमें करीब 50 अधिकारियों ने भाग लिया जिसमें, आचरण, अनुशासन तथा कर्मियों पर लागू कोल इंडिया के अपील रूल की चर्चा हुई। इसके सीभीसी एवं सीबीआई इत्यादि की भूमिका पर चर्चा हुई। इसके अलावा सतर्कता की कार्य प्रणाली, सतर्कता के विभिन्न आयाम, सीभीसी एवं सीबीआई की भूमिका पर चर्चा हुई।

14.5 आईटी उपयोग की सीमा एवं ई–गवर्नेस :

एनआईसी द्वारा सीभीओ की सिफारिश पर सरकारी निविदा पोर्टल द्वारा निविदा दस्तावेजों के वेब–प्रकाशन के लिए प्रशासक के रूप में ईसीएल के महाप्रबंधक (प्रणाली) को नियुक्त किया गया है। उन्हें कहा गया है कि पेटी नेचर को छोड़कर निविदाओं का 100% वेब प्रकाशन करें। अब निविदाओं को एक ही समय कंपनी के वेबसाईटwww.easterncoal.gov.in तथा सरकारी निविदा पोर्टल www.tenders.govt.in पर रखे जा रहे है। इसके अलावा निविदाएवं बोली दस्तावेज पंजीयन फार्म फार भेंडर्स एवं सतर्कता परिपत्र भी वेबसाईट पर उपलब्ध है।

कंपनी वेबसाईट सीआईएल वेबसाईट से जुड़े हैं जिसमें ठेका, सिविल, क्रय से संबंधित नियमावली उपलब्ध है। बिल भुगतान एवं बकाया बिलों का विवरण वेबसाईट पर डाले जा रहे है। नियोजन सूचना भी ईसीएल के वेबसाईट पर डाले जा रहे हैं। लोक शिकायतों से निपटने के लिए सरकारी पोर्टल पर एक लिंक "pgportal.gov.in डाला गया है।

14.6 इ–गवर्नेस का कार्यान्वयन :

एक बैठक के दौरान निम्न लिखित मुद्दों की समीक्षा की गई –

i) सभी परिपत्रों की ईसीएल वेबसाईट पर डालना।

ii) तृतीय पक्ष को ई-भुगतान

iii) नियोजन की स्थिति (भूमि अधिग्रहण के बदले एवं मेडिकल अनफिट), नामित के साथ संबंध एवं वीआरएस आवेदन। समयबद्ध कार्रवाई के लिए अनुरोध किया गया। सीआईएल अध्यक्ष की उपस्थिति में कोयला मंत्रालय में बैठक के दौरान एफएसए, एमओयू तथा ई-आक्सन के संबंध में मुख्यालय में कोयला प्रेषण के मासिका आवंटन हेतु तरीके पर व्यापक अध्ययन किया गया।

14.6.1 ई-आक्सन :

विगत वर्ष की तुलना में अप्रैल 2011 से दिसम्बर, 2011 के दौरान ई-आक्सन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। आवंटन में आटोमेशन के कारण कंपनी के लिए पैसे का लाभ हुआ है क्यों कि उच्च बोली कोलियरियों, पाईलटों का ई आक्सन के तहत प्रस्ताव किया जाता है तथा नीची बोली कोलियरीयों। पाईलटों का एफएसए उपभोक्ता को गैर विद्युत क्षेत्र के तहत प्रस्ताव किया जाता है। 2011 (अप्रैल 2011 से दिसंबर, 2011) के दौरान विगत वर्ष के 798.42 हजार टन की तुलना में 3061.22 हजार का तथा अधिसूचित मूल्य पर पैसे के रूप में लाभ रू. 40086.71 लाख था जो विगत वर्ष की अवधि में रू 8054.24 लाख था।

प्रणाली उन्नयन उपाय के कारण स्टीम लीडिंग में सुधार हुआ है। जनवरी 2011 से दिसम्बर 2011 के दौरान 2010 की इसी अवधि की तुलना में रेल द्वारा 2.50 लाख टन की तुलना में 8.81 लाख टन तथा सड़क द्वारा 9.22 लाख टन की तुलना में 13.79 लाख टन हुआ। इस तरह 10.88 लाख टन का सुधार एवं रू. 19.58 करोड़ का अतिरिक्त लाभ प्राप्त हुआ।

14.6.2 ई-खरीद :

मे० आईटी आई लि० सेवा प्रदाता के साथ ई-निविदा द्वारा सभी खुली / ग्लोबल निविदा जारी की जाती है, निविदा दस्तावेज आईटीआई के पोर्टल www.itietendering.com / CIL पर डाली जाती है। इन निविदाओं के लिए निविदा सूचना सरकारी निविदा पोर्टल के साथ साथ ईसीएल के वेबसाईट पर इस टिप्पणी के साथ डाला जाता है कि निविदा दस्तावेज आईटीआई पोर्टल पर उपलब्ध है तथा वहाँ से डाउनलोड किया जा सकता है। इसके बाद रू. 10 लाख से अधिक के निविदा जाँच ईसीएल के वेबसाईट / सरकारी पोर्टल पर अपलोड / प्रकाशित किया जाता है।

2011 के दौरान ईसीएल मुख्यालय का सभी खुला/ग्लोबल निविदा ई प्राईस बिड सिस्टम के साथ ई-खरीद द्वारा किया जाता है। इस तरह के कई मामले सुलझाए गए है तथा बाकी फाईनल होने की स्थिति में है। ई-खरीद के लिए सभी गतिविधियाँ निर्विघ्न रूप से किया जाय, ढांचागत सुविधाएं जैसे एलएएन कनेक्सन, अद्यतन कम्प्युटर, स्कैनर इत्यादि डीलिंग अधिकारी को उपलब्ध करवाए गए है। ई-खरीद के लिए एक पूर्ण स्वतंत्र ई-खरीद सेल कार्यरत है।

वर्तमान में निविदा शुल्क एवं बयाना राशि जमा या दस्तावेज आफ लाईन से प्राप्त किए जाते है तथा टेक्नोकामर्सियल (पार्ट-I) बिड दूसरे दिया खोला जाता है। इन्टरनेट बैंकिंग जैसे एनईएफटी/आरटी जी एस के द्वारा भुगतान के लिए एक सिस्टम विकसित करना है ताकि निविदा शुल्क एवं ईएमडी ऑनलाईन स्वीकार किया जा सके। इनका जमा या छूट वित्त विभाग / सेवा प्रदाता द्वारा विभाग को सूचित करना होता है ताकि टेक्नो-कामर्सियल (पार्ट - I) बिड को खोलते समय प्रस्ताव का स्वीकार्य / अयोग्यता निविदा खुलने के बाद किया जा सके। इस संबंध में प्रयास किए जा रहे हैं। विभाग द्वारा फाईनल किए जाने वाले सभी क्रय आदेशों का विवरण निविदा के फाईनल होने के पश्चात वेबसाईट पर डाले जाते है।

14.6.3 ई-भुगतान :

सभी भुगतान मुख्यालय में कम्प्युटर सिस्टम के द्वारा किए जाते है। भुगतान हेतु बिलों को प्रोसेस करने के बाद दस्तावेज कम्प्युटर सिस्टम में रेज किए जाते है। बाद में भुगतान आदेश फंड सेक्सन में भुगतान हेतु भेजे जाते हैं। पहले सभी भुगतान चेक जारी करके किया जाता था। अब आरटीजीएस / ई-मोड द्वारा भुगतान प्रारंभ करने के बाद भुगतान चेक जारी करके एवं आरटीजीएस/ईमोड द्वारा आदेश दोनों माध्यम से किया जाता है।

11.6.4 जॉब रोटेशन :

संवेदनशील विभागों में काम करने वाले अधिकारियों / गैर अधिकारियों के संबंध में स्थानांतरण नीति स्पष्ट करते हुए एक कार्यान्वय आदेश सं० ईसीएल / सी-5 (डी) / सेन्सेटिभ पोस्टिंग / ईई / 775 दिनांक 30.4.2009 जारी किया गया था। 23.2.2010 के रचनात्मक बैठक के दौरान इस मुद्देपर कोयला सचिव के साथ हुई बैठक का सीभीओ ने जिक्र किया। उपमुख्य का० प्र० (ईई) को निर्देश दिया गया था कि रचनात्मक बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हेतु तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करें तथा म.प्र. (का० एवं औ० संबंध) इस संबंध में क्षेत्रीय मु. मप्र / म.प्र. / विभागीय प्रधान से संपर्क करके गैर अधिकारी के लिए जरूरी कार्रवाई करें।

14.7 महत्वपूर्ण उपलब्धि :

14.7.1 सत्यनिष्ठा समझौता कार्यक्रम का कार्यान्वयन :

सत्यनिष्ठा समझौता ईसीएल में कार्यान्वयन कियागया है। 2011 में 140 निविदा (क्रय से 117, सीएमसी से 17 तथा सिविल से 2) आईपी शामिल किए गए। कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई तथा कोई मामला स्वतंत्र बाहरी मॉनिटर को भेजा नहीं गया।

14.7.2 सतर्कता गतिविधियों से 2011 में वसूली का विवरण :

सतर्कता संदर्भ संख्या	मामले का विषय	वसूली का विवरण	वसूल की गई राशि
सीबी - 06 / 08	सतग्राम क्षेत्र में 1996-97 से 2005 के दौरान पे–क्लर्क एडवांस में गड़बड़ी	आदेश सं ईसीएल/भिज/सीबी–06 / 8 / पीयू–एक्स / 22 दिनांक 3.9.2011 द्वारा श्री डी के चटर्जी, भूतपूर्व वित्त प्रबंधक के बकाया से रू.4.71 लाख की वसूली।	रू. 4.71 लाख।
		आदेश सं० ईसीएल/भिज/सीबी–06 / 08 / पी यू.– एक्स / 23 दिनांक 3.9.2011 द्वारा सलानपुर क्षेत्र के वित्त प्रबंधक श्री ए के दत्ता से रू. 58976/ - की वसूली	रू. 58976/-

14.7.3 सतर्कता गतिविधियों के कारण कंपनी को आर्थिक लाभ :

2011 (अप्रैल 2011 से दिसम्बर, 2011) के दौरान ई–आक्सन में सुधार हुआ, विगत वर्ष के 798.42 हजार टन की तुलना में 3061.22 हजार टन तथा अधिसूचित मूल्य में विगत वर्ष के रू. 8054.24 लाख की तुलना में रू. 40086.71 लाख की प्राप्ति हुई।

प्रणाली उन्नयन से स्टीम लोडिंग में सुधार हुआ। जनवरी 2011 से दिसंबर 2011 के दौरान 2010 की तुलना में रेल द्वारा 2.50 लाख टन की तुलना में 8.81 लाख टन तथा सड़क द्वारा 9.22 लाख टन की तुलना में 13.79 लाख टन हुआ। इस प्रकार रू. 19.58 करोड़ की अतिरिक्त आमदनी हुई।

ईएमडी का रिफंड न्यूनतम लाया गया तथा प्रयास किया जा रहा है कि बुक की गयी संपूर्ण मात्रा इ–आक्सन के तहत हो एवं कंपनी ईएमडी रिफंड फ्री कंपनी बनने की ओर अग्रसर है।

सतर्कता विभाग का आफिस आटोमेशन, ईसीएल इन्टीग्रेटेड सतर्कता सूचना प्रणाली ईसीएल में कार्यान्वित की गई है तथा नए माड्यूल्स जैसे विजिलेंस क्लीयरेंस स्टेटस इत्यादि विकसित की जा रही है।

15.0 कर्मियों का विवरण :

कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 217 (2P) के तहत निर्धारित सीमा के कोर कर्मचारी अधिक वेतन प्राप्त नहीं किया,

संशोधित नियम 1975 (कर्मचारियों का विवरण)

16.0 2011-12 के दौरान ईसीएल में राजभाषा कार्यान्वयन :

ईसीएल मुख्यालय तथा इसके 11 क्षेत्र, ''ग'' क्षेत्र (पश्चिम बंगाल राज्य) में स्थित है जहाँ हमारे 86 प्रतिशत कर्मचारी पदस्थापित हैं। केवल 03 क्षेत्र 'क' क्षेत्र (झारखंड) में स्थित है। 'क' क्षेत्र के साथ साथ 'ग' क्षेत्र में गृह मंत्रालय, भारत सरकार के राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम 2011-12 में दिए गए लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास किए गए।

1) आलोच्य वर्ष के दौरान विगत वर्ष की तुलना में हिन्दी पत्राचार में76.35% की वृद्धि दर्ज की गई।

2) इसी तरह हिन्दी टिप्पणी लिखने में 2010-11 की तुलना में 2011-12 के दौरान 68.24% की वृद्धि दर्ज की गई।

3) वर्ष 2011-12 में 04 हिन्दी कार्यशालायें दिनांक 24.05.2011, 09.09.2011, 09.11.2011 एवं 15.02.2012 को आयोजित की गई जिसमें 171 अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने प्रशिक्षण लिया।

4) आलोच्य अवधि के दौरान ईसीएल के सभी क्षेत्रों में दिनांक01.09.2011 से 14.09.2011 अतक हिन्दी पखवाड़ा मनायागया जिसके दौरान निबन्ध प्रतियोगिता, कार्यालय पत्र लेखन प्रतियोगिता एवं टिप्पणी लेखन प्रतियोगिता सम्पन्न हुई। समापन समारोह 18.01.2012 को डिसरगढ़ क्लब में आयोजित किया गया जिसमें प्रतियोगिता के पुरस्कार विजेता प्रतिभागियों को पुस्तक के रूप में पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र उल्लेखनीय सफलता प्राप्त करने वाले क्षेत्रों को शील्ड से नवाजा गया।

5) राजभाषा कार्यान्वयन के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने के उद्देश्य से 17.08.2011 को स्थानीय डिसेरगढ़ क्लब में एक हिन्दी कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया।

6) विगत वर्षों की तरह हिन्दी पुस्तकालय को समृद्ध करने के उद्देश्य से प्रसिद्ध लेखकों की कई पुस्तकें खरीदी गई। वर्ष के दौरान दैनिक हिन्दी समाचार पत्रों की खरीद के लिए पर्याप्त राशि खर्च की गई।

7) अवधि के दौरान कोल इंडिया की गृह पत्रिका खनन भारती के चार अंक प्राप्त किए गए जिसका मुख्यालय एवं क्षेत्रों में वितरण किया गया।

8) कोल इंडिया स्थापना दिवस समारोह 2011 के आयोजन में पूरी तरह हिन्दी का प्रयोग किया गया जिसमें निमंत्रण पत्र, पत्राचार तथा 01.11.11 को मुख्यालय में तथा 02.11.11 को कुनुस्तोड़िया क्षेत्र में कार्यक्रम का संचालन हिन्दी में किया गया।

9) इस वर्ष के दौरान भी मुख्यालय के तकनीकी भवन एवं प्रशासनिक भवन के प्रवेश द्वार पर महापुरुषों के आदर्श वाक्यों को प्रदर्शित करने की परम्परा जारी रही।

10) विगत वर्ष की तरह इस वर्ष भी मुख्य महाप्रबन्धक / महाप्रबन्धक के साथ अप्रनि महोदय के साथ प्रत्येक महीने में आयोजित होने वाली समन्वय बैठक का कार्यवृत द्विभाषिक रूप से (हिन्दी एवं अंग्रेजी) में जारी किया गया।

11) वर्ष 2011-12 के दौरान मुख्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों के कुल 20 कर्मचारियों / अधिकारियों को राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट) दुर्गापुर से कम्प्यूटर पर हिन्दी कार्य का प्रशिक्षण दिलाया गया।

12) वर्ष के दौरान सेवा निवृत होने वाले कर्मचारियों (अधिकारी / गैर अधिकारी) को सेवा निवृति की तिथि पर सम्मानित करने का कार्य आरम्भ कियागया जिसमें दिए जाने वाले प्रमाण पत्र के रुप में स्मृति चिन्ह जिसमें कर्मचारी को योगदान की तिथि तथा सेवा अवधि का जिक्र हिन्दी में दिए जाने का नीतिगत रुप से निर्णय लिया गया।

17. **बी आई एफ आर एवं** बीआर पी एसई की स्थिति :

31 मार्च, 1997 को संचित घाटा इसके शुद्ध मूल्य से रू. 251.20 करोड़ से बढ़ गया अत: कंपनी को अक्टूबर 1997 में सीका की धारा 15(1) के तहत औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड में भेज दिया गया। 31 मार्च 1998 को सीआईएल द्वारा वित्तीय पुनर्गठन के तहत रु. 1179.45 करोड़ के अनुरक्षित ऋण को इक्वीटी अंश पूंजी में परिवर्तित किए जाने के कारण कंपनी का शुद्ध मूल्य उस तिथि को सकारात्मक हो गया एवं कंपनी बीआईएफआर से बाहर निकल गया। चूंकि कंपनी लगातार वर्ष दर वर्ष घाटे में रही अत: कंपनी का शुद्ध मूल्य 31 मार्च, 1999 को फिर नकारात्मक होगई एवं पुन: कंपनी नवम्बर 1999 में बीआईएफआर में चली गई। कंपनी का मामला केश संख्या 501/2000 के तहत पंजीकृत किया गया।

बीआईएफआर ने फरवरी 2001 के आदेश के द्वारा ईसीएल को एक बीमार कंपनी घोषित कर दिया एवं भारतीय स्टेट बैंक को ऑपरेटिंग एजेन्सी के रूप में नियुक्त कर दिया, जो कंपनी के लिए एक सुधार योजना का सूत्रपात करेगी। स्टेक होल्डरों के साथ विस्तृत विचार विमर्श के पश्चात संशोधित सुधार योजना ईसीएल दिनांक 31 जनवरी 2004 तैयारी की गई। इस पर दिनांक 03.03.2004 को संयुक्त रूप से चर्चा हुई। इस संयुक्त बैठक में समस्त अंशधारियों ने योजना पर अपनी सहमति व्यक्त की। संयुक्त बैठक में चर्चा के अनुसार ऑपरेटिंग एजेन्सी ने एक ड्राफ्ट सुधार योजना, ईसीएल (मार्च 2004), तैयार किया एवं बीआईएफआर के पास जमा किया। योजना के अनुसार कंपनी का शुद्ध मूल्य 2008-09 तक सकारात्मक होने की उम्मीद की गई। बीआईएफआर ने नवम्बर, 2004 में ईसीएल की सुधार योजना को कार्यान्वियन के लिए मंजूरी दे दी । लेखा महा नियंत्रक के कार्यालय द्वारा योजना की जांच की गई। उन्होंने भी कंपनी के सुधार योजना को मंजूरी दे दी।

दिनांक 16.06.2004 से कोयला की कीमत में वृद्धि कर दी गई। इसी बीच 15 जुलाई 2005 को मजदूर संघों, कोल इंडिया लिमिटेड एवं इसकी सहायक कम्पनियों द्वारा दिनांक 01 जुलाई 2001 से पाँच वर्षो के लिए राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-

VII हस्ताक्षरित हुई । संशोधित योजना के अनुसार कम्पनी का शुद्ध मूल्य 2009-10 तक सकारात्मक होने की आशा की गई । संशोधित योजना को नव गठित बीआरपीएसई के समक्ष 29 अगस्त 2005 के समक्ष प्रस्तुत किया गया । उन्होंने इस शर्त के साथ इसकी मंजूरी दी कि ईसीएल वास्तविक एवं वित्तीय पारामीटर को प्राप्त कर लेगा। बीआरपीएसई की संस्तुतियों की सुनवाई 13 जनवरी 2006 को केबिनेट सचिव की अध्यक्षता में गठित सचिवों की समिति द्वारा की गई । उन्होंने भी कम्पनी के पुनरूद्धार के लिए योजना पर अपनी सहमती दे दी । दिनांक 06 अक्टूबर, 2006 को आर्थिक मामले पर केबिनेट समिति ने बीआरपीएसई की संस्तुतियों पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी ।

भारत सरकार की मंजूरी प्राप्त होने के पश्चात कंपनी ने संशोधित सुधार योजना को मॉनिटरिंग एजेन्सी एवं बीआईएफआर के पास 2006 के दौरान इस अनुरोध के साथ जमा कर दिया कि संशोधित सुधार योजना का कार्यान्वयन हेतु मंजूरी दी जाय । बीआईएफआर ने दिनांक 12.06.2007 को ईसीएल के मामले की समीक्षा की। बीआईएफआर ने कंपनी को यह सुझाव दिया कि वह 60 दिनों के भीतर सरकार से स्वीकृत सुधार योजना को मॉनिटरिंग एजेन्सी (एसबीआई), के पास जमा करे एवं उसकी एक प्रति उन्हें दे दे। कंपनी ने दिनांक 07.08.2007 को बीआईएफआर को एक प्रतिलिपि भेजते हुए मॉनिटरिंग एजेन्सी के पास इसे जमा कर दिया। बीआईएफआर द्वारा इस योजना को स्वीकृत किया जाना है ।

इसी बीच 24 जनवरी 2009 को गैर अधिकारियों का 1 जुलाई 2006 से 5 वर्षों के लिए एनसीडब्ल्युए-VIII समझौता हस्ताक्षरित हुआ। भारत सरकार ने बोर्ड लेवेल एवं बोर्ड लेवेल से नीचे के अधिकारियों के लिए सेन्ट्रल पब्लिक सेक्टर इन्टरप्राईज में 1 जनवरी, 2007 से 10 वर्षों के लिए संशोधित वेतनमान की घोषणा की कंपनी ने बीआईएफआर को प्रतिलिपि देते हुए इसकी सूचना मॉनिटरिंग एजेंसी को दिया। जून, 2009 में बीआईएफआर ने कंपनी को सुझाव दिया कि वह पहले के ड्राफ्ट मोडीफाईड रिवाईवल ध्यान में संशोधन करे। बीआईएफआर ने कंपनी का पुन: सुझाव दिया कि वह डीएमआर पी के सीसीईए स्वीकृति की एक कांपी भेजे।

अत: कंपनी ने कई परियोजनाओं के कार्यान्वयन में हुए विलम्ब को शामिल करते हुए एक संशोधित सुधार योजना तैयार की। इस संशोधित सुधार योजना पर 31 अगस्त 2009 एवं 1 सितम्बर, 2009 की ईसीएल बोर्ड की 230 वीं बैठक में चर्चा हुई। संशोधित सुधार योजना के मुताबिक सीआईएल से छूट के साथ कंपनी का शुल्क मूल्य 2014-15 में सकारत्मक हो जायगा। यद्यपि कोयले की कीमत 16 अक्टूबर, 2009 से बढ़ गया। विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन में हुई देरी के कारण 5 जनवरी 2010 को कार्यकारी निदेशकों ने बैठक के दौरान सुझाव दिया कि 2010-11 से 2016-17 के फीजीकल पैरामीटर को संशोधित करे तथा इसकी समीक्षा की जा रही है।

इसलिए पहले तैयार किए गए वित्तीय प्रक्षेपण में संशोधित किया गया। संशोधित वित्तीय प्रक्षेपण के मुताबिक कंपनी का शुद्ध

मूल्य सीआईएल ऋण की माफी एवं चालू लेखा शेष को इक्विटी में बदलने के साथ 2016-17 तक सकारात्मक हो जायगी। 5 अगस्त 2010 को ईसीएल बोर्ड की 237 वीं बैठक में संशोधित ड्राफ्ट / संशोधित प्रस्ताव (डीएमआरपी) जून 2010 की मंजूरी दे दी। बीआरपीएसई ने ईसीएल के मामले की सुनवाई 27 अगस्त 2010 को की। कंपनी ने डीएमआरपी (जून 2010) प्रस्तुत किया। बीआरपीएसई ने कंपनी को सुझाव दिया कि वह परियोजनाओं को पूरा करने की संभावना देखे ताकि कंपनी बीआईएफआर से मुक्त हो सके। अतः कंपनी वास्तविक एवं वित्तीय प्रक्षेपण में सुधार करे। अतः अंतिम तिथि 31.03.2010 के साथ संशोधित डीएमआरपी तैयार किया गया। डीएमआरपी (नवम्बर, 2010) के मुताबिक यह उम्मीद की गई कि कंपनी 2014-15 तक बीआईएफआर से बाहर आ जायगी। संशोधित डीएमआरपी (नवम्बर, 2010) 22 नवम्बर, 2010 की बैठक में बीआईएफआर को सुपुर्द किया गया। बीआईएफआर ने मानिटरिंग एजेंसी को सुझाव दिया कि वह विशेषज्ञ की मदद से प्रस्ताव की जांच करे, तथा परवर्ती कार्रवाई के लिए एमडीआरएफ बीआईएफआर के पास जमा करे। मॉनिटरिंग एजेंसी डीएमआरपी (नवम्बर,2010) की जांच कर रहा है तथा परामर्शदाता द्वारा टीईभी स्टडी प्राप्त कर रहा है।

दिनांक 08.6.2011 को सम्पन्न सुनवाही में बीआईएफआर ने कंपनी को सुझाव दिया कि डीएमआरपी एवं टीईभी रिपोर्ट की प्रतिलिपि सभी अंशधारियों को भेजी जाय, एमए को सुझाव दिया गया कि चार सप्ताह के भीतर सभी अंशधारियों की एक बैठक बुलाई जाय तथा डीएम आर पी एवं टीईभी पर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाय तथा अन्य अंशधारियों का कोई सुझाव हो तो वह भी 6 सप्ताह के प्रस्तुत करें। बीआईएफआरके निर्देशों का संकलन किया जा रहा है।

दिनांक 02.9.2011 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही के मुताबिक एमडीआरएस को फाईनल करते समय बीआईएफआर ने निम्नलिखित मदों को स्वीकार करने का सुझाव दिया –

i) कोयले का मूल्य निर्धारण आयातित मूल्य के लगभग बराबर होना चाहिए। विक्रय, लाभदायिकता एवं नकद प्रवाह प्रक्षेपण दो सिनारियो के तहत जमा करवाया जाय – (क) आयातित पार्टी मूल्य पर कोयले का मूल्य, योजना की लागत को भी तद्नुसार संशोधित किया जाय, (ख) कोल इंडिया मूल्य निर्धारण दिशा निर्देश के साथ प्रस्तुत किया जाय।

ii) लाभदायकता प्रक्षेपण संरक्षणात्मक आकलन के साथ हो तथा पहले के प्रवृति पर उचित एवं व्यवहारिक प्राप्य लक्ष्य पर आधारित हो। एवं उत्पादन लक्ष्य की समीक्षा की जाय तथा प्राप्य लक्ष्य एमडीआरएस मे शामिल किया जाय। तद्नुसार डीएसआरपी सितम्बर, 2011 को उपरोक्त मुद्दों को मानते हुए प्रस्तुत किया गया। संशोधित डीएमआरपी ईसीएल – सितंबर, 2011 के मुताबिक यह माना गया कि 2015-16 तक कंपनी का शुद्ध मूल्य सकारात्मक हो जायगा। सुधार योजना को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं तथा यह अपेक्षा की जाती है कि कंपनी 2015-16 तक बीआईएफआर से बाहर आ जायगी।

18.0 कम्प्युटरीकरण एवं आईटी संबंधी सेवाएं :

क) मानक बिजनेस अप्लीकेशन :

क) कंपनी ने मानक बिजनेस अप्लीकेशन जैसे पे रोल, पर्सनल इन्फारमेशन सिस्टम, वित्तीय लेखांकन सिस्टम, लागत लेखांकन सिस्टम, सामग्री प्रबंधन सिस्टम, सेल्द बिलिंग एवं लेखांकन सिस्टम, रोड सेल्स इत्यादि को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया।

ख) उपरोक्त अप्लीकेशनों को आनलाईन संचालन में संशोधित एवं प्लेस करने के लिए कंपनी ने कदम उठाया है ताकि संबंधित यूजर अपने कार्य स्थल से ही इसका उपयोग कर सके तथा सिस्टम का पूरा लाभ उठा सके।

ग) वर्तमान बैच मोड मेटेरियल मेनेजमेंट सिस्टम को 6 क्षेत्रीय स्टोरों में ऑन लाईन कार्यान्वित किया जहाँ डाटा कनेक्टीवीटी स्थापित किया जा सके।

घ) बैच मोड फाईनेन्सियल एकाउन्टिंग सिस्टम को संशोधित करके मुख्यालय तथा 6 क्षेत्रों (केंदा, सालानपुर एवं पांडेश्वर, कुनुस्तोड़िया, सतग्राम एवं मुगमा) में ऑनलाईन मोड में बदल दिया गया है।

ङ) कोल इंडिया लि० के कोलनेट प्रोजेक्ट के रोड सेल्स माड्यूल का ईसीएल विक्रय कार्यालय कोलकाता में कार्यान्वित कर दिया गया तथा यह सफलतापूर्वक संचालित हो रहा है।

च) ईसीएल के सतर्कता विभाग में सतर्कता सूचना प्रणाली कार्यान्वयन हो चुकी है जिसमें ऑनलाईन सूचना, सतर्कता विभाग के लंबित मामलो / प्रक्रियाधीन मामलों को देख सकते हैं।

ख) आफिस आटोमेशन :

क) कंपनी ने विभिन्न कार्यालयों में रूटीन आफिस आटोमेशन कार्य जैसे वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेड शीट आधारित गणणा इत्यादि के लिए 800 पीसी उपलब्ध कराया है। क्लेरिकल कर्मचारी की कमी, ई-मेल का उपयोग करने की जरूरत, फाईल एवं डाटा क्रीयेशन तथा स्थानांतरण इत्यादि की मांग को पूरा करने के लिए और अधिक संख्या में पीसी को व्यवस्था धीरे-धीरे की जाएगी। कुछ

मल्टी फंक्सनल डिवाईस जैसे डाकुमेंटस्केनिंग, कापी करना, प्रिंट एवं फैक्स करना भी महत्वपूर्ण कार्यालयों में उपलब्ध करवाए गए है।

ख) बीएसएनएल से लीज पर इन्टरनेट कनेक्सन लिया गया है एवं ई-पेमेन्ट एवं ई-टेंडर की सुविधा के लिए करीब 50 यूजरों को सुविधा दी गई है। अन्य महत्वपूर्ण यूजरों को विभिन्न सेवा प्रदाताओं (बीएसएनएल, टाटा इंडिकाम, एयरटेल इत्यादि) के माध्यम से इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध कराई गई है। जिसमें ब्राड बैंड, डायलअप एवं वायरलेस मोडेम कनेक्टीवीटी शामिल है।

ग) आफिसियल ई-मेल एकाउन्ट की व्यवस्था निदेशकों, विभागीय प्रधानों एवं क्षेत्रीय मुमप्र / म.प्र. को अंतर विभागीय संचार हेतु की गई है।

घ) विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों से डाटा ट्रांसफार धीरे-धीरे मीडीया ट्रांसफार के स्थान पर ई-मेल अटैचमेंट में बदला जा रहा है।

ङ) विभिन्न विभागों के कर्मचारियों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण नियमित रूप से प्रदान की जा रही है ताकि वे अपने विभाग के कम्प्यूटर का संचालन सफलतापूर्वक कर सकें। इससे कर्मचारियों के बीच निजी कम्प्युटर के व्यवहार हेतु बहुत उत्साह पैदा हुआ है ।

कंपनी का वेबसाईट :

क) कंपनी अपने वेबसाईड www.easterncoal.gov.in पर जनता को प्रसार के लिए सूचना उपलब्ध करवाता है।

ख) ईसीएल वेबसाईट पर आंतरिक परिपत्र / सूचना के प्रसार के लिए ईसीएल अधिकारियों को सुरक्षित लागिन एरिया में निर्धारण का अवसर प्रदान किया गया है।

ग) ईसीएल के क्लोज्ड ग्रुप यूजरों के लिए ईसीएल वेबसाईट पर ''डिस्कसन फोरम'' तैयार किया गया है। डिस्कसन फोरम दैनिक उत्पादन, प्रेषण एवं उपकरण निष्पादन की रिपोर्टिंग एवं समीक्षा की चर्चा की जाती है।

19. इलेक्टरनिक्स एवं दूरसंचार :

सूचना तकनीक के क्षेत्र में हुई प्रगति के मद्देनजर वर्ष 2011-12 के दौरान ईसीएल ने अपने दूर संचार ढांचा के संबंध में निम्नलिखित कार्रवाई की गई :

19.1 सतह संचार :

क) प्रभावी सरफेस संचार के लिए पुराने टेलीफोन एक्सचेंज को64/128 लाईन ईपीएबीएक्स से रीप्लेस किया गया है। जिसमें आईएसडीएन, वीओआईपी, एलएएन / डब्ल्यु ए एन तथा ब्राडबैंड की सुविधा है।

ख) कंपनी मुख्यालय से क्षेत्रीय कार्यालय तक संदेश को त्वरित गति से भेजने के लिए फैक्स मशीन भी उपलब्ध कराया गया है। सभी खदानों मेयं चरणबद्ध रूप से वायरलेस सेट के बदले फैक्स मशीन उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

ग) ईसीएल के कम्प्युटर केन्द्रों एवं मुख्यालय तथा कुनुस्तोडिया क्षेत्र के बीच2 एमबीपीएस लीज्ड लाईन आफ बीएसएनएल के द्वारा डाटा ट्रांसमिशन लिंक स्थापित किया गया।

19.2 भूमिगत संचार :

क) पुराने सेन्ट्रल डिस्पैच सिस्टम को आधुनिक डिजाईन किए गए आटो कम मैनुअल एक्सचेंज द्वारा बदला जा रहा है जिससे भूमिगत खदानों एवं सरफेस से अंडर ग्राउण्ड में संचार इन्फ्रास्ट्रक्चर विस्तार में मदद मिलेगी।

ख) नए आर्मड टेलीफोन केबुल के विभिन्न श्रेणियों को भूमिगत खदानों मे उपलब्ध कराया गया है ताकि पुराने गैर सेवायोग्य केबुलों का स्थान ले सके।

19.3 अन्य :

क) ओपन कास्ट परियोजनाओं एवं सीआईएसएफ में वाकी टाकी / भीएचएफ रेडियो उपलब्ध करवाए गए है।

ख) सीएमडी भवन मुख्यालय में पुराने सिस्टम के स्थान पर नए ओडियों कन्फरेंस सिस्टम को लगाया गया है।

20. भूमि अधिग्रहण एवं भू-सूचना की स्थिति :

20.1 भूमि अधिग्रहण की स्थिति :

2011-12 के दौरान भूमि अधिग्रहण / कब्जा की स्थिति निम्नलिखित है :

2011-12 की स्थिति		
अधिग्रहण का माध्यम	अधिग्रहित (एकड़ में)	कब्जा (एकड़ में)
सरकारी भूमि का ट्रांसफर	शून्य	शून्य
टैनेसी भूमि की सीधी खरीद	1.53	11.51
एलएएक्ट	95.12	95.12
सीबीए एक्ट	शून्य	83.73

एलए अधिनियम एवं सीबीए अधिनियम के तहत की गई भूमि का विवरण निम्नलिखित है –

एलएएक्ट के तहत :

1) कालीपहाड़ी ओसीपी – 44.46 एकड़ – 2011-12 में प्लांट सूचना पूर्ण हुई तथा एलए कलक्टर वर्धमान द्वारा राईटर्स को अग्रेसित किया गया।

2) सारपी यूजी – 217.38 संशोधित – कैबिनेट नोट के लिए आवेदन 3.8.2011 को संयुक्त सचिव सी एण्ड आई प.बं. को जमा किया गया। संयुक्त सचिव सीएण्ड आई ने सीएमओ के पास लीज दस्तावेज 8.11.2011 को जमा करने को कहा। राज्य सरकार ने 28.12.2011 को आकलित राशि का 50% रू. 5.94 करोड़ की मांग की। जिसका भुगतान शीघ्र किया जायगा।

3) नकड़ाकोंदा विस्तार ओसीपी – 55099 एकड़ – 18.5.2011 को आवेदन जमा किया गया। प्रस्ताव एलए कलक्टर वर्धमान के पास लंबित है। कैबिनेट नोट के लिए आवेदन संयुक्त सचिव सीएण्ड आई, प.बं. के पास 24.9.2011 को सीएमओ के पास जमा करें। राज्य सरकार ने 28.12.2011 को आकलित राशि का 50% रू. 0.51 करोड़ की मांग की, राशि 17.2.2012 को जमा कर दिया गया।

4) मोहनपुर ओसीपी – 39.66 एकड़ – ईसीएल ने 9.8.2011 को 0.88 करोड़ रू. जमा किया। प्रस्ताव एलए कलक्टर वर्धमान के पास लंबित। कैबिनेट नोट के लिए आवेदन संयुक्त सचिव सीएण्ड आई के पास 16.11.2011 को जमा किया गया।

5) सोनपुर बजारी ओसीपी – 49.59 एकड़ – आवेदन 27.7.2011 को जमा किया गया। प्रस्ताव एलए कलक्टर वर्धमान के पास लंबित। कैबिनेट नोट के लिए आवेदन संयुक्त सचिव सी एण्ड आई, प.बं. के पास 27.7.2011 को जमा किया गया। संयुक्त सचिव सी एण्ड आई, प.बं. ने लीज दस्तावेज सीएमओ के पास 8.11.2011 को जमा करने का निर्देश दिया। कंपनी द्वारा

आकलित राशि का 50% रू. 0.55 करोड़ 10.01.2012 को जमा किया गया।

6) गौरांडी डी ब्लाक – 42.48 एकड़ – आवेदन 14.6.2011 को जमा किया गया। प्रस्ताव एलए कलक्टर बर्दमान के पास लंबित।

7) पांडवेश्वर ओसीपी – 360.62 एकड़ – आवेदन 19.4.2011 को जमा किया गया। प्रस्ताव एलए कलक्टर बर्दमान के पास लंबित।

8) नारायणकुड़ी ओसीपी – 114.80 एकड़ – आवेदन 14.6.2011 को जमा किया गया। ईसीएल ने 18.10.2011 को रू. 4.26 करोड़ जमा कर दिया।

सीबीए एक्ट के तहत :

1) छोटा भोराई मौजा – 50.38 एकड़ – 27.9.2011 को धारा 9 के तहत अधिसूचना हेतु आवेदन किया गया।

2) सिमलांग प्रोजेक्ट – 18.03 एकड़ – धारा 7(1) के तहत अधिसूचना 23.7.2011 को की गई। धारा 9(1) के तहत ड्राफ्ट अधिसूचना एमओसी के पास 30.12.2011 को भेजा गया।

3) राजमहल फेज – VII – 698.71 एकड़ – धारा 9(1) के तहत ड्राफ्ट अधिसूचना 12.4.2011 को भेजा गया।

4) राजमहल (लोहाडिया) – 228.89 एकड़ – एमओसी ने धारा 7(1) के तहत भारत के गजट मे अधिसूचना 2.4.2011 को प्रकाशित करवाया तथा धारा 9(1) के तहत ड्राफ्ट अधिसूचना एमओसी के पास 8.11.2011 को भेजा गया।

5) सिमलांग प्रोजेक्ट – 566.12 एकड़ – धारा9(1) के तहत ड्राफ्ट अधिसूचना 12.4.2011 को भेजा गया तथा पुन: धारा9(1) के तहत ताजा अधिसूचना एमओसी के पास 28.11.2011 को भेजा गया।

6) मोहनपुर ओसीपी, सलानपुर – 57.69 एकड़ – धारा 9 के तहत ड्राफ्ट अधिसूचना एमओसी के पास 12.4.2011 को भेजा गया। एमओसी ने कहा है कि इस मामले को राज्य सरकार के पास उठाए। ईसीएल द्वारा यह कार्य 17.5.2011 को कियागया। बाद में कुछ स्पष्टीकरण एमओसी के पास 28.11.2011 को भेजा गया।

20.2 परियोजना प्रभावित परिवारों का पुनर्वास : झांझरा क्षेत्र में 36 परिवार।

20.3 बालू के खनन पट्टे की स्थिति :

1) स्टोविंग हेतु बालू के उत्खनन के लिए अस्थाई वर्किंग परमिट 01.04.2011 से 30.09.2011 तक के लिए संयुक्त सचिव, प.बं. सरकार, सीएण्डआई विभाग, कोलकाता से संदर्भ सं० 627 दिनांक 13.9.2011 द्वारा प्राप्त हुआ।

2) स्टोविंग हेतु बालु के उत्खनन केलिए अस्थाई वर्किंग परमिट 01.10.2011 से 31.3.2012 केलिए संयुक्त सचिव प.बं. सरकार के सीएण्डआई विभाग कोलकाता से संदर्भ सं० 655 दिनांक 29.9.2011 द्वारा प्राप्त हुआ।

21.0 सुरक्षा प्रबन्धन :

सुरक्षा विभाग का लक्ष्य कंपनी की सामग्री एवं कर्मियों की रक्षा करना है। कंपनी के पास तीन प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था है।

1. ईसीएल सुरक्षा - 363 महिला सुरक्षा गार्ड सहित 01.07.2011 को 1857।
2. ठेका संबंधी सुरक्षा - 2109
3. सीआईएसएफ – 950

ईसीएल सुरक्षा : ईसीएल सुरक्षा का मुख्य कर्तव्य कम्पनी की सम्पत्ति जैसे: स्टोर, कार्यालय, विस्फोटक मैगजीन घर, डीपो, अधिकारी बंगला / कालोनी एवं अति विशिष्ट डिउटी, लोडेड रेल रेकों, टीपींग टकों / डम्पर का कोल डीपों / साइडिंग से रेलवे वजन घरों तक सुरक्षा करना जब तक वजन कार्य पूरा नहीं हो जाता। वर्ष भर सुरक्षा कर्मियों, सीआईएसएफ के साथ स्थानीय पुलिस द्वारा छापा मारने का कार्य भी किया जाता है। ईसीएल के सुरक्षा कर्मियों को ईसीएल क्षेत्र में हड़ताल / घेराव / प्रदर्शन / भूख हड़ताल एवं किसी प्रकार की कानून व्यवस्था को भंग करने की समस्या से निपटने के लिए भी लगाया जाता है।

ठेका संबंधी सुरक्षा : डीजीआर प्रयोजित एजेन्सियों के द्वारा ठेका पर सुरक्षा कर्मियों को सामान्यत: बाह्य स्रोत पैचों ईसीएल की कुछ कोलियरियों तथा रेलवे रेकों की सुरक्षा पर लगाया जाता है, जब विभागीय सुरक्षा की भारी कमी होती है।

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल : सीआईएसएफ को राजमहल, सोनपुर बजारी एवं एस पी माईन्स में स्थिर ड्युटी के लिए तैनात किया गया है। इसके अलावा मुगमा क्षेत्र, सलानपुर, श्रीपुर, कुनुस्तोड़िया एवं पांडवेश्वर कालीदासपुर तथा सतग्राम क्षेत्रों में भी इनके कैम्प हैं। ये लोग मोबाइल डिउटी पर रखे गए हैं तथा अवैध खनन, कोयले की चोरी तथा अवैध कोयला डीपों पर छापा मारते हैं। कंपनी कोलियरी / क्षेत्रों में हड़ताल / घेराव के दौरान भी सीआईएसएफ की मदद लेते हैं।

सुरक्षा की बुनियादी समस्या :

क) दिन प्रतिदिन के सुरक्षा कार्यों को करने के लिए जनशक्ति की कमी।

ख) परिवहन एवं संचार सिस्टम की कमी ।

ग) सुरक्षा कर्मियों के केन्द्रीकृत आवास की आवश्यकता।

ईसीएल में कोयला चोरी रोकने के लिए उठाए गए कदम :

क) ईसीएल में कोयला चोरी कोयला डीपो, रेलवे साईडिंग, ओसी माईन, कोलट्रांसपोटिंग रूट, पिट हेड, कोल लोडेड, रेलवे रेक से ग्रामीणों द्वारा कोयले की चोरी हो रही है। कोयला चोरी रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं –

i) कोयला चोरी रोकने के लिए सीआईएसएफ समेत विभागीय सुरक्षा दल / निजी सुरक्षा बल द्वारा औचक छापा मारा जाता है। ये छापे के दौरान असमाजिक तत्वों से कोयला सीज करते है। तदनुसार प्राथमिकी दर्ज की जाती हैं।

ii) कोल डिपो / रेलवे साईडिंग / पिट हेड तथा ओसीपी में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती।

iii) हथियारबंद सुरक्षा कर्मी द्वारा लोडेड रेक का साईडिंग से रेलवे वेब्रिज तक इस्कोर्ट करना।

iv) डंपरों द्वारा कोलियरी से साईडिंग तक कोयला परिवहन के दौरान रास्ते में औचक जांच।

v) पुलिस / जिला अधिकारियों को सूचित किया जाता है तथा सुरक्षा कवरेज प्रदान करने का अनुरोध किया जाता है ताकि कोयला चोरी रोकी जा सके एवं संबद्ध अपराधियों को पकड़ा जा सके ।

vi) प० बंगाल तथा झारखण्ड के पुलिस / जिला अधिकारियों के साथ नियमित बैठक ।

ईसीएल में अवैध कोयला खनन को रोकने के लिए उठाए गए कदम :

- इन्टेलखेंस संग्रह करना।

- विभागीय पे लोडर / डोजर एवं कभी कभी ठेके पर लेकर द्वारा अवैध खनन स्थलों एवं धसान प्रभावित स्थलों की डोजिंग / सीलींग इत्यादि।

- सीआईएसएफ, ईसीएल सुरक्षा, पुलिस द्वारा औचक जांच की जाती है तथा अवैध कोयला, कोल लोडेड ट्रक सीज करके असामाजिक तत्वों को पुलिस के हवाले कर रहे हैं।

- केन्द्रीय / राज्य / जिला स्तर के अधिकारियों के साथ नियमित बैठक की जाती हैं।

- जिला अधिकारी सब डिविजनल अधिकारी द्वारा संबंधित पुलिस स्टेशन को निर्देश दिया गया है कि डोजिंग किए गए अवैध खदान को पुन: खोला न जा सके।

- प्रभावित स्थलों का क्षेत्रीय टीम जिस में मुमप्र, क्षेत्रीय सर्वे अधिकारी, क्षेत्रीय सुरक्षा अधिकारी, सीआईएसएफ द्वारा नियमित जांच की जाती है। तदनुसार कमांडेंट सीआईएसएफ के साथ नियमित बैठक की जाती है।

- सिविल अधिकारी, ईसीएल प्रबंधन, रेलवे अधिकारी एवं राष्ट्रीय उच्चपथ अधिकारी द्वारा रेलवे ट्रैक, एनएच-2 इत्यादि का संयुक्त निरीक्षण।

- जबभी अवैध खनन की सूचना मिलती है तो स्थानीय पुलिस में प्राथमिकी दर्ज की जाती है एवं जिला अधिकारियों को सूचना भेज दी जाती है (ईसीएल के लीज होल्ड क्षेत्र एवं लीज होल्ड क्षेत्र के बाहर)।

- कानूनी दृष्टि से तार्किक निष्कर्ष के लिए वर्दमान, पुरूलिया, धनबाद, देवघर जिले के एसपी को पत्र लिखे गए हैं जिसमें दर्ज प्राथमिकी का विवरण रहता है। मामला कोर्ट में लंबित है तथा ईसीएल ने मामले की पैरवी के लिए अधिवक्ताओं को तैनात कर रखा है।

- मुख्यालय स्तर एवं क्षेत्रीय स्तर पर ईसीएल प्रबंधन आसनसोल, दुर्गापुर कमिशनरेट के साथ नियमित बैठक किया जा रहा है तथा व्यापक स्तर पर कोयले की चोरी तथा अवैध खनन को नियंत्रित करने में सक्षम हैं।

क. अवैध कोयला चोरी को सीज किया जाना तथा अवैध खनन स्थल :

वर्ष	राज्य	छापे की संख्या	जब्त किया गया कोयला	सीज ट्रक	पकड़े गए लोग	प्राथमिकी दर्ज की गई
2011-12	पश्चिम बंगाल	289	4634 एमटी	18	02	26
	झारखण्ड	262	1014 एमटी	00	05	02
कुल		**551**	**5648 एमटी**	**18**	**07**	**28**
2010-11 **कुल**		189	2300 एमटी	62	17	63
अंतर		362	3348 एमटी	(–) 44	(–) 10	(–) 35

अवैध खनन स्थल से सीज किया गया कोयला :

वर्ष	राज्य	छापे की संख्या	जब्त किया गया कोयला	सीज ट्रक	पकड़े गए लोग	प्राथमिकी दर्ज की गई
2011-12	पश्चिम बंगाल	32	644 एमटी	05	44	09
	झारखण्ड	08	23 एमटी	00	03	02
कुल		**40**	**667 एमटी**	**05**	**47**	**11**
2010-11	कुल	948	7051 एमटी	10	17	11
अंतर		(–) 908	(–) 6384 एमटी	(–) 05	30	0

ग) डोजिंग / सीलींग / अवैध खनन स्थलों की फीलिंग के दौरान ईसीएल के लीज होल्ड एवं लीज होल्ड के बाहर डोजिंग स्थल पर ईसीएल सुरक्षा को भी तैनात किया गया। 2011-12 के दौरान निम्नलिखित डोजिंग / सीलिंग का कार्य अवैध खनन को रोकने के लिए किया गया –

राज्य	डोजिंग किए गए स्थल	आयतन (लाख घन मी)	व्यय (रू. लाख)	स्थानीय पुलिस को भेजी गयी सूचना
प० बंगाल	1878	0.3840	0.21	86
झारखंड	15	3.0375	114.27	25

इस वर्ष विभिन्न प्रकार की बैठकें जैसे – केन्द्रीय स्तर / राज्य स्तर / जिला स्तर / सबडिविजन स्तर / सीआईएल स्तर / कंपनी स्तर एवं कोलियरी स्तर पर बैठक अवैध खनन को रोकने, प० बंगाल एवं झारखंड में कोयले की चोरी रोकने के लिए आयोजित हुई। आसनसोल – दुर्गापुर कमिशनरेट की स्थापना सितंबर 2011 में होने के बाद ईसीएल प्रबंधन एवं जिला अधिकारी ने कठोर कदम उठाए, ईसीएल अवैध खनन एवं कोयला चोरी में व्यापक कमी हुई। पुलिस के साथ नजदीकी सम्पर्क के कारण डोजिंग किए गए अवैध खनन स्थलों पुन: नहीं खोला जा सका। कोलियरी / यूनिटों में अन्य सामग्रियों की चोरी में भारी कमी हुई।5 वर्षों से अधिक से विष्फोटक की चोरी तथा कैश लूट की घटना ईसीएल की कोलियरियों / यूनिटों में नहीं घटी।

अन्य सामग्रियों की चोरी / बरामदगी :

वर्ष	2011-12	2010-11	अंतर (बढ़ना/घटना)
घटनाओं की संख्या	196	203	(–) 07
एफआईआर की संख्या	168	147	(+) 21
सम्पत्ति चोरी, रूपया	1,04,65,859	9977525	(+) 4,88,334
सम्पत्ति बरामद, सं०	6,39,000	291437	(+) 3,47,563
व्यक्ति पकड़े गए, संख्या	03	12	(–) 09

22. वाह्यश्रोत पैचों का निष्पादन :

22.1 पैचों का वाह्यश्रोत :

2011-12 के दौरान कंपनी ने 2010-11 के 11 पैचों से 56.97 लाख टन की तुलना में 16 पैचों से 74.99 लाख टन कोयले का उत्पादन किया। 2010-11 में 11 वाह्यश्रोत पैचों से 253.06 लाख घनमीटर की तुलना में 2011-12 में 16 पैचों से 314.34 लाख घन मीटर ओबी का निष्कासन किया गया।

क) एचईएमएम द्वारा ओसी पैच :

क्रम सं०	पैच का नाम	क्षेत्र – डब्ल्युओ/एलओए नं० एवं कार्यमूल्य / एजेंसी का नाम	पूर्णता अवधि
1	हँसडीहा पैच – II सोनपुर बजारी	नं० 441, दिनांक 02.6.11 रू. 232.51 करोड़ / एएनई इन्डस्ट्रीज प्रा० लि०	4 वर्ष
2	कपासारा ओसी पैच मुगमा क्षेत्र	नं० 550 दिनांक 5.7.11, रू. 43.83 करोड़ / मे० आशीर्वाद रीयल इस्टेट ट्रांसपोर्ट प्रा० लि०	5 वर्ष
3	डाकर फेज–II पैच सलानपुर क्षेत्र	डब्ल्यु नं० – 876, दिनांक 8.11.11, रू. 47.58 करोड़ / मे० फरीदाबाद गुड़गाँव मिनरल	3 वर्ष
4	राजमहल क्षेत्र में ए–2, ए–3 पैच में ओबी निष्कासन	डब्ल्यु ओ० नं०– 636, दिनांक 6.8.11, रू. 31.68 करोड़ / मे० आईभीआर सीएल – सुशी (जेभी)	1 वर्ष
5	कालीपहाड़ी ए ओसी, श्रीपुर क्षेत्र	एलओए 457 दिनांक 7.6.11, रू. 16.40 करोड़ / मे० राम के इन्फ्रास्ट्रक्चर।	2 वर्ष
6	खोट्टाडीह, पांडवेश्वर क्षेत्र में ओबी निष्कासन।	डब्ल्यु ओ० नं०–877, दिनांक 8.11.11, रू. 27.27 करोड़ / मे० महालक्ष्मी इन्फ्राकान्ट्रेक्ट प्रा० लि०	1 वर्ष
7	वेस्ट केन्दा ओसी पैस, केन्दा क्षेत्र	डब्ल्यु ओ० नं०– 670, दिनांक 19.8.11 रू. 41.97 करोड़ / मे० एएनई (जेभी)।	2 वर्ष

ख) ग्लोबल टेंडर :

क्रम सं०	क्रम सं०	क्षेत्र– डब्ल्युओ/एलओए नं० एवं कार्यमूल्य / एजेंसी का नाम	पूर्णता अवधि
1	3 खदानों के लिए टेली मॉनिटरिंग 1. चीनाकुड़ी-1, सोदपुर क्षेत्र 2. नरसमुदा – वही 3. कालीदासपुर – सतग्राम क्षेत्र	डब्ल्यु ओ० नं०– 487 दिनांक 16.6.11 मे० जगदंबा टायर रीट्रीडिंग कं० / काम का मूल्य रू. 2.77 करोड़	10 वर्ष
2	झांझरा क्षेत्र में झांझरा दूसरा सीएम	डब्ल्यु ओ० 423, दिनांक 28.5.11 मे० बोसाईरस डीबीटी यूरोप काम का मूल्य – रू. 70.00 करोड़ ।	6 वर्ष
3	राजमहल क्षेत्र राजमहल विस्तार (17 एमटीबाई)	एल ओ ए नं– 194, दिनांक 20.3.12 मे० इसेल माईनिंग एवं केसोर्सियम / रू. 4679.53 करोड़	$12^1/_2$ वर्ष

ग) 2011-12 में जारी निविदा (ट्रांसपोर्ट) :

क्रम सं०	कार्य का नाम	मात्रा/यूनिट/ अवधि	लीड	एजेंसी का नाम	स्थिति
1	सोनपुर बजारी के कोलफेस से सोनपुर बजारी सीएचपी एवं सोनपुर बजारी ओसीएम के कोलफेस से कोल डंप तक टीपर्स द्वारा लीड रेंज 3-4 कि०मी०, 4-5 कि०मी० एवं 5-6 कि०मी० एवं 3-4 कि०मी० प्रति वर्ष 35 लाख टन कोयले की लोडिंग एवं ट्रांसपोर्ट एवं सोनपुर बजारी ओसीएम से सोनपुर बजारी ओसीएल के सीएचपी तक 0.58 - 1.00 कि०मी० लीड रेंज में 4.2 लाख टन कोयले की लोडिंग एवं परिवहन।	2625000 टन – 3 वर्षों में प्रत्येक पार्टी को	3-4 कि०मी० 4-5 कि०मी० 5-6 कि०मी	मे० सीएमएटी-पीएल – एसीसी (जेभी), मे० यूसीसी एएमपी एल (जेभी), मे० बीकेबी ट्रांसपोर्ट प्रा० लि० एवं मे० वीएलए आईएम-डब्ल्यु पीएल-एसकेटी (जेभी), मूल्य रू. 1187 लाख, प्रत्येक पार्टी को।	एलओए संदर्भ सं० ईसीएल / मु०/ सीएमसी / ट्रांसपोर्ट / एलओए / एसबीए / 1876, 1877, 1878 एवं 1879, दिनांक 8.11.11 कर्मचारी है।

क्रम सं०	कार्य का नाम	मात्रा/यूनिट/ अवधि	लीड	एजेंसी का नाम	स्थिति
2	राजमहल ओसीपी के क्वारी फेस से राजमहल क्षेत्र में मुख्य / अंतरिम सीएचपी तक टीपर्स द्वारा कोयले की लोडिंग एवं परिवहन।	24.00 एमटी 2 वर्षों में	4-5 कि०मी० 5-6 कि०मी० 6-7 कि०मी	मे० महालक्ष्मी इन्फ्राकान्ट्रेक्ट प्रा० लि० अवार्ड मूल्य रू. 106.65 करोड़।	एलओए संदर्भ सं० ईसीएल / मु०/ सीएमसी / ट्रांसपोर्ट / एलओए / आरजेएनएल / 1896, दिनांक 28.11.2011
3	राजमहल ओसीपी डीपो से पिरपैंती रेलवे साईडिंग तक टीपर्स द्वारा कोयले की लोडिंग एवं परिवहन, मोबाईल क्रशर द्वारा कोयले की ब्रेकिंग (–100 एमएम साईज), वैगनों में लोडिंग तथा साईडिंग पर विविध कार्य।	100.00 लाख टन 3 वर्षों में प्रत्येक पार्टी को 50 लाख टन)	32-33 कि०मी०	मे० सीआईएससी एनकेएएस (जेभी) एवं मे० बी एलए प्रोजेक्ट्स प्रा० लि० अवार्ड मूल्य रू. 100.00 करोड़ प्रत्येक पार्टी को।	कुल 10 मिलि. टन के लिए 3 वर्षों हेतु 5.4.2011 को वर्क आर्डर जारी किए गए।
4	हीप नं० 5 जी (क्वारी बेड स्टाक) से राजमहल क्षेत्र के वार्कवाल साईडिंग तक कोयले की लोडिंग एवं ट्रांसपोर्ट	6.00 लाख टन 3 महीनें में (प्रत्येक पार्टी को 3 लाख टन)	5-6 कि०मी०	मे० अंबे माईनिंग प्रा० लि० एवं मे० बीएलए प्रोजेक्टस् प्रा० लि० अवार्ड मूल्य रू. 2.02 करोड़ प्रत्येक पार्टी	डब्ल्यु ओ० सं० 1813 एवं 1814 दिनांक 29.8.2011 तथा कार्य जारी है।
5	राजमहल ओसी फेस से राजमहल क्षेत्र के सीएचपी तक कोयले की लोडिंग एवं परिवहन	5 महीने में 4.00 मिलियन टन प्रत्येक पार्टी को 2 मिलि टन.	4-5 कि०मी०	मे० अंबे माईनिंग प्रा० लि० एवं मे० बीएलए प्रोजेक्टस प्रा० लि०, अवार्ड मूल्य 1656.40 लाख प्रत्येक पार्टी को।	01.08.2011 को वर्क अवार्ड किया गया। कार्य जारी है।

क्रम सं०	कार्य का नाम	मात्रा/यूनिट/अवधि	लीड	एजेंसी का नाम	स्थिति
6	सरफेस स्टाक यार्ड में पे-लोडर द्वारा टीपस में आर ओएम कोल की लोडिंग, सरफेस स्टाक यार्ड से टीपर्स द्वारा राजमहल साईडिंग तक कोयले का परिवहन, लीड रेंज 1-2 कि०मी० तथा राजमहल साइडिंग से क्रस्ड किए गए कोल की लोडिंग, तथा साईडिंग में विविध कार्य-अवधि 3 महीने राजमहल ओसीपी, राजमहल क्षेत्र	6.00 लाख टन 3 महीनें में (3 लाख टन प्रत्येक पार्टीको)	1-2 कि०मी०	मे० अंबे माईनिंग प्रा० लि० एवं मे० बीएलए प्रोजेक्टस् प्रा० लि० अवार्ड मूल्य रू. 123.45 लाख (प्रत्येक पार्टी को)	एलओए जारी किया गया - ईसीएल / मु०/सीएमसी / ट्रांसपोर्ट / 2011 / 1938 / 1939 दिनांक 24.12.2011
7	राजमहल कोल स्टाक यार्ड/आई आर डीपो / केंदुआ डीपो) से सीलो के पास वार्फवाल रेलवे साईडिंग तक कोयले की लोडिंग, क्रशिंग एवं परिवहन तथा राजमहल क्षेत्र में वैगन में कोयले की लोडिंग एवं विविध कार्य	40 लाख टन 24 महीने में।	1-2 कि०मी०	मे० एनकेएएस सर्विसेज प्रा० लि० अवार्ड मूल्य रू. 1965.30 लाख।	एलओए जारी किया गया - ईसीएल / मु०/सीएमसी / ट्रांसपोर्ट / एलओए / आरजेएमएस / 2036 दिनांक 28.3.2012

घ) **कार्य की निविदा जारी एवं फायनल होने के तहत :**

क्र० सं०	कार्य का नाम	प्रस्तावित कोल	प्रस्तावित ओवरबर्डन	अभ्युक्ति
1	नर्थ सियारसोल ओसी	19.80 लाख टन	98.40 लाख घन मीटर	एनआईटी फ्लोटेड
2	जामबाद ओबीआर	-	109 लाख घन मीटर	वही
3	मल्लिक बस्ती ओसी	2.60 लाख टन	9.20 लाख घन मीटर	पार्ट - I खोला गया
4	लोहाडिया ओबीआर	-	158.00 लाख घन मीटर	पार्ट - II खोला गया
5	नकराकोंडा 'बी' विस्तार	5.42 लाख टन	55.74 लाख घन मीटर री हैंडलिंग 54.39 लाख घन मीटर	पार्ट - II खोला गया
6	चापापुर 10	8.00 लाख टन	23.00 लाख घन मीटर	पार्ट - II खोला गया
7	खैराबाद विस्तार	0.97 लाख टन	1.49 लाख घन मीटर	पार्ट - II खोला गया
8	सोनपुर बजारी 2 ए	41.70 लाख टन	262.10 लाख घन मीटर	कार्य का अवार्ड ईसीएल बोर्ड द्वारा स्वीकृत

ग्लोबल ड्राफ्ट एनआईटी :

क्रम.सं.	कार्य का नाम	अभ्युक्ति
1.	खोड़ाडीह सीएम	ड्राफ्टएनआईटी वेबसाइट पर 25.2.2012 से डाला हुआ हो प्री-बिड बैठक 22.3.12 को सम्पन्न हुई

ङ) परिवहन कार्य :

क) डिस्काउन्ट बीडिंग

परिवहन कार्य का आकलित मूल रू. 1.5 करोड़ (कोल) एवं रू. 2.00 करोड़ से अधिक (बालू) मुख्यालय द्वारा निविदाकरण के माध्यम से ईसीएल के विभिन्न क्षेत्रों के लिए फाईनल कर लिया गया है।

23.0 कारपोरेट गवर्नेंस :

कारपोरेट गवर्नेंस वह प्रक्रिया है जिसके तहत अंशधारियों एवं सामाजिक अपेक्षाओं के मुलाकात से मिला जाता है। यह एक प्रतिबद्धता है जिसके तहत अंशधारकों की मौलिक विश्वास को बढ़ाया जाता है, कार्य में पारदर्शिता, संगठन के सभी घटकों के बीच आपसी विश्वास मूल्यों को बढ़ाया जाता है। यह एक नियामक द्वारा लादा गया अनुशासन नहीं है। बल्कि यह एक संस्कृति है जिसके द्वारा अंशधारकों के हितों की सुरक्षा, बोर्ड, प्रबंधन एवं कर्मचारियों को निर्देश दिया जाता है। जिसमें एक रचनात्मक, सकारात्मक सोच, गतिविधियाँ शामिल है जो विभिन्न स्टेट होल्डरों के मूल्य को बढ़ावा देता है।

ईसीएल सभी क्षेत्रों के संचालन, सभी स्टेक होल्डरों की बैठक, अंशधारियों के मूल्य को बढ़ावा देने, सभी स्टेक होल्डरों को समय पर सभी सामग्रियों की सूचना समय पर देने में पूरी पारदर्शिता एवं जवाबदेही पूर्ण कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है। जोखिम कम करने एवं भूमि के कानून के अनुपालन, रणनीतिक कार्यान्वयन में कंपनी को मार्गदर्शक प्रदेन करने के लिए कंपनी के पास एक ठोस पद्धति है।

हमारी कंपनी में कारपोरेट गवर्नेंस का दर्शन इस विश्वास में है कि दक्षता एवं विकास के सुधार में कारपोरेट गवर्नेंस की अहम भूमिका है। इसके साथ ही निवेशकों के विश्वास को बढ़ाने में सहायक है। यह दर्शन निम्नलिखित है –

''एक अच्छे कार्पोरेट नागरिक के रूप में कंपनी बेहतर कार्पोरेट पद्धति, कन्साइंस पर आधारित, साफ सुपर प्रोफेसनलिज्म तथा

विभिन्न स्टेक होल्डरों में विश्वास उत्पन्न करने की जवाबदेही एवं लम्बी अवधि की सफलता का रास्ता प्रशस्त, करने के लिए प्रतिबद्ध है।''

आपकी कंपनी के कार्पोरेट गवर्नेंस पर एक रिपोर्ट संलग्नक – V में रखा गया है तथा 31 मार्च' 2012 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी द्वारा कार्पोरेट गवर्नेंस के अनुपालन के संबंध में लेखा परीक्षकों से प्रमाणीकरण भी संलग्नक – VI में दिया गया है। डीपीई द्वारा जारी कार्पोरेट गवर्नेंस मार्गदर्शन के मुताबिक कार्पोरेट गवर्नेंस मानक ईसीएल में लागू है जो एमओयू लक्ष्य के अनुपालन में है। डीपीई द्वारा प्रकाशित पब्लिक इन्टरप्राइज सर्वे के लिए डाटा डीपीई के निर्देशानुसार जमा किया गया है।

24.0 धन्यवाद ज्ञापन :

आपके निदेशक गण भारत सरकार, कोयला मंत्रालय, पश्चिम बंगाल सरकार, झारखण्ड सरकार एवं कोलइंडिया लिमिटेड को पूरे वर्ष मूल्यवान निर्देशन एवं सहयोग के लिए धन्यवाद देते हैं। वे कंपनी के कर्मचारियों को भी धन्यवाद देते है जिन्होंने पूरे मन से कंपनी के हित में कार्य किया। वे सभी मजदूर संगठनों को भी धन्यवाद देते हैं जिन्होंने दिन-प्रतिदिन प्रबंधन को अपना सहयोग प्रदान किया है। वे पूरी तरह आश्वस्त है कि कम्पनी के सभी स्तर के कर्मीगण आगामी वर्षों में कंपनी के निष्पादन को बेहतर बनाने के लिए कठिन परिश्रम करते रहेंगे ताकि कंपनी अपनी बीमार अवस्था से खुद को स्वास्थ्य लाभ कर सके एवं बीआईएफआर से मुक्ति पाकर लाभ कमा सके।

आपके निदेशक गण वैधानिक लेखा परीक्षक, कर लेखा परीक्षक तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कर लेखा परीक्षकों, समवर्ती लेखा परीक्षकों, बीआईएफआर, बीआरपीएसई, एसबीआई, कंपनी रजिस्टार, भारत सरकार को भी उनके द्वारा दिए गए सहयोग एवं निर्देश के लिए धन्यवाद देते हैं। आपके निदेशक गण उन उपभोक्ताओं को भी धन्यवाद देते है जिन्होंने कंपनी को संरक्षण प्रदान किया।

इस प्रतिवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न है :

(I) कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4) के तहत नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणी।

(ii) विदेशी मुद्रा में आमदनी एवं खर्च (संलग्नक VII)

(iii) कंपनी के अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों का विवरण (संलग्नक - VIII)

(iv) कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 217 (3) एवं 227 (2) के तहत निदेशक के प्रतिवेदन का अनुशेष जिसमें वैधानिक लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन एवं प्रबंधन का उत्तर शामिल है।

निदेशक मंडल की तरफ से

सांकतोड़िया

दिनांक 19.05.2012

राकेश सिन्हा

अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक

3.4.1 31 मार्च, 2012 तक चालू आर एण्ड जी परियोजना की स्थिति

क्रम सं०	परियोजना का नाम	वित्तीय परिव्यय (रू. लाख में)	चालू होने की तिथि	काम पूरा होने की संशोधित / अनुसूचित तिथि	क्रमिक वितरण (रू लाख में)	स्थिति
1	भूमिगत खदानों के लिए बेतार नेटवर्क का व्यवहार करते हुए रूफ फॉल संबंधी भविष्यवाणी पद्धति का विकास परियोजना कोड : सीआईएल / आर एण्ड डी / 1 / 27 / 08 कार्यान्वयन एजेंसी : आईआईटी, खड़गपुर एवं ईसीएल।	216.98	मई 2008	फरवरी 2011	215.00	विकास एवं विभिन्न कंपन की फाईन ट्यूनिंग, एकाउस्टिक एवं इलेक्ट्रोमेगनेटिक सेंसर्स एवं सेंसर्स असेंबली तथा उसकी भूमिगत खदानों में तैनाती। खदान से प्राप्त डाटा का विश्लेषण कोरिलेशन, सिग्नल पावर एवं रूफ फॉल टाईम की भविष्यवाणी के लिए प्रोग्रेसिव डिफरेंसिंग की गई है। मसौदा पूर्णता प्रतिवेदन जमा कर दिया गया है।
2	रतिबाटी कोलियरी के निकट रेलवे लाईनों के नीचे वर्किंग काडीलीनिचेशन एवं संभावित निवारक उपाय परियोजना कोड : सीआईएल/ आरएण्डडी / 1 / 31 / 08 कार्यान्वयन एजेंसी : सीआईएम - एफ आर, धनबाद	20.90518	फरवरी 2009	जून, 2010	20.422	मसौदा पूर्णता रिपोर्ट सीआईएमएफआर धनबाद द्वारा जमा किया गया। रतिबाटी कोलियरी, सतग्राम क्षेत्र के पास रेलवे लाईन के नीचे इनऐसेसीबल माईन वर्किंग को डेलीनीएट करने के लिए पहली बार बोरहोल जीपीआर सिस्टम व्यवहृत किया गया। विश्लेषण आधारित निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले गए - (क) छः खदान गैलरियों में यह सुनिश्चित हुआ कि डायरेक्ट नन-कोरिंग ड्रीलिंग आफ बोरहोल की गई। (ख) 58 मीटर गहराई में रेलवे लाईन के नीचे 2 छोटे पीलर मौजूद स्थिर पाए गए। (ग) ग्रैंड कार्ड रेलवे लाईन के नीचे 24 मीटर, 27.5 मीटर

क्रम सं०	परियोजना का नाम	वित्तीय परिव्यय (रू. लाख में)	चालू होने की तिथि	काम पूरा होने की संशोधित / अनुसूचित तिथि	क्रमिक वितरण (रू लाख में)	स्थिति
						एवं 36.5 मीटर गहराई में तीन रोडवेज / गैलरी लम्बी अवधि के लिए स्थिर नहीं हैं, उसे बालू के भर दिया जाय, (घ) 51.5 मी०, 53.5 मी० एवं 54.5 मी० ग्रैंड कार्ड रेलवे लाईन के नीचे अन्य तीन रोडवेज लाईन को खतरा नहीं है। 10.8.2011 को एपेक्स कीमीटी को सम्पन्न बैठक में परियोजना पूर्णता रिपोर्ट स्वीकार की गई तथा सीआईएल के आर एण्ड डी बोर्ड की स्वीकृति हेतु अग्रसारित।
3	झरिया एवं रानीगंज कोलफील्ड में मिथेन की रिकवरी एवं रिकवरी परियोजना कोड : सीआईएल / आर एण्ड डी / 1 / 30 / 09 कार्यान्वयन एजेंसी : सीआईएमएफआर, धनबाद	3339.98	जून 2009	मई 2011	2100	अभी तक बड़ी गतिविधियों में कोई वास्तविक प्रगति नहीं देखी गई। 10.8.2011 को सम्पन्न अपेक्स कमीटी की बैठक में यह सिफारिश की गई कि सीआईएल आर एण्ड डी बोर्ड परियोजना का पूर्व समापन करे तथा सीआईएमएफआर को निर्देश दिया कि वह सीएमपीडीआई को रू. 21.0 करोड़ वापस करे जो अगस्त 2009 को अग्रिम दिया गया था। सीआईएमएफआर, धनबाद ने सीएमपीडीआईएल को रू. 19.86557 करोड़ वापस कर दिया, शेष अभी भी बकाया है।

क्रम सं०	परियोजना का नाम	वित्तीय परिव्यय (रू. लाख में)	चालू होने की तिथि	काम पूरा होने की संशोधित / अनुसूचित तिथि	क्रमिक वितरण (रू लाख में)	स्थिति
4	अंडर ग्राउन्ड ट्रैप्ड माईनर लोकेशन सिस्टम परियोजना कोड : सीआईएल / आर एण्डी डी / 1 / 35 / 10 कार्यान्वयन एजेंसी : टीसीएस, सीएमसी एण्ड सीएमपीडी आई (एमई) रांची	489.70	15 जनवरी 2010	जून 2012 दिसबंर 2011 15 जून 2011	350.89	अपेक्षित विशेषताओं के साथ प्रोटोटाईप माईन कम्युनिकेटिंग डिवाईस विकसित कर लिया गया है। तथा इसे इस तरह चुस्त बनाया जा रहा है कि इसे भूमिगत खदानों में भी आसानी से ले जाया जा सकता है। डीजीएमएस सुझाव के मुताबिक वाई–फाई पार्ट के लिए आरएफ टेस्टिंग समीर (सोसाईटी फार अप्लाईड माईक्रोवेव, इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग एण्ड रिसर्च) में कर लिया गया है। जाँच रिपोर्ट संतोषजनक है। एमसीडी के लिए आईएड टेस्टिंग ईआरटीएल में किया जायगा। डीजीएमएस से स्वीकृति प्राप्ति के बाद झांझरा माईन में इसका ट्रायल दिया जायगा।
5	ब्लास्ट इन्डूस्ड डायनामिक लोडिंग में बोल्ट बिहेवियर इन डवलपमेंट एवं डीपिलरिंग पैनल में अनुसंधान प्रोजेक्ट कोड – सीआईएल / आर एण्ड डी / 1 / 42 / 10 कार्यान्वयन एजेंसी – सीएमपीडीआई, रांची, आईआईटी, खड़गपुर तथा आरडीसीआईएफ (सेफ) रांची।	491.08	15 दिसबंर 2010	15 नवबंर 2013	190.49	अधिकांश उपकरण आईआईटी, खड़गपुर द्वारा खरीदा जा चुका है। सेल द्वारा आपूर्ति किए गए 22 एमएम, 22 एम एम एवं 25 एमएम एकाई – 640 बोल्ट में प्रयोगशाला परीक्षण ट्रायल के अधीन है। प्रयोगशाला प्रयोग के दौरान रेजिन विद सेटिंग टाईम का उपयोग किया जा रहा है। प्रयोगशाला पुल आउट टेस्ट किया गया है तथा कुछ पुलआउट टेस्ट कास्टिंग सैम्पल के साथ किए गए है। आईआईटी एवं सीएमपीडीआई टीम ने खोड़ाडीह तथा झांझरा खदान का दौरा किया ताकि स्थल का चुनाव हो सके। पूरी तरह स्वतंत्र फील्ड एवं प्रयोगशाला कार्य शीघ्र चालू किया जायगा।

3.4.2. चालू एस एण्ड टी परियोजनाओं की स्थिति

अनुलग्नक-II

क्र० सं०	कोड के साथ परियोजना का नाम	वित्तीय परिव्यय	प्रारंभ होने की तिथि	अनुसूचित/ संशोधित तिथि	क्रमिक वितरण (रू. लाख में)	स्थिति
1	डीपिलरिंग के दौरान कोल पीलर्स वर्किंग इन लेवेल कंटीनुअस सीम के बीच स्टेबिलीटी आफ पार्टिंग (एमटी/137) कार्यान्वयन एजेंसी : सीआईएमएफआर	50.54	अक्टूबर 2004	जून 2010 अक्टूबर 2007	42.00	कार्य पूर्ण होने का अंतिम रिपोर्ट जमा कर दिया गया।
2	लगांवाल, फेसेज का लिए ओवरलाइंग स्ट्राटा के कैभेबिलीटी का अनुसंधान एवं सपोर्ट कैपेसीटी आफ गाईड लाईन आफ डबलपमेंट (एमटी/151) कार्यान्वयन एजेंसी - सीआईएमएफआर, एनआईआरएम, सीएमपीडीआई एण्ड आईएसएन	461.3474 सीएमआरआई के लिए 200.142 एनआईआरएम के लिए 187.91 आईएसम - 63.3154 सीएमपीडीआई- 10.00	नवंबर 2005	सितंबर 2010 मार्च 2010 अक्टूबर 2008	255.00 सीएमआरआई 70.0 एनआईआरएम 130.00 आईएमएम 55.00	मसौदा पूरा होने संबंधी रिपोर्ट जमा कर दिया गया।

क्र० सं०	कोड के साथ परियोजना का नाम	वित्तीय परिव्यय	प्रारंभ होने की तिथि	अनुसूचित/ संशाधित तिथि	क्रमिक वितरण (रू. लाख में)	स्थिति
3	भूमिगत कोयला खदानों में जलमग्न वर्किंग के स्थान पर डीलीनियेशन आफ बेरियर थीकनेस (एमटी/153), कार्यान्वयन एजेंसी : सीआईएमएफआर, धनबाद	342.2692	मई 2007	मार्च 2012 जनवरी 2012 सितंबर 2011 अप्रेल 2009	340.00	जीपीआर का प्रदर्शन 29.2.2012 को किया गया एवं 02.3.2012 को तथ्य प्रस्तुत किए गए। तकनीक संतोषजनक पाया गया। विकसित जीपीआर 60.0 एम तक पता लगाने में सक्षम है। प्रदर्शन के दौरान सीएमडी, सीएमपीडीआई ने सुझाव किया कि सीआईएमएफआर और अधिक फील्ड ट्रायल करे ताकि व्याख्या एवं जीपीआर का केलीबरेशन जलमग्न वर्किंग का पता लगाया जा सके।
4	ग्रेभिटी ब्लाइंड बैक फीलींग मेथड एवं प्रोजैमिंग इंडिकेशन पैरामीटर का मूल्यांकन एमटी / 154 कार्यान्वियन एजेंसी : आईआईटी, खड़गपुर।	402.66	मार्च 2008	नवम्बर 2011 फरवरी 2011	400.00	आई आई टी, खड़गपुर द्वारा विकसित गैभिटी ब्लाइंड बैकफीलिंग मेथड का ट्रायल कृष्णानगर कोलियरी (परित्यक्त) में हो रहा है। आर ओ भी कैमरा के साथ सोनार इमेजिंग सुविधा द्वारा सेन्डबेड डिपोजीशन के 17000 एम^3, बीएच-13, बीएच-23 एवं बीएच-10 को दर्शाते हुए अंडरग्राउण्ड मैपिंग जेनरेट किया गया। डाटा विश्लेषण प्रगति पर है। ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार किया जा रहा है।
4	ग्रेभिटी ब्लाइंड बैक फीलींग मेथड एवं प्रोजैमिंग इंडिकेशन पैरामीटर का मूल्यांकन एमटी / 154 कार्यान्वयन एजेंसी : आईआईटी, खड़गपुर।	402.66	मार्च 2008	नवम्बर 2011 फरवरी 2011	400.00	आई आई टी, खड़गपुर द्वारा विकसित गैभिटी ब्लाइंड बैकफीलिंग मेथड का ट्रायल कृष्णानगर कोलियरी (परित्यक्त) में हो रहा है। आर ओ भी कैमरा के साथ सोनार इमेजिंग सुविधा द्वारा सेन्डबेड डिपोजीशन के 17000 एम^3, बीएच-13, बीएच-23 एवं बीएच-10 को दर्शाते हुए अंडरग्राउण्ड मैपिंग जेनरेट किया गया। डाटा विश्लेषण प्रगति पर है। ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार किया जा रहा है।

क्र० सं०	कोड के साथ परियोजना का नाम	वित्तीय परिव्यय	प्रारंभ होने की तिथि	अनुसूचित/ संशाधित तिथि	क्रमिक वितरण (रू. लाख में)	स्थिति
5	भूमिगत खदानों में उच्च शक्ति स्टील रूफ बोल्ट को लागू करना (एमटी/156) कार्यान्वियन एजेंसी - आरडीसीआईएस, डीजी-एमएस एवं सीएमपीडीआई	103.22 आरडीआइएस 89.02 सीएमपीडीआई 14.20	जनवरी 2010	दिसबंर 2011	70.00	झांझरा प्रोजेक्ट में निष्पादन मूल्यांकन हेतु तैनात कंटीनुस माईनर, फैल में स्थापित 640 एमपीए (टीएमटी) शक्ति के 22 एमएम डाव रॉक बोल्ट की 22 संख्या ट्रायल का पहला चरण 16 एमएम के 10 संख्या के साथ झांझरा प्रोजेक्ट में प्रारंभ किया गया। उच्च शक्ति रूफ बोल्ट टेल टेल्स (50 संख्या) झांझरा खदान में प्राप्त हुआ। ड्राफ्ट कम्पलीशन रिपोर्ट जमा किया गया।
6	कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन इन रीभेजीटेटेड कोल माईन वेस्ट लैंड (ईई / 40 कार्यान्वयन एजेंसी- सीआईएमएफआर	64.76	फरवरी 2009	जनवरी 2012	30.00	विभिन्नरी-भेजटेटेड खदानों ईसीएल के मुगमा तथा एनसीएल के निगाही एवं जयन्त प्रोजेक्ट में 0.19 - 0.92% के बीच आर्गेनिक कार्बन कन्टेंट के लिए मिट्टी विश्लेषण 0-20 वर्षों की अवधि की तुलना में 79% वृद्धि हुई। एनसीएल एवं ईसीएल स्थलों से लीफ लिफ्ट संग्रह किया गया, एजीबी एवं बीजीबी 25.66 - 338 ग्राम - 2 एवं 28 - 287 ग्राम - 2 क्रमशः। चुने गए पौधे की जाति का ऊँचाई एवं गिर्थ के साथ अध्ययन कियागया। विभिन्न रीभेजीटेटेड खदान स्थलों में वृद्धि निष्पादन की मांप की गई। माइक्रोबियल बायोमास कार्बन का विश्लेषण किया गया तथा वन एवं विभिन्न रीमेजीटेटेड खदान स्थल में क्वान्टीफाईड कियागया। रोटरीशेकर तथा डीपफ्रीजर की खरीद की गई है एवं स्थापित की गई। मसौदा पूर्णता रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

अनुलग्नक - III

3.14 परियोजना कार्यान्वयन की समिति

क्रम स.०	परियोजना का नाम	क्षमता (एमटीवाई)	पूंजी (रू. करोड़ में)	स्वीकृति तिथि	कार्यान्वयन की स्थिति
1	शंकरपुर यूजी	0.12 (ईन्कलाईन)	8.13	ईसीएल बोर्ड द्वारा जून'02	प्रोजेक्ट पूर्ण हुआ। पूर्णता रिपोर्ट की समीक्षा।
2	खोट्टाडीह ओसीएयूज	1.5	19.26	नवम्बर, 11	भूमि अधिग्रहण प्रक्रियाधीन, टॉप ओबी का वाह्य श्रोत प्रारंभ।
3	सारपी एयूजी यूजी	0.30+0.46 = 0.76	147.86 (120.35 अतिरिक्त)	जून'06 सीआईएल बोर्ड द्वारा	11-12 के दौरान प्राप्त उत्पादन 0.504 मि०ट० भूमि अधिग्रहण एवं निविदाकरण (सीएचपी निर्माण हेतु) प्रगति पर।)
4	बंकोला आर-VI सीम यूजी	0.24	19.14	ईसीएल बोर्ड द्वारा मार्च, 03	परियोजना के डीपेनिंग एण्ड वाईडेनिंग आफ शैफ्ट शामिल। डीपेनिंग एण्ड वाईडेनिंग आफ शाफ्ट हेतु परम्परागत विधि के लिए डिजाइन, आकलन हेतु कार्रवाई की गई।
5	कुमारडीही यूजी	0.42	79.23	जून'06 सीआईएल बोर्ड द्वारा	डीपेनिंग एण्ड वाईडेनिंग आफ शैफ्ट पूरा हुआ। कंटीनुअस माईनर को चालू करने हेतु ड्राफ्ट पीआर सीएमपीडी आईएल द्वारा तैयार किया गया। योजना समिति की बैठक 20.12.2012 को हुई।
6	खांद्रा एनकेजे यूजी	0.285	18.85	जुलाई '03 ईसीएल बोर्ड द्वारा	डीपेनिंग एण्ड वाईडेनिंग आफ शैफ्ट पूरा हुआ।
7	परासियाडोबराना	0.16	11.89	फरवरी'04 ईसीएल बोर्ड द्वारा	परियोजना में डीपेनिंग एवं वाईडेनिंग आफ शैफ्ट शामिल है। स्टेपल पिट पूरा हुआ। 253 मी० ड्रिफ्ट ड्रीमिज में से 160 मी. पूर्ण हुआ। परम्परागत तरीके के लिए डिजाईन एवं आकलन तैयारी की कारवाई की जा रही है।

क्रम स.०	परियोजना का नाम	क्षमता (एमटीवाई)	पूंजी (रू. करोड़ में)	स्वीकृति तिथि	कार्यान्वयन की स्थिति
8	सिदूली यूजी	0.30	54.99	सीआईएल बोर्ड द्वारा दिसम्बर'06	नए शैफ्ट / डीपेनिंग एण्ड वाईडेनिंग आफ शैफ्ट शामिल। परम्परागत तरीके के लिए डिजाईन एवं आकलन तैयारी की कार्रवाई की जा रही है।
9	नवकजोड़ामाधवपुरब्लाक यूजी	0.30	56.14	दिसम्बर'06 सीआईएल बोर्ड द्वारा	--
10	चित्रा ईस्ट ओसी	1.3 (इंक)	112.69	सीआईएल बोर्ड द्वारा अगस्त'07	323 हे० जेबी भूमि का अधिग्रहण / कब्जा प्रक्रियाधीन, 124.28 हे० वन भूमि एवं सीएचपी के लिए निविदा प्रक्रियाधीन है।
11	राजमहल विस्तार ओसी	17 एमटीवाई (6.5 एमटीवाई)	153.82	सितंबर' 09 (भारत सरकार)	आंशिक बाह्यस्रोत के लिए निविदा (17.00 एमटीवाई) जारी कर दिया या। गाँव का पुनर्वास प्रक्रियाधीन।
12	झांझरा आर – VI सीम पीएमएलडब्ल्यु	1.70	287.17	नवम्बर'06 भारत सरकार	पीएसएलडब्ल्यु पैकेज के लिए मे० कोइको, चाईना को एलओआई 03.3.11 को जारी।
13	मोहनपुर विस्तार ओसी	1.0	14.23	जून' 08 ईसीएल बोर्ड द्वारा	भूमि अधिग्रहण प्रक्रियाधीन प्रोजेक्टने रेटेड क्षमता प्राप्त किया।
14	बेलबाद (घासाल) यूजी	0.36	69.11	फरवरी' 09 सीआईएल बोर्ड द्वारा	परियोजना में डीपेनिंग एण्ड वाईड्निंग शामिल। परम्परात तरीके के लिए डिजाईन एवं आकलन तैयार करने पर कार्रवाई की गई।

क्रम स.०	परियोजना का नाम	क्षमता (एमटीवाई)	पूंजी (रू. करोड़ में)	स्वीकृति तिथि	कार्यान्वयन की स्थिति
15	झांझरा यूजी मे कंटीनुअस माईनर का दूसरा सेट	0.51	122.35	सीआईएल बोर्ड द्वारा फरवरी'09	जीएम पैकेज की आपूर्ति हेतु मे० बुसीरस डीबीएच जीएमबीएच के नाम 8.5.11 को एलओए जारी किया गया।
16	नारायणकुड़ी यूजी	0.54	149.06	फरवरी'09 सीआईएल बोर्ड द्वारा	ईएमपी स्वीकृति के नहीं मिलने से मीनी सीएचपी, शैफ्ट सिंकिंग इत्यादि का कार्य लंबित है।
17	खोट्टाडीह कंटीनुअस माईनर यूजी	0.6	127.17	सीआईएल बोर्ड द्वारा मई'11	प्रीमिट बैठक 22.3.2012 को सम्पन्न। सतह से आर – V सीम तक नए इन्कलाईन के ड्राइवेज हेतु कार्रवाई की गई।

संलग्नक – IV

प्रबंधन का विचार–विमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट 2011-12

भारतीय अर्थ व्यवस्था का अवलोकन :

आकलित जीडीपी, क्रय शक्ति समानता पर यूरोपियन यूनियन युनाईटेड स्टेटस चीन के बाद भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थ व्यवस्था है। (श्रोत : सीआईए वर्ल्ड फैक्ट बुक – 2012)। भारत भी विश्व में तेजी से बढ़ती हुई अर्थ व्यवस्था में से एक है। कोयला भारत में एक प्रमुख इंधन है तथा भारत की कुल उर्जा आवश्यकता का करीब 52% पूरा करता है। तथा भारत की भविष्य की उर्जा आवश्यकता संकटपूर्ण रहेगी।

विश्वव्यापी कोयला उद्योग एवं रिजर्व :

2010 में उत्पादन दर के मुताबिक विश्व कोल रिजर्व आगामी 118 वर्षों तक के लिए पर्याप्त है। (श्रोत : बीपी सांख्यिकी)। यद्यपि कोयला भंडार पूरे विश्व में फैला हुआ है, विश्व के बरामद योग्य कोयले के80% भाग 5 क्षेत्रों : युनाईटेड स्टेट (27.6), रूस (18.2%), चीन (13.3%), अस्ट्रेलिया न्यूजीलेंड(9.0%), भारत (7.0%) एवं जर्मनी(4.7%) (श्रोत: बीपी सांख्यिकी समीक्षा विश्व उर्जा जून, 2011)

विश्व कोयला उत्पादन एवं खपत :

चीन कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है जिसके बाद युनाईटेड स्टेट, अस्ट्रेलिया, भारत आता है। एशिया कोयला का सबसे बड़ा बाजार है तथा विश्व कोयला खपत का 67.1% है, चीन और भारत प्राथमिक उपभोक्ता है।

भारतीय कोयला उद्योग एवं रिजर्व :

अप्रेल 2011 के मुताबिक भारतीय कोयले का पुरातत्व श्रोत 285.862 बिलियन टन था (श्रोत: जीएसआई, भारत सरकार)। भारत में ताप विद्युत संयंत्रों में उपयोग होने वाले इंधन में कोयला प्रमुख है जो इसकी उपलब्धता एवं समर्थता के कारण है। कोयला उर्जा का प्रबल श्रोत है एवं करीब 52% जरूरत को पूरा करता है जबकि तेल एवं प्राकृतिक गैस कुल प्राथमिक उर्जा का 41.6% पूरा करता है। (वर्ष 2009 में)।

भारत में कोयला उत्पादन एवं खपत :

बीपी स्टेटिकल रिव्यु आफ वर्ल्ड इनर्जी जून 2011 के मुताबिक भारत विश्व में कोयला उत्पादन में चौथा सबसे बड़ा देश है। भारत का कुल कोयला उत्पादन 569.9 मिलियन टन (श्रोत: बीपी स्टेटिकल रिव्यु वर्ल्ड इनर्जी जून 2011) इसके अतिरिक्त भारत विश्व में तीसरा सबसे बड़ा कोयले का उपभोक्ता है। भारत में उत्पादित थोक कोयला विद्युत संयंत्रों द्वारा खपत की जाती है। इसके अलावा कोयले के उपयोग अन्य उद्योगों जैसे – स्टील, सीमेंट, उर्वरक, ईंट निर्माण, वस्त्र एवं रसायन उद्योग में होता है।

दृष्टिकोण :

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० का अवलोकन :

कोल माईन्स ऑथोरिटी लि० के पूर्वी क्षेत्र के साथ संलग्न 414 खदानों के राष्ट्रीकरण द्वारा पहली नवम्बर, 1975 को ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० कोल इंडिया की एक सहायक कंपनी के रूप में शामिल हुई। इसका संचालन पं० बंगाल एवं झारखण्ड राज्यों में होता है। यह भारत में 7वां सबसे बड़ा कोयला उत्पादक कंपनी है।

ईसीएल भारत में सर्वश्रेष्ठ कोयला उत्पादक कंपनियों में से एक है जिसके पास01.04.2011 को रानीगंज कोयलाक्षेत्र में 25.869 बिलियन टन प्रीमियम ग्रेड कोयले का भंडार है। इस तिथि को ईस्टर्न कोल फील्ड्स लि० के पास 111 चालू खदानें है, जिसमें 90 भूमिगत खदानें। 14 ओपन कास्ट एवं 7 मिश्रित खदानें हैं। (लंबी अवधि योजनानुसार)।

ताकत एवं कमजोरी :

प्रतियोगी ताकत :

- रानीगंज कोयला क्षेत्र ने 01.04.2011 को 25.869 बिलियन टन प्रीमियम ग्रेड कोयला का भंडार।
- औसत छाई अंश 20% से कम।
- एसओईएफ रस्टीपुलेशन को संतुष्ट करने के लिए उच्च छाई वाले अन्य कंपनियों के कोयले के साथ रानीगंज कोयला को मिलाया जा सकता है।
- 01.04.2011 को झारखण्ड में 600 मीटर गहराई में 18.523 बिलियन टन कोयले का भंडार (जीएसआई के मुताबिक) जहाँ खुली खनन विधि द्वारा कोयले का तुलनात्मक निष्कासन आसान है।
- आपूर्ति से मांग की स्थिति अधिक है।

- कर्मीगण कठिन परिस्थितियों में भी काम करने में सक्षम हैं।

कमजोरी :

- रानीगंज कोयला क्षेत्र में करीब 150 वर्ष पहले कोयले का उत्खनन प्रारंभ हुआ। इसलिए कंपनी पुराने छोटे खदानों की संपदा से भरी है, पुराने स्टीम वाइंडर है जो अपनी क्षमता से 50% ही काम कर पाते हैं।
- कठिन भू-खनन परिस्थिति।
- घनी आबादी जो भूमि अधिग्रहण में बाधा है।
- कोयला धारित क्षेत्रों पर अत्यधिक ढांचागत निर्माण की वजह से ओपन कास्ट खनन में बाधा।
- समाजिक - राजनैतिक दशा एवं कार्य संस्कृति अनुकुल नहीं है।

अवसर एवं खतरे :

अवसर :

- अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कोकिंग कोल के मूल्य में बढ़ोत्तरी।
- ई-मार्केटिंग द्वारा कोयले के बेहतर मूल्य की प्राप्ति
- अवैध खनन को रोकने के लिए छोटे ओसी पैचों पर काम करना।
- उत्पादन एवं उत्पादकता मुद्दे पर केन्द्रीय ट्रेड युनियनों से सकारात्मक रूख।
- समस्याओं को हल करने के लिए राज्य सरकार का सहयोग बढ़ा है।

खतरे :

- ग्रामिणों द्वारा भूमि अधिग्रहण में बाधा।
- अजीवनक्षम खदानों को बंद करने में बाधा
- एचईएमएम को भाड़े पर लेने में बाधा
- व्यापक उत्पादन तकनीक चालू करने में भूमि संबंधी बाधा।
- प. बंगाल सरकार द्वारा 25% सेस चार्ज किए जाने के कारण ईसीएल के कोयले के बेहतर ई-मार्केटिंग में कठिनाई।

व्यापार रणनीति :

1) भारत में कोयला के लिए महत्वपूर्ण मांग पूर्ति पर उत्पादन, उत्पादकता तथा पूंजीकरण को बढ़ाना जारी।

2) उच्च गुणवत्ता कोयला एवं ई-आक्सन द्वारा विक्रय बढ़ाकर वसूली में सुधार।

3) संचालन एवं कार्यकुशलता तथा नियंत्रण में सुधार लाकर प्रतियोगिता को कायम रखना एवं लाभदायक में बढ़ोत्तरी।

4) अपने रिजर्व आधार में बढ़ोत्तरी जारी।

5) संचालन को लगातार जारी रखने एवं पर्यावरण विकास पर ध्यान देना जारी रखना।

उत्पादन :

विवरण	2011-12	2010-11
ओसीपी कोल (एमटी)	23.725	23.432
अंडरग्राउण्ड कोल (एमटी)	6.833	7.372
कुल (एमटी)	30.558	30.804
वृद्धि %	–0.8	2.48
ओबीआर (मिलियन घनमीटर)	60.305	56.246
वृद्धि %	7.22	13.08

खंडवार या उत्पादवार निष्पादन :

विवरण	2011-12	%	2010-11	%	वृद्धि %
एफएसए के तहत बाहरी प्रेषण	21.689	70.35	22.3	74.08	3.52
ई-आक्सन	3.872	12.56	0.12	0.40	221.86
एमओयू के तहत प्रेषण	---	---	5.56	8.70	---
अन्य	4.93	15.99	1.65	5.55	198.79
खुद का खपत	0.341	1.11	0.38	1.28	---
कुल आफटेक	30.832	100	29.74	100	3.66

हमारे ग्राहक :

ईसीएल में उत्पादित अधिकांश कोयला ताप विद्युत केन्द्रों को जाता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न उद्योगों जैसे इस्पात, सीमेंट, स्पोंज आयरन इत्यादि को भी कोयले की आपूर्ति की जाती है।

परिवहन, आधारभूत, संरचना एवं लाजिस्टिक :

किसी खदान / वर्किंग फेस के कोयले के उत्खनन को ध्यान में रखते हुए कोयले का परिवहन प्रेषण स्थल तक टिपिंग ट्रक एवं कन्वेयर बेल्ट द्वारा किया जाता है। कोयले की ग्राहकों तक डिलीवरी प्रेषण स्थल से रेल, सड़क या रेल एमजीआर सिस्टम द्वारा किया जाता है।

सभी प्रेषित कंसाईनमेंट का वजन या तो ईसीएल के प्रेषण स्थल पर उपलब्ध वजन घरों में की जाती है या पास के रेलवे स्वामित्व वाले वजन घरों में की जाती है। हमारे विक्रय प्रेषण स्थल से या तो ''फ्री ऑन रेल'' या 'फ्री ऑन रोड' होता है तथा परिवहन की व्यवस्था ग्राहकों द्वारा उनके खर्च पर की जाती है। ग्राहक रेल या सड़क के बीच परिवहन का माध्यम चुन सकते है। खदान से पदनामित प्रेषण स्थल (या तो रेल हेड या रोड हेड) तक कोयले के परिवहन का खर्च हम वहन करते हैं। बशर्ते कि प्रेषण स्थल खदान से 3 कि० मी० की परिधि में स्थित हो। यदि प्रेषण स्थल हमारे खदान से3 कि०मी० से अधिक लेकिन 20 कि०मी० के भीतर है तो ग्राहक समय-समय पर हमारे द्वारा निर्धारित दर पर परिवहन खर्च का वहन करते है। जब प्रेषण स्थल से दूरी खदान की 20 कि०मी० के अधिक हो तो ग्राहक वास्तविक परिवहन खर्च वहन करते हैं।

हमारा प्रेषण पर्याप्त कोल परिवहन क्षमताओं एवं कोल हैंडलिंग की क्षमता पर निर्भर है। हमलोग तृतीय पक्ष सड़क परिवहन प्रदाताओं जिसमें सामग्रियों की आपूर्ति हेतु ट्रकरों, हमारे स्टाक बिंदू से कोयले का परिवहन, कोल क्रशिंग तथा हैंडलिंग संयंत्र से प्रेषण बिंदू तक एवं ग्राहकों को हमारे कोयले की आपूर्ति पर निर्भर करता है।

निम्नलिखित सारणी हमारे खदानों से कच्चा कोयला प्रेषण हेतु विभिन्न परिवहन माध्यमों से संबंधित सूचना को दर्शाता है –

(मिलियन टन में)

प्रेषण का माध्यम	**2011-12**	**2010-11**
रेल	19.79	17.75
सड़क	2.19	1.55
मेरी गो राउन्ड (एमजीआर)	8.51	10.06
कुल	**30.49**	**29.36**

कोयले के मूल्य का निर्धारण :

गैर कोकिंग कोयले का मूल्य निर्धारण वर्तमान में सकल कैलोरिफिक मूल्य एवं कोकिंग कोल तथा वाशरी ग्रेड कोल का छाई स्तर के आधार पर किया जाता है। सेमी कोकिंग कोल का मूल्य निर्धारण छाई एवं नमी धारिका के आधार पर किया जाता है। कोयला मूल्य का संशोधन निवेश लागत में बढ़ोत्तरी, मुद्रास्फीति आयातित कोले के लेण्डेड लागत को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। अंतिम ग्राकक मूल्य में बुनियादी मूल्य एवं अन्य प्रभार (सेस, रॉयल्टी, उत्पाद, बिक्री कर एवं अन्य) शामिल होते हैं। करीब 90% कोयले की बिक्री ईसीएल एवं लिंक ग्राहकों के बीच लंबी अवधि इंधन आपूर्ति समझौता 'एफएसए' के तहत किया जाता है। इसके अतिरिक्त कोयले की बिक्री ई–आक्सन योजना के तहत भी किया जाता है। कोल इंडिया के सुझाव के मुताबिक हमलोग 01 जनवरी 2012 से जीसीभी आधारित कोल मूल्य निर्धारण व्यवस्था को अपनाए हैं। यूएचभी से जीसीभी आधारित मूल्य निर्धारण के कारण राजमहल में उत्पादित कोयले के मूल्य में रू. 230/- प्रति टन का नुकसान हुआ है। अतः इस मुद्दे को कोल इंडिया लि० के साथ मूल्य समीक्षा हेतु उठाया गया है।

वितरण एवं विपणन नीति :

वाणिज्य विभाग में सन्निहित तथ्य के साथ सुनिश्चित, लगातार, पारदर्शी एवं दक्ष तरीके से अल्प एवं लंबी दोनों अवधि पर विभिन्न सेक्टरों के ग्राहकों से कोयले की मांग को पूरा करने के लक्ष्य के साथ 18 अक्टुबर 2007 को एनसीडीपी जारी किया गया है।

ई–आक्सन योजना :

एनसीडीपी के तहत उपलब्ध संस्थानिक तरीके द्वारा कोयले की जरूरत श्रोत में जो सक्षम नहीं हैं, उनके लिए कोयले का ई–आक्सन योजना चालू की गई है। ई–आक्सन के तहत प्रस्ताव किए गए कोयले की मात्रा की समीक्षा समय–समय पर कोयला मंत्रालय द्वारा की जाती है। वर्तमान में कुल कच्चा कोयला उत्पादन का करीब 10% ई–आक्सन योजना के तहत आफर किया जा सकता है। ई–आक्सन योजना ग्राहकों द्वारा अतिरिक्त कोयले की खरीद के लिए एक रास्ता प्रदान करता है एवं साथो ही किसी खास श्रोत / कोयले की मात्रा एवं अतिरिक्त राजस्व के लिए बाजार मांग आधारित मूल्य की जानकारी प्राप्त होती है।

इंधन आपूर्ति समझौता (एफएसए) :

एनसीडीपी की शर्तों के मुताबिक कोयला कंपनी ग्राहकों या राज्यनामित एजेंसियों के साथ सीधे कानूनी रूप से लागू होने वाले एफएसए के साथ जुड़ी है। ये सुमचित वितरण व्यवस्था है। हमारे एफएसए को निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा जा सकता है –

1) स्वतंत्र विद्युत उत्पादक (आईपीपी), निजी विद्युत उपयोगिता (पीपीयू), राज्य विद्युत उपयोगिता समेत विद्युत उपयोगिता सेक्टर में ग्राहकों के साथ एफएसए।

2) गैर विद्युत उद्योग (कैप्टिभ पावर प्लांट सीपीपी सहित) में ग्राहकों के साथ एफएसए।

3) राज्य नामित एजेंसियों के साथ एफएसए।

अनुसंधान एवं विकास :

अनुसंधान एवं विकास के लिए ईसीएल ने सीएमपीडीआईएल को नियुक्त किया है जो सीआईएल की सहायक कंपनी है। सीएमपीडीआई अनुसंधान गतिविधियों के समन्वय, फंड का वितरण एवं साथ ही हमारे अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों के समन्वय के लिए एक नोडल एजेंसी की तरह कार्य करता है।

ईस्टर्न कोल फील्ड्स लि०, कोल इंडिया लि० एवं कोयला मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन :

वास्तविक एवं वित्तीय निष्पादन के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ईसीएल सीआईएल एवं कोयला मंत्रालय के साथ विभिन्न पैरामीटरों के लिए एक समझौता ज्ञापन करता है। उपलब्धियों को 1 से 5 तक के स्केल पर ग्रेडिंग किया जाता है, उत्कृष्ट को ग्रेड 1 एवं खराब को 5 ग्रेड मिलता है। 2010-11 के लिए ईसीएल को साधारण ग्रेड मिला है। 2012-13 के लिए कोयला उत्पादन हेतु एमओयू लक्ष्य 33 मिलियन टन है।

जोखिम एवं चिंता :

ईसीएल के जोखिम एवं चिंताओं को निम्नलिखित रूप में व्यक्त की जा सकता है –

1) अन्तर्निहित प्रकृति द्वारा कोयला खनन में नाना प्रकार के संचालन जोखिम हैं जैसे मौसम, प्राकृतिक आपदा एवं खतरनाक खनन दशाएं है।

2) लोकउपक्रम कंपनी के रूप में ईसीएल में आगे भी कठोर श्रम विनियम हैं। कंपनी के पास जीर्ण जनशक्ति है।

3) निजी पार्टियों की जमीन एवं वनभूमि के अधिग्रहण में ईसीएल के समक्ष बाधा है, जिसके कारण कुछ परियोजनाओं में विलंब हो रहा है।

4) विस्तार परियोजनाओं की सफलता विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है जैसे सरकारी स्वीकृति प्राप्ति, लाइसेंस एवं विस्तार कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ने की स्वीकृति प्राप्ति इत्यादि ।

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली एवं उसकी पर्याप्ति :

ईसीएल के पास अपने व्यापार को कुशलतापूर्वक चलाने के साथ साथ संगत नियमों एवं विनियमों के अनुपालन के लिए ठोस आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है। आंतरिक नियंत्रण पैरामीटर में कार्ययोजना, बजट, शक्तियों का प्रत्यायोजना द्वारा अपने उत्पादन कार्यक्रम इस तरह समाहित किया गया है कि कोई भी विचलन की तुरन्त रिपोर्टिंग होती है तथा उचित स्तर पर इसकी समीक्षा की जाती है। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में संख्या के सभी कार्य शामिल है। खरीद, सिविल, ठेका, प्रबंधन के साथ बताए गए तरीके के लिए नियमावली है।

विभिन्न लेखा परीक्षकों द्वारा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का ध्यान रखा जाता है, जो निम्नलिखित है -
बाह्य चार्टर्ड / कास्ट लेखापालों के फर्मों द्वारा सिस्टम / लेनदेन की आंतरिक लेखा परीक्षा करवाई जाती है ।

सीआईएल द्वारा बताए गए लेखा परीक्षा के विशेष स्कोप द्वारा वर्षभर फर्म की नियुक्ति की गई है। उन्हें मासिक रिपोर्ट के साथ साथ अपवादात्मक रिपोर्ट तथ्य के साथ प्रबंधन की टिप्पणी ईसीएल एवं सीआईएल स्तर पर होने वाली लेखा परीक्षा समिति की बैठक में शामिल की जाती है।

सी एण्ड द्वारा औचित्य लेखा परीक्षा :

सालों भर सी एण्ड एजी अधिकारियों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों / संस्थानों में लेखा परीक्षा की जाती है जिसमें आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का पालन किया जाता है एवं कोई चूक हो तो इसकी जांच की जाती है। कभी-कभी विशेष निष्पादन से जुड़े क्षेत्र जैसे परिवहन, एचईएमएम के रख-रखाव को गंभीरता से मुल्यांकन हेतु चुना जाता है।

विभागीय अधिकारियों द्वारा विशेष लेखा परीक्षा :

कुछ विशिष्ट क्षेत्रों को कवर करते हुए आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग सक्षम अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा / जांच की जाती है। यदि कोई चूक पाई जाती है तो इसे सक्षम प्राधिकारी के संज्ञान में लाया जाता है। जिसमें सुधार हेतु सुझाव भी प्रस्तुत किए जाते है।

भंडार का वास्तविक जांच :

आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग के पास भंडार जाँच निरीक्षकों की एक टीम मौजूद है जिन्हें वर्ष भर भंडारों की वास्तविक जाँच करने हेतु तैनाती की जाती है।

स्टोइंग एवं संरक्षण कार्य दावे की जांच एवं प्रमाणीकरण :

जांच एवं प्रमाणीकरण तिमाही आधार पर की जाती है एवं अंतिम दावे को कोयला नियंत्रक, कोलकाता के कार्यान्वयन को जमा किया जाता है। आतंरिक लेखा परीक्षकों तथा अन्य द्वारा जमा किए गए रिपोर्ट जो आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के रिपोर्ट पर आधारित होता है, ईसीएल / सीआईएल की लेखा परीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की जाती है तथा आवश्यकतानुसार सुधार हेतु निवारक उपाय का सुझाव दिया जाता है। लेखा परीक्षा समिति द्वारा 20 विशिष्ट मदों की पहचान की गई है तथा निष्पादन लेखा परीक्षा समिति के पास समय–समय पर जानकारी हेतु प्रस्तुत किया जाता है।

यह महसूस किया जाता है कि आंतरिक नियंत्रण प्रणाली कंपनी के आधार के अनुसार, इसके द्वारा किए गए लेनदेन की प्रकृति तथा विभिन्न लेखा परीक्षकों की फ्रीक्वेंसी से पर्याप्त है।

संचालन निष्पादन के संबंध में वित्तीय निष्पादन पर चर्चा :

संचालन का परिणाम : **(रू. करोड़ में)**

विवरण	2011-12	2010-11	वृद्धि (%)
सकल विक्रय	10695.11	7139.32	49.81
न्यून: लेवी	2433.02	1256.72	93.60
निवल विक्रय	8262.09	5882.60	40.45
अन्य आमदनी	298.62	354.37	(–) 15.73
कुल आमदनी	8560.71	6236.97	373.26

कोयले के विक्रय से आमदनी :

विक्रय को सकल विक्रय के रूप में (i) विभिन्न वैधानिक लेवी जिसमें कोयले पर रॉयल्टी। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं स्टोविंग उत्पाद शुल्क, (ii) विक्रय कर शामिल है, प्रस्तुत किया जाता है। कोयले की बिक्री से आमदनी मुख्य रूप से मूल्य निर्धारण एवं कोयले के उत्पादन तथा उसके वितरण पर निर्भर है।

व्यय :

बड़े शीर्षों का ब्रेकअप :

			वृद्धि	
विवरण	2011-12	2010-11	निरपेक्ष	%
भंडार में (वृद्धि)/कमी	44.67	(–) 112.35	67.68	60.24
भंडार एवं स्पेयर्स	574.22	539.95	34.27	6.35
वेतन / मजदूरी	5087.34	4042.04	1045.30	25.86
विद्युत एवं इंधन	382.42	376.11	6.31	1.68
सामाजिक उपरिव्यय	209.40	180.52	28.88	16.00
ठेका व्यय / मरम्मत	481.42	410.98	70.44	17.14
अन्य व्यय	270.21	233.46	36.75	15.74
व्याज एवं वित्तीय प्रभार	0.16	1.01	(–) 0.85	84.16
ओबीआर समायोजन	248.19	164.08	84.11	51.26
मूल्य ह्रास / हानि	200.90	184.72	16.18	8.76
प्रावधान	188.99	109.88	79.11	72.00
कर पश्चात लाभ	962.13	106.57	855.56	802.52

नकद प्रवाह :

विवरण	**31.3.2012**	**31.3.2011**
आदि नकद एवं नकद समतुल्य	940.99	947.88
संचालन गतिविधियों से शुद्ध नकद	567.64	129.68
निवेश गतिविधियों मे व्यवहृत शुद्ध नकद	–255.30	–131.20
वित्तीय गतिविधियों में व्यवहृत शुद्ध नगद	–4.59	–5.36
नकद एवं समतुल्य में बदलाव	307.75	–6.88
अंत नकद एवं नकद समतुल्य	1248.74	940.99

मानव संसाधन :

जनशक्ति :

कर्मचारीगण ही कुछ अलग कर दिखाते हैं। ईसीएल प्रत्येक कर्मचारी के विभिन्न कार्यों एवं विभागों में उपलब्ध अवसरों द्वारा उत्साहित किया जाता है ताकि वे अपनी पूर्ण क्षमता का उपयोग करें।31 मार्च 2011 की तुलना में 31 मार्च 2012 को जनशक्ति की स्थिति –

श्रेणी	जनशक्ति 31.3.2012	31.3.2011	बढ़ोत्तरी (+)/ कमी (−)
अधिकारी	2446	2342	104
पर्यवेक्षक	6175	6383	–208
लिपिकीय	4416	4922	–506
उच्च कुशल/कुशल	24076	24897	–821
अर्ध कुशल/अकुशल	39817	41644	–1827
केजुअल	0	0	0
बदली	2	3	–1
प्रशिक्षु	1077	937	140
कुल	78009	81128	–3119

जनशक्ति में बदलाव के कारण :

विवरण	अधिकारी	गैर अधिकारी	कुल
वृद्धि :			
ताजा नियुक्ति	166	54	220
मेडिकल अनफिट के बदले नियुक्ति	0	7	7
मृत्यु के बदले नियुक्ति	0	964	964
पुनः स्थापन / पुनः योगदान	0	213	213
अन्य कंपनी से स्थानांतरण	38	6	44
लैंड लूजर के बदले नियुक्ति	0	64	64
कुल बढ़ोत्तरी (क)	204	1308	1512
कमी :			
सेवा निवृति	143	3694	3837
मेडिकल अनफिट	0	23	23
मृत्यु	9	640	649
त्याग पत्र	15	5	20
बर्खास्त / टरमिनेशन	0	50	50
अन्य कंपनियों को स्थानान्तरित	38	8	46
जीएचएस/ईभीआर एस के तहत भीआर	2	4	6
कुल कमी (ख)	207	4424	4631
अंतर (क – ख)	–3	–3116	–3119

ईसीएल में हरिजन, आदिवासी एवं ओबीसी हेतु नियोजन / पदोन्नति के प्रेसीडेन्सियल निर्देश को कार्यान्वित किया गया। सभी नियोजन समीतियों में सदस्य के रूप में अल्प संख्यक सुमदाय के एक प्रतिनिधि को रखा जाता है।

01.4.2011 एवं 01.4.2012 को ईसीएल के कम जनशक्ति में हरिजन / आदिवासी कर्मियों का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित है –

	कुल जनशक्ति	संख्या हरिजन	%	आदिवासी	
				संख्या	%
01.04.2011	81128	18567	22.88	8441	10.40
01.04.2012	78009	17614	22.57	8379	10.74

औद्योगिक संबंध :

क्रम.सं.	विषय	2011-12	2010-11
1	हड़तालों की संख्या	2	5
2.	कार्य दिवस की हानि (लाख में)	0.69	1.44
3.	उत्पादन हानि (लाख टन में)	0.89	1.74

कानून व्यवस्था :

विषय	2011-12	2010-11
कानून व्यवस्था (बाधा)	159	289

प्रबंधन में कर्मियों की भागीदारी :

बैठक	2011-12	2010-11
मुख्यालय स्तर पर जेसीसी बैठकों की संख्या	03	04
मुख्यालय स्तर पर संरचनात्मक बैठकों की संख्या	21	22

एनसीडब्ल्यु ए एवं एलएलएस के तहत दिए गए नियोजन :

	2011-12	2010-11
एनसीडब्ल्युए	1079	765
लैंड लूजन स्कीम	41	48

उत्पादकता :

2011-12 के दौरान ओएमएस विगत वर्ष के 1.60 टन की तुलना में 1.677 टन रहा।

मजदूर संगठन :

हमारे गैर अधिकारी कर्मचारियों का अधिकांश कई मजदूर संगठनों के सदस्य है जिसमें इटक, एआईटीयूसी, एचएमएस, बीएमएस, यूटीयूसी, सीआईटीयू इत्यादि शामिल है। अधिकारीगण सीएमओएआई के सदस्य है। गैर अधिकारी, कर्मियों के सेवा की वेतन पुनरीक्षण एवं अन्य शर्तें एनसीडब्ल्युए द्वारा नियंत्रित होता है एवं जेबीसीसीआई द्वारा सुत्रपात किया जाता है। जेबीसीसीआई एनसीडब्ल्युए – IX के लिए 31.12.2011 को एमओयू पर हस्ताक्षर किया तथा उसके पश्चात एनसीडब्ल्यु – IX 01.07.2011 से 5 वर्षों के लिए प्रभावी हुआ जिस में अधिकारियों को छोड़कर सभी श्रेणी के कर्मचारियों को लाभ पहुंचा। हमारे अधिकारियों का वेतन, पर्क एवं भत्तों का निर्धारण भारत सरकार द्वारा होता है। वर्तमान क्षतिपूर्ति पैकेज01 जनवरी 2007 से 10 वर्षों के लिए संशोधित किया गया।

प्रशिक्षण :

हमारा लक्ष्य अपने कर्मचारियों को लगातार प्रशिक्षण प्रदान करना है। कोल इंडिया द्वारा स्थापित आईआईसीएम जिसकी स्थापना 1994 में हुई, द्वारा अग्रिम प्रबंधन, नेतृत्व विकास, सामान्य प्रबंधन, अग्रिम रख रखाव अभ्यास, प्रबंधन विकास, प्रशिक्षण एवं कोचिंग,जीविका विकास तथा संचार दक्षता पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाता है।

हमने महत्वपूर्ण कर्मियों को विदेश सहित बाहरी प्रशिक्षण की व्यवस्था की है। ईसीएल में आईआईसीएम को छोड़कर हमारे पास अच्छे उपस्कर युक्त एचआरडी केन्द्र, भीटीसी हैं जो हमारे अधिकारियों एवं स्टाफ को विभिन्न प्रशिक्षण प्रदान करते है। एचआरडी विभिन्न संस्थानों के छात्रों केलिए आवश्यकतानुसार व्यवसायिक प्रशिक्षण / औद्योगिक प्रशिक्षण भी प्रदान किए जाते हैं।

2011-12 के दौरान कंपनी द्वारा 2010-11 के 3067 की तुलना में 4866 लोगों को प्रशिक्षित किया। विवरण निम्नलिखित है :

1. **कार्य योजना :**

वर्ष	पाठ्यक्रमों की संख्या		लक्ष्य				प्रशिक्षित कर्मियों की संख्या वास्तविक			
	लक्ष्य	वास्तविक	अधि.	पर्यवेक्षक	श्रमिक	कुल	अधि.	पर्यवेक्षक	श्रमिक	कुल
2011-12	113	116	260	480	730	1470	477	597	1021	2095
2010-11	105	97	260	510	690	1460	284	504	915	1703

वर्ष 2011-12 एवं वर्ष 2010-11 के दौरान प्रशिक्षित कर्मियों की संख्या नीचे दिया गया है।

क्र.स.	विवरण	2011-12 अधि.	पर्यवेक्षक	श्रमिक	कुल	2010-11 अधि.	पर्यवेक्षक	श्रमिक	कुल
1.	सामान्य / कंपनी के अन्दर								
i)	एमओयू	477	597	1021	2095	284	504	915	1703
ii)	गैर एमओयू	625	640	452	1717	102	48	304	454
2.	बाहरी प्रशिक्षण (भारत के अंदर)								
I.	**आईआईसीएम में**								
क)	एमओयू	402	0	0	402	166	0	0	166
ख)	सेमिनार / अल्पावधि कोर्स	30	0	0	30	100	0	0	100
II.	**कंपनी के बाहर प्रशिक्षण (आई आई सीएम छोड़कर) :**								
क)	अल्प अवधि	12	2	2	16	52	13	6	71
ख)	लम्बी अवधि	0	0	160	160	0	0	168	168
ग)	एमओयू	96	19	5	120	15	0	0	15
3)	**प्रशिक्षु :**								
क)	एमटी	0	0	0	0	118	0	0	118
ख)	पीडीपीटी	0	67	0	67	0	47	0	47

4)	सेमीनार / कार्यशाला (कंपनी को छोड़कर)	246	4	0	250	197	11	1	209
5)	बाहर (विदेश में)	9	0	0	9	12	0	4	16
	कुल	**1897**	**1329**	**1640**	**4866**	**1046**	**623**	**1398**	**3067**

2) प्रशिक्षण का विवरण :

2011-12 के दौरान प्रोजेक्ट प्रबंधन में 5 के लक्ष्य की तुलना में 7 अधिकारी, ठेका प्रबन्धन में 5 के लक्ष्य की तुलना में 6 अधिकारी, चिकित्सा व्यवसाय में 10 के लक्ष्य की तुलना में 23 लोगों को व्यवसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा में प्रशिक्षित किया गया।

पर्यावरण सुरक्षा एवं संरक्षण :

वनरोपन :

कोयले के उत्खनन के कारण पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को लगातार कंपनी द्वारा मॉनिटर की जाती है तथा वायु, जल एवं शोर प्रदूषण, भूमि क्षरण, वन कटाव इत्यादि के लिए पर्याप्त नियंत्रण उपाय सभी वैधानिक नियमों के प्रावधानों के साथ किया जा रहा है। विवरण निम्नलिखित है –

क्र०सं०	वर्ष	पौधे लगाए गए	कवर किए गए क्षेत्र (हे०)	व्यय (रू लाख में)	अभ्युक्ति
1.	2010-11	62500	25	21.0	प. बंगाल के वन विभाग द्वारा ईसीएल में कोई वृक्षारोपन नहीं किया गया। झारखण्ड में वृक्षारोपन किया गया सकता था।
2.	2011-12	195000	78	59.00	प. बंगाल वेस्ट लैंड डवलपमेंट कार्पोरेशन प. बंगाल क्षेत्रों में वनरोपन किया। झारखण्ड में वनरोपन का कार्य झारखण्ड राज्य वन विभाग द्वारा किया गया।

पर्यावरण प्रबंधन योजना मॉनिटरिंग :

एमओईएफ द्वारा ईएमपी शर्तें अधिरोपित करने के अनुपालन में एमओईएफ द्वारा 31 पर्यावरण स्वीकृत परियोजनाओं के लिए नियमित रूप से मॉनिटरिंग की जाती है। स्वीकृत परियोजनाओं का मार्च एवं दिसंबर के छः मासिक अनुपालन रिपोर्ट को जून एवं दिसंबर में प्रत्येक वर्ष विहित प्रपत्र में पूर्वी क्षेत्री कार्यालय, एमओईएफ (भुवनेश्वर) को भेजा जाता है। ईसीएल के विभिन्न क्षेत्रों द्वारा जरूरी निवारक उपाय किए जा रहे हैं।

राज्य पर्यावरण नियंत्रण बोर्ड की वैधानिक जरूरतें :

क) संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्रत्येक कोलियरी के लिए जल प्रदूषण अधिनियम 1974, वायु प्रदूषण अधिनियम 1981 एवं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत पानी छोड़े जाने तथा वायु उत्सर्जन की स्वीकृति प्राप्त की गई।

ख) जल सेस अधिनियम 1977 के तहत सभी कोलियरीयों की बकाया राशि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के जल शेष अधिनियम के तहत बोर्ड के पास जमा कर दिया गया।

ग) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक खदान का वार्षिक पर्यावरण विवरण (फार्म - 5, ईपीएक्ट 1986 के तहत नियम - 14) संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास जमा कर दिया गया।

विश्व पर्यावरण दिवस का अनुपालन :

5 जून 2011 को ईसीएल मुख्यालय, सांक्तोड़िया एवं ईसीएल के क्षेत्रों में भी पर्यावरण झंडे को फहराया गया तथा वृक्षारोपण के साथ साथ शपथ भी ली गई। इसके पश्चात अंतर कोलियरी / परियोजना / क्षेत्र में 8 एवं 9 जून, 2011 को प्रतियोगिता आयोजित की गई। निरीक्षण टीम द्वारा क्षेत्रवार निरीक्षण किया गया तथा पर्यावरण उपायों / गतिविधियों के वार्षिक निष्पादन का मुल्यांकन किया गया।

एमओईएफ नई दिल्ली द्वारा पर्यावरण स्वीकृति :

2011-12 के दौरान शिमलांग विस्तार के लिए टीओआर प्राप्त हुआ जो निम्नलिखित है -